लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 30 मार्च, 1998 / 9 चैत्र, 1920 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (iii)	18	वित्तीस	वित्तीय
विषय सूची (iii)	9	आवश्सकता	आवश्यकता
10	नीचे से 4	श्री रवि सीमाराम नायक	श्री रवि सीताराम नायक
15	नीचे से 11	सभावशान	सत्रावसान
17	20	श्री पुगलीया नरेश कुमार चुन्नालाल	श्री नरेश पुगलीया
25	नीचे से 2	माहेदय	महोदय
37	15	श्री एस॰एस॰पालानीननिकम (थंजावूर)	श्री एस॰एस॰ पलानीमनिक्कम (तंजावूर)
39	18 नीचे से 13	श्री लाल कृष्ण आडवानी	श्री लाल कृष्ण आडवाणी
55	14	श्री नरेश कुमार चुन्नालाल पुगलिया	श्री नरेश पुगलीया
59	नीचे से 5	श्री सानछुया खुंगुर बैसीमुथियारी	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
96	19	पृथक	पृथक
101	6	उपयोग किए जाने	का उपयोग किए जाने

द्वादश माला, खंड 1, अंक 7

सोमवार, 30 मार्च, 1998
9 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम०आर० खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 7, सोमवार, 30 मार्च, 1998/9 चैत्र, 1920 (शक)

विषय	कालम
सभा पटल पर रखे गये पत्र	1-3
आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
आय-कर (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	3
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी	3
श्री यशवंत सिन्हा	5
श्री मोहन सिंह	7
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम०	8
खण्ड 2 से 4 और 1	10-13
पारित करने के लिए प्रस्ताव	13-18
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री शांता कुमार	18-29
श्री वैको	29-45
श्री बलराम जाखड़	45-61
श्री जगमोहन	61-70
श्री सुरेश कुरूप	70-72
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	72-76
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी ए०वी०एस०एम०	76-82
श्री एन० जनार्दन रेड्डी	82-87
कुमारी किम गंगटे	87-91
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	91-104
श्री के० नटवर सिंह	104-110
श्री सी० श्रीनिवासन	110-117
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	117-120
श्री वशिष्ट नारायण सिंह	120-124
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) कोलार जिले में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री के०एच० मुनियप्पा	95

विषय कालम

(दो) उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सस्ती दर पर राशन दिए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव 95-96

(तीन) देश भर में कृषि उत्पादों के बेरोकटोक लाने-ले-जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह 96

(चार) मध्य प्रदेश राज्य में से महाकौशल नामक पृथक राज्य बनाए जाने के लिए आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराम परांजपे 96

(पाँच) आगरा और बांदीकुई के बीच रेल लाइन को बडी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 96

(छह) जम्मू.कश्मीर मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज के लिए प्रत्याशियों का चयन करने के लिए जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख हेतु पृथक प्राधिकरण की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त 96-97

(सात) उत्तरांचल के लिए नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 97

(आठ) किऊल नदी पर पुलों के निमार्ण हेतु बिहार राज्य सरकार को वित्तीस सहायता प्रदान किए जाने की. आवश्यकता

श्री राजो सिंह 97

(नौ) आन्ध्र प्रदेश के किसानों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोनिजेटी रौसैया 97-98

(दस) धान की कुछ उतम किस्मों को सामान्य किस्मों में बदले जाने के सम्बन्ध में सरकार के आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता

श्री के०एस० राव 98

(ग्यारह) गंजम जिले में ऋषि कुल्या नदी पर पीपल पनका जलाशय परियोजना की स्थापना के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 98-99

(बारह) तूफान से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरि 99

(तेरह) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 99

विषय कालम

(चौदह) डिंडीगुल जिले में चर्म शोधन कारखानों के लिए अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु तमिलनाडु राज्य को विशेष केन्द्रीय राज सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० श्रीनिवासन 99-100

(पन्द्रह) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार त्रिपाठी 100

(सोलह) उड़ीसा के तूफान पीड़ितों के लिए विशेष एकमुश्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी 100

(सत्रह) युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जाने की आवश्सकता

श्री सुदीप बंधोपाध्याय 100-101

(अठारह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 101

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश में से एक पृथक पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 101-102

(बीस) मदुरै, तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों की दशा सुधारने की आवश्यकता

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी 102

लोक सभा

सोमवार, 30 मार्च 1998/9 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दामोदर वेली कारपोरेशन, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दामोदर वेली कारपोरेशन अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर वेली कारपोरेशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर वेली कारपोरेशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 47/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) पावर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 48/98]

(ख) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त मद (3) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 49/98]

संसद में विपक्षी नेता संशोधन नियम, 1998 की एक प्रति

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा और अन्य सुविधायें संशोधन नियम, 1998 जो दिनांक 24 फरवरी, 1998 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 87 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 50/98]

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में नियम 193 के अधीन सूचना दी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मद संख्या 4 और 5 को लेगी।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए। तमिलनाडु में प्रतिदिन आर डी एक्स किस्म के विस्फोट होने की खबरें मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : उत्तर प्रदेश में स्थिति वास्तव में गंभीर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। हमारे पास आज की कार्यसूची में एक महत्वपूर्ण मद भी है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तमिलनाडु नियंत्रण से बाहर है क्या आप चाहते हैं कि तमिलनाडु एक दूसरा पंजाब बन जाए? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी को ही बोलने को कहा है और किसी को नहीं। जो श्री रेड्डी बोलेंगे केवल वही कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आय-कर (संशोधन) विधेयक

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 28) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं इस अध्यादेश का निरनुमोदन करता हूं इसलिए मैं सर्वप्रथम कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

आय-कर विधि का अन्तर्निहित साधारण सिद्धान्त यह है कि लाभ या आय पर आय-कर का उद्ग्रहण किसी ऐसी पूंजी जो आय या लाभ देते हुए निःशेष हो जाती है कोई छूट या कटौती के बिना किया जाएं

इस सिद्धान्त का एक अपवाद यह है कि आस्तियां अर्थात भवन, संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर की टूट-फूट से कारित अवक्षयण की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है। वर्तमान में निर्धारिती द्वारा आस्तियों के ब्लाक के लिखित मूल्य के आधार पर अवक्षयण का दावा किया जाता है। पूर्वोक्त अधिनियम अवक्षयण की सीधी पद्धति के लिए उपबन्ध नहीं करती है। शक्ति उत्पादन युनिटों को सीधी पद्धति से उनकी पूंजीगत आस्तियों का उसी दर पर जिस पर उनकी विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, अवक्षयण करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से यह प्रस्थापन है कि आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 32 में संशोधन किया जाए। इस संशोधन से राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कर की निम्नतर प्रतिपूर्ति की जाएगी और परिणामस्वरूप शक्ति टैरिफ दर निम्नतर होगी।

2. आय-कर अधिनियम की धारा 80 झ क, कतिपय मामलों में औद्योगिक उपक्रमों आदि के लाभ और अभिलाभों के सम्बन्ध में कटौती के लिए उपबन्ध करती है।

खनिज तेल, विद्युत, राजमार्ग परियोजनाओं और देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित उपक्रमों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अब यह प्रस्ताव है कि इस धारा का संशोधन किया जाए, जिससे कि—

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ करने वाले उपक्रमों को उपलब्ध कटौती का लाभ 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् देश के अन्य भागों में स्थित उपक्रमों को भी प्रदान किये जा सकें;

(ii) अवसंरचना प्रसुविधा क्षेत्र को उपलब्ध कटौती के लाभ आवास निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों को, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग हैं, इस शर्त के साथ प्रदान किये जा सकें कि ऐसे आवास निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों से हुए लाभ की राशि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर राजमार्ग परियोजनाओं पर ही पुनः निवेश किया जा सके;

(iii) राजमार्ग और एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं के संबंध में कर छूट की अवधि को बारह वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष किया जा सके;

(iv) बिजली का उत्पादन या उत्पादन और वितरण करने वाले उपक्रमों के लिए, कर लाभ का उपभोग करने की नियत तारीख

•कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को 31 मार्च 1998 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2000 किया जा सके; और

(v) प्रवर्ग ''क'' के अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए कर स्थगन और प्रवर्ग ''ख'' के अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित उपक्रमों को तीन वर्ष के लिए कर स्थगन सुविधा इस शर्त के अधीन उपबन्ध कराई जा सके कि ऐसे उपक्रम 1.10.94 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय वस्तुओं या मदों का विनिर्माण या उत्पादन आरम्भ करते हैं अथवा अपने शीत भंडार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरम्भ कर दें। दोनों मामलों में, कर छूट अवधि के पश्चात् पात्र उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए लाभ का बीस प्रतिशत (कम्पनियों के मामले में तीस प्रतिशत) की कटौती का फायदा किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अध्यादेश जारी करना इसलिए आवश्यक हो गया था कि सभा भंग कर दी गई थी। इसलिए इस अध्यादेश के स्थान पर विधान लाना आवश्यक है। हमने पहले इस पर आपत्ति जताई थी। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देने के पश्चात् तथा इस तथ्य को देखते हुए कि यह अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1997 में जारी कर दिया गया था और इस कारण भी कि सरकार इस पर आगे कार्यवाही भी कर चुकी है, अब मैंने इसके अंगीकरण के लिए सहमति देने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मैंने भी अपनी ओर से प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को पहले विधेयक प्रस्तुत करने दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का आशय 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश (1997 का संख्या 20) का स्थान लेने के लिए तथा आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के प्रयोजन से लाया गया है तथा मुख्यत: विद्युत उत्पादन, खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों के लिए कतिपय कर प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 के वर्तमान रूप में, अवमूल्यन की सरल विधि का उपबंध नहीं है। विद्युत का उत्पादन करने वाली इकाइयों को अपनी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन, समस्तरीय (स्ट्रेटलाइन) आधार पर, यानी उसी दर करने में समर्थ बनाने के लिए जिस पर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियों को प्रतिपूर्ति की जाती है, अब यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम की धारा 32 में संशोधन किया जाए। इस संशोधन से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कर की प्रतिपूर्ति कम दर पर की जाएगी और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिलेगी।

दूसरी बात, खनिज तेल, विद्युत और राजमार्ग परियोजनाओं और पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रोत्साहनों का उपबन्ध करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-1क में संशोधन करने का प्रस्ताव भी करता हूं।

मैं 1 अप्रैल, 1997 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल का उत्पादन आरम्भ करने वाले उपक्रमों को उपलब्ध कटौती के लाभ देश के अन्य हिस्सों के ऐसे ही उपक्रमों को प्रदाना किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं, अवसंरचना प्रसुविधा क्षेत्र को उपलब्ध कटौती के लाभ आवास निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों पर, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग है, इस शर्त के साथ विस्तार किया जा सकेगा कि ऐसे आवास निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों के लाभ की राशि का तीन वर्ष की अवधि के भीतर राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के मामले में, मैं कर छूट को प्राप्त करने के लिए समय सीमा को भी 12 वर्ष से 20 वर्ष तक बढ़ा रहा हूं अर्थात उपक्रम 20 वर्ष की अवधि के भीतर लगातार किन्हीं दस वर्षों में कटौती का दावा कर सकते हैं।

वर्तमान आय-कर अधिनियम ऐसे उपक्रमों को कर छूट के लाभ की अनुमति देता है जो 31 मार्च 1998 तक विद्युत का उत्पादन या उत्पादन और वितरण आरम्भ कर देंगे। विद्युत क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए मैं इस तारीख को 31 मार्च, 2000 तक आगे बढ़ाता हूं।

मैं आगे, प्रवर्ग ''क'' के अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए कर छूट का और प्रवर्ग ''ख'' के अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित उपक्रमों का तीन वर्ष के लिए कर छूट का इस शर्त के अध्यधीन उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे उपक्रम 1.10.94 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय वस्तुओं या मदों का विनिर्माण या उत्पादन आरम्भ करते हैं अथवा अपने शीतागार संयंत्र या संयंत्रों को प्रचालन आरम्भ करते हैं। दोनों मामलों में, कर छूट अवधि के पश्चात पात्र उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए लाभ के बीस प्रतिशत (कम्पनियों के मामले में तीस प्रतिशत) की कटौती का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि ये संशोधन विद्युत, खनिज तेल और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये प्राथमिक क्षेत्र हैं जिसमें भारी निवेश अपेक्षित है।

महोदय, यह अध्यादेश पिछली सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया था। हमने इस पर विचार किया और इसे लाभदायक पाया। इसीलिए मैं इसे सभा के समक्ष ला रहा हूं। यह उन उद्योगों और विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जो देश के पिछड़े जिलों में स्थापित की जा रही हैं। हम उन्हें कतिपय कर छूट प्रदान कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की

[श्री यशवंत सिन्हा]

अति विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसे पहले ही एक बार पुन: प्रख्यापित किया जा चुका है। इसीलिए मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इसे अंगीकृत करें। यदि पिछली सरकार द्वारा पूर्वत: स्वीकृत व्यवस्थाओं में अब यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उससे उन उपक्रमों, विद्युत परियोजनाओं और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को जिनके वित्तीय प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और जिन्होंने इन सभी लाभों का ध्यान रखा था, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यदि उससे कोई विचलन किया जाता है।

इसलिए, मैं डा० सुब्बारामी रेड्डी, माननीय सदस्य और अन्य सहयोगियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का विरोध करने वाले सांविधिक संकल्पों को वापस ले लें। मैं आपके माध्यम से माननीय सभा से, यह भी अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को चर्चा किए बिना ही पारित कर दे क्योंकि इसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 28) का निरनुमोदन करती है।"

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संवैधानिक संकल्प दिया है उसकी मांग इस विधेयक को रोकने की नहीं है। इस विधेयक के बहाने चर्चा में हिस्सा लेकर अपने कुछ सुझाव देने की है। क्योंकि जिस अध्यादेश को संयुक्त मोर्चे की सरकार ने प्रख्यापित किया और उसको माननीय मंत्री जी आज सदन के सामने विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे पास तो होना ही है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को संविधान की धारा 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करने के अधिकार मिले हैं।

उसे नोर्मल प्रैक्टिस नहीं माना जाना चाहिए। मैं सभी राजनैतिक दलों से और सभी सरकारों से साग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि जिन चीजों को अध्यादेश की शक्ल में 16 सितम्बर 1997 और फिर उसी अध्यादेश को 27 दिसम्बर 1997 को लाया गया वह कोई ऐसा अर्जेन्ट मैटर नहीं है जिसके लिए अध्यादेश हमें लाने की जरूरत पड़ती। इन्कम-टैक्स अध्याय छ: के तहत कुछ खास संस्थाओं को हमें कुछ टैक्स रिलेक्सेशन देने का अधिकार है। उसके तहत आप इसे अध्यादेश के जरिए लाए। पहले प्रवर समिति के माध्यम से विधेयक संसद के सामने आते थे। बाद में इस पद्धति में परिवर्तन हुआ और 1991 के बाद पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम हमने इस देश में लागू किया जिसमें हम किसी विधेयक को सम्यक रूप से समितियों के जरिए विचार करने के बाद इस संसद के अन्दर विचारार्थ प्रस्तुत कर सकें। यह अध्यादेश ऐसा है जिसमें कुछ चीजों को और विस्तृत करने की आवश्यकता थी। यदि हम स्टैंडिंग कमेटी के जरिए आते तो इसमें और ज्यादा सम्यक रूप से विचार कर सकते थे, बसलन नार्थ-ईस्ट रीजन में जो कमर्शियल ऑयल की प्रोडक्शन है उस पर आपने छूट देने की बात कही है। लेकिन 81(क) में बहुत लम्बी फैहरिस्त है जिनको यह छूट मिली हुई है।

[अनुवाद]

"किसी कारबार या किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के प्रचालन या किसी अवसंरचना सुविधा का प्रचालन या किसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास या पूर्वोक्त दूर संचार सेवाएं चाहे बुनियादी या सेलुलर या किसी औद्योगिक पार्क का प्रचालन या पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन ....।"

[हिन्दी]

उसमें एक लम्बी फैहरिस्त दी हुई है। उसमें से केवल एक को छांटकर सुविधा देना—इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

उसी के साथ-साथ बैकवर्ड रीजन में पांच साल के लिए इन्कम टैक्स असैस्मेंट में जो छूट थी उसे घटाकर तीन साल कर दिया गया है। यह भी विचार का विषय हो सकता है कि छूट तीन साल के लिए रहे या पांच साल के लिए रहे, क्योंकि जिन क्षेत्रीय विषमताओं से त्रस्त विशेष रूप से पिछड़े इलाके हैं जहां विशेष औद्योगिक विकास की आवश्यकता और अपेक्षा है, और सरकार कहती है कि पिछड़े हुए इलाकों में हम औद्योगिक विकास करेंगे, लेकिन उन्हें विशेष सुविधाएं देने के बजाए उन्हें कम कर दिया गया है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार ने इसी सदन में बार-बार आग्रह किया था कि जब हम सरकार में आएंगे या जो भी सरकार में आए, इन्कम टैक्स की लिमिट में विस्तार किया जाना चाहिए। पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से लोगों की आय में वृद्धि हुई है, सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई है, अगर आपने टैक्स सीमा में बढ़ोत्तरी नहीं की तो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी आयकर के नैट में आने वाला है। केवल एक वर्ग आयकर की नैट में नहीं आएगा, वह है संसद सदस्यों का वर्ग। इसलिए इस बारे में आप गंभीरतापूर्वक सोचें कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसके चलते हम माननीय संसद सदस्यों को भी आयकर के नैट में ले सकें। इसके बारे में सरकार सोचे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जिनको सरकारी खजाने से वेतन मिलता है वह आयकर की परिधि के बाहर हो सके। इसी सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो छूट पांच साल के लिए दी गई है उस पर पिछली सरकार ने क्या मापदंड अपनाया था, यह स्पष्ट नहीं है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने अभी कहा और बैकवर्ड एरियाज के बारे में भी कहा। लेकिन जो जीरो इंडस्ट्री एरिया हैं, जहां एक भी इंडस्ट्री नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है। उदाहरण के तौर पर उत्तरांचल के अन्दर तीन जिलों को यह छूट दी गई है—पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली—लेकिन इसी क्षेत्र के अन्दर जो जीरो इंडस्ट्री एरिया हैं उनमें यह छूट नहीं दी गई है। जो जीरो इंडस्ट्री एरियाज हैं, वे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज में नहीं आते, उनको छोड़ दिया गया है। ये जीरो इंडस्ट्री एरियाज हैं—पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा। आप इन जिलों को शामिल करने की कृपा करें।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने जो प्रश्न उठाया है, उससे मैं पूरी तरह से सहमति जताता हूं। अध्यादेशों के माध्यम से सरकार चलाना, कानून बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारी

ऐसी कोई नीयत नहीं है कि हम अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने के रास्ते को प्रशस्त करें। मैंने पहले भी कहा था कि इस अध्यादेश को पहले की सरकार ने कतिपय कारणों के चलते पास कराया था। उस सरकार को कतिपय राजनैतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था जिसके चलते पिछले साल दिसम्बर के महीने में दोबारा अध्यादेश को लागू करना पड़ा। इसलिए मुझे यह चिन्ता थी कि मैं सदन के समक्ष तत्परता से इस बात को रखूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी सरकार फिर से उस परिस्थिति का सामना करे जिसमें हमें दूसरी बार या तीसरी बार इस अध्यादेश को सदन से बाहर लागू करना पड़े। इसलिए मैंने आज मौके का लाभ उठाया, जो कि मेरा पहला मौका है, मैंने इस अध्यादेश को कानून में परिणत करने के लिए रखा है।

माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने कुछ और बातें उठाई हैं। मैंने उन बातों को ध्यान में रखा है। वे बातें आगे वाले बजट में ध्यान में रखी जाएंगी।

[अनुवाद]

मैंने इस बात को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

अभी माननीय सदस्य खंडूरी जी ने एक प्रश्न बैकवर्ड जिलों के बारे में उठाया। जहां तक मेरी जानकारी है जो इससे पहले की सरकार थी, उसने इस सम्बन्ध में एक समिति बनाई थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों का सरकार ने अध्ययन किया था। उन्होंने अध्ययन करने के बाद दो तरह के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाए थे—एक जिसमें पांच साल तक की छूट दी जानी थी और दूसरे जिसमें तीन साल की छूट दी जानी थी। कुछ सिद्धान्त तय किए गए थे। जिनके आधार पर उस लिस्ट को बनाया गया था। जैसा मैंने कहा कि इस अध्यादेश को इसी सत्र में कानून के रूप में परिणत करने की कुछ जल्दी थी, इसलिए हमने उसे पूरी तरह से एग्जामिन नहीं किया। अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई कमी रह गई है तो हमारी सरकार जरूर उन पर विचार करेगी। उनमें अगर कोई किसी प्रकार का संशोधन करना होगा तो हम फिर उनको सदन के समक्ष लेकर आएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर (अकोला) : कुछ ऐसे जिले हैं जिन्हें पिछड़े जिलों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। उन जिलों के लिए कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए लगभग 220 जिलों को चुना गया था, किन्तु इन 220 जिलों में से केवल पांच या सात जिलों को ही इस सूची में शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि की गई घोषणा के अनुसार बाकी जिलों को भी सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, श्री खंडूरी ने उद्योगविहीन जिलों के बारे में मुद्दा उठाया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे ''उद्योगविहीन जिले'' भी सूची में शामिल किए जाएंगे या नहीं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : जीरो इंडस्ट्री एरिया में जिसमें कि उत्तरांचल के चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल हैं, सूची 'ए' में वे इनक्लूडिड हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कुछ सिद्धान्त उस समिति ने तय किए थे। उनके अनुसार, जो जिले कैटेगरी 'ए' और 'बी' में आए, उनको बैकवर्ड जिलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम पिछली सरकार करके गई थी। मेरे सामने कई विकल्प थे। मेरे सामने विकल्प यह भी था कि मैं फिर से उस मामले को रीओपन करूं। रीओपन मैं कर सकता था लेकिन फिर वह अध्यादेश हमें तीसरी बार अध्यादेश के रूप में लागू करना पड़ता और इस सत्र के बाद जब मैं अगले सत्र में इसी सदन के सामने आता, तब माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने जो बात उठाई, वह बहुत ज़ोर से उठती कि यह सरकार भी अध्यादेश के माध्यम से चलना चाहती है। इसलिए जैसा मैंने कहा मैं आपके सामने आया हूं, उस बिन्दु पर यह सरकार विचार करेगी और उसमें जो भी आवश्यकता परिवर्तन करने की होगी या संशोधन करने की होगी, उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित करा दे ताकि यह अध्यादेश के रूप में दोबारा लाने की जरूरत न पड़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्बारामी रेड्डी क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : हां, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है?

कई माननीय सदस्य : हां, श्रीमान जी।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 32 से 38 का लोप किया जाए (1) मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' के अन्तर्गत कौन से राज्य हैं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : और क्या भविष्य में इन प्रवर्गों में कोई परिवर्तन करने का विचार है?

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा वित्त मंत्री द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसने इसके ऊपर विचार किया था। कैटागरी ए में उन्होंने कुछ क्राइटीरिया रखा था और कैटागरी बी में उन्होंने कुछ और क्राइटीरिया रखा था। कैटागरी बी में जैसे उन्होंने उस जिले में इनफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, उसको ध्यान में रखकर और गरीबी की रेखा को ध्यान में रखते हुए उसमें जो अंतर पाया, उसके आधार पर उन्होंने उसको कैटागरी बी में रखा जहां पर कि थोड़ी उन्नति थी कैटागरी ए के मुकाबले, और जो बिल्कुल पिछड़े जिले थे, उनको कैटागरी ए में रखा है। यह सिद्धान्त जनरली चला है जिसके आधार पर कितनी सड़कें प्रति हजार पर हैं, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं प्रति हजार पर, इसके आधार पर इनको तय किया था और जैसा मैंने कहा था कि अपने आपमें यह आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस पर हम फिर से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रवि सीताराम नायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोवा को प्रवर्ग 'क' में शामिल किया गया है या नहीं? मैं समझता हूं कि प्रवर्ग 'क' में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन व दीव शामिल होंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की एक लम्बी सूची है जो प्रवर्ग 'क' में आते हैं। इस सूची में 53 जिले हैं और प्रवर्ग 'ख' में 70 जिले हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं क्योंकि ये सूचियां पिछली सरकार द्वारा बनाई गई हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें उसे पूरा करना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, मंत्री जी यह कैसे कह सकते हैं कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को मदद करना अलग बात है लेकिन डिपार्टमेंट तो रह जाता है ... *(व्यवधान)* यह नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मंत्री महोदय को इस पर पुनः गौर करना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय मैंने यह कहा है कि जो कैटेगरी ए. में 53 और कैटेगरी बी. में 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यह पिछली सरकार ने जो नियम बनाए उसके तहत हैं। इस पर जो सिद्धान्त निरूपित किए गए थे, जिन सिद्धान्तों के आधार पर इनको तय किया गया था। मैंने शुरू में ही इस सदन में कहा है।

[अनुवाद]

श्री टी० आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : पणजी के माननीय सदस्य ने कुछ अन्य राज्यों को इन सूचियों में शामिल करने को कहा है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर गौर कर सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : इन जिलों की एक सूची है, यह सभा चाहे तो मैं इस सूची को सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर गौर कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय यह सूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है ... *(व्यवधान)* मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि इस सूची में किन जिलों को शामिल किया गया है ... *(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : जब मंत्री जी विधेयक पेश कर रहे हैं, तो वे इसके लिए जिम्मेदारी लेने से मना कैसे कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने केवल यह कहा है कि प्रवर्ग 'क' में 53 जिलों और प्रवर्ग 'ख' में 70 जिलों की सूची तैयार की गई है। किन्तु यह सूची पिछली सरकार ने बनाई थी। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर मंत्री जी द्वारा गौर किया जा सकता है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय मैंने पहले ही सभा को आश्वासन दिया है कि जहां तक इन सूचियों का सम्बन्ध है हम इन्हें तैयार करने के मानदंड की समीक्षा करेंगे। हम अन्य पिछड़े जिलों के दावों को भी ध्यान में रखेंगे। फिर यदि आवश्यक हुआ, तो मैं इस विधेयक में संशोधन को सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि नायक, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री रवि सीताराम नायक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता

हूं कि गोवा राज्य को सूची 'क' में शामिल किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि वे मामले की छानबीन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो वे एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करेंगे।

अब मैं श्री रवि सीताराम नायक द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड एक, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी आश्वासन दिया था कि हम लोगों को बाद में बोलने का अवसर देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश का मामला उठाना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रुकिए, इसके बाद बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद सम्बन्धी नियत कार्य शुरू करने से पहले आज हमें तीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं तीनों माननीय सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह केवल दो मिनट का समय ले। तत्पश्चात हम दैनिक कार्य करेंगे।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाने की सूचना दी है। यह मामला सिक्कों और छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी का है जिससे लोगों विशेषकर गरीब लोगों, को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की छानबीन करें और सिक्कों तथा छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करे ताकि लोगों को परेशानी न हो।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी विभाग को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। 12 वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विभाग को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था लेकिन हमने इसका प्रतिरोध किया और उस समय इस सभा में हमने इसका विरोध किया था। और केन्द्रीय सरकार उस समय भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी विभाग को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित नहीं कर सकी।

अब फिर इस विदेशी विभाग को, जो अपने स्थापना के समय से ही कलकत्ता में है, कलकत्ता से स्थानांतरित करने का पुन: प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ-साथ पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन कामरेड सोमनाथ चटर्जी ऐसा न करने के लिए ही केन्द्र सरकार को पहले ही लिख चुके हैं। वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि उस विभाग को कलकत्ता से हटाकर मुंबई ले जाने का कोई निर्णय किया गया है, तो उसको क्रियान्वित न किया जाए। सरकार को उसकी पुनरीक्षा करनी चाहिए और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी विभाग को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित नहीं करना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन की मांग करता हूं कि इस सरकार विरोधी विभाग को कलकत्ता से हटाकर मुंबई ले जाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी, क्या आप हमें कृपया ऐसा आश्वासन देंगे, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मैं इस बारे में कुछ और कह सकता हूं।

आप इस निर्णय की उचित पुनरीक्षा कर रहे हैं। यह पिछली सरकार का एक निर्णय है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप आम सहमति की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इसकी समीक्षा करें कि इसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। मुझे विश्वास है, मैं नहीं जानता क्या यह बंगाल पैकेज का एक भाग है कि नहीं ... *(व्यवधान)* क्या मैं वित्त मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वह इसकी पुनरीक्षा के लिए बैठक करें और जनता के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल की सरकार को विश्वास में लें। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास पहले ही वित्तीय पूंजी की भरमार है। मैं समझता हूं कि यदि लखनऊ को चुना गया होता तो उचित होता क्योंकि यह मुंबई में बेहतर स्थान है। कल हुई उनकी बैठक के पश्चात् प्रधानमंत्री इसकी समीक्षा करना चाहेंगे।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

यह अत्यन्त निश्चित अनुरोध है। उन्हें पिच खराब नहीं करनी चाहिए। एक संवेदनशील मामले के अलावा यह ऐसा मामला है जिसने न केवल बंगाल बल्कि पूरा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है।

इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस निर्णय को क्रियान्वित न होने दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० चाक्को।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री पी०सी० चाक्को को बोलने के लिए बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों सभा में आश्वासन दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में चर्चा इस सभा में की जाएगी। महोदय, कृषि मंत्री को बंगाल भेजा गया था और वह वापिस आ गए हैं। अभी तक चर्चा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है और कल सभा का अवसान होने जा रहा है।

एक विनाशकारी तूफान ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है ··· *(व्यवधान)* महोदय जब इस सभा में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान के इस मामले को उठाया गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था। एक विनाशकारी तूफान ने केरल के इदुक्की जिले, जहां से मैं चुनकर आया हूं, में हजारों एकड़ भूमि की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है।

महोदय प्राकृतिक आपदाओं पर तब तक वक्तव्य नहीं दिया जाता जब तक कि इस सभा में शोर-शराबा न किया जाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री कृपया इसकी छानबीन करें। करोड़ों रुपये की खड़ी फसल इदुक्की जिले में नष्ट हो चुकी है। कुछ राहत उपाय किए जाने चाहिए और इस दल को राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, सभा का कल सभावशान होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इसकी छानबीन की जाएगी। ··· *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल भी वहां एक अन्य तूफान आना था। आज हमें सुबह टेलीफोन आया कि वहां मौसम बहुत खराब है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आम चर्चा नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तीन सदस्यों ने अपनी सूचनाएं दी हैं और मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। आज और कल हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। आप इन बातों की चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : महोदय मैं केवल एक मिनट लूंगा। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यदि यह निर्णय पिछली सरकार द्वारा किया गया था तो हमें पता होना चाहिए कि यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया था। पूरी बात सभा के समक्ष लाई जानी चाहिए। ··· *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनसे सहमत हूं कि पूरी बात सभा के समक्ष लाई जानी चाहिए। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बोलने के लिए श्री एस० गंगाधर को बुलाता हूं।

श्री एस० गंगाधर (हिन्दूपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनंतपुर जिले की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग वर्षा सिंचित कृषीय उत्पाद पर निर्भर करता है। वर्षा कम होने के मामले में इसका स्थान देश में जैसलमेर के बाद दूसरा है। वर्ष दर वर्ष पिछले पांच वर्षों में वर्षा में कमी आती रही है।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून में जिले में 383.8 मि.मी. वर्षा हुई थी। इस मौसम के दौरान वर्षा किसी क्षेत्र में ज्यादा हुई तो किसी क्षेत्र में काफी कम हुई। विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण जिले में केवल 6.95 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की गई थी जबकि आमतौर पर 8.30 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जाती है। इस बुआई किए गए क्षेत्र में से लगभग 2.10 लाख हेक्टेयर भू-भाग में नमी की कमी रही। वर्षा सिंचित मुख्य फसलें—मूंगफली और कपास की फसलों को जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उक्त परिस्थिति में जिले के अधिकारी इसलिए असहाय हैं कि उनके पास इस स्थिति से निपटने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

पीने का पानी और चारा उपलब्ध नहीं है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को आबंटित धनराशि निर्धारित लक्ष्य से हटकर वर्तमान मुख्यमंत्री की संकल्पना जन्मभूमि कार्यक्रम में लगा दी गई है। इस प्रकार अन्यत्र अन्तरित की गई अधिकांश धनराशि ते. दे. पा. के समर्थकों और कर्मचारियों की जेबों में चली गई। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री एस० गंगाधर : वर्तमान राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया है। वे जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी सरकार इस अव्यवस्थित स्थिति से निपटने में असफल रही है।

महोदय, इसी कारणवश मैं आपसे केन्द्र सरकार को इस मामले में युद्ध स्तर पर हस्तक्षेप करने और जरूरतमंद लोगों को वांछित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शान्ता कुमार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि प्रस्ताव पेश किया जाए, मैं अपनी एक कठिनाई आपके सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने जा रहा है, इसलिए मैं सदन में रहना चाहता हूं, मुझे रहना भी चाहिए। लेकिन इसी समय राज्य सभा में भी धन्यवाद का प्रस्ताव लिया जा रहा है। इसके साथ-साथ एक विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं जिनका कार्यक्रम पूर्व निश्चित था और उनसे मुझे अभी साढ़े बारह बजे मुलाकात करनी है। अगर चर्चा आरंभ हो रही है, तो मैं इस समय यहां उपस्थित हूं लेकिन अगर राज्य सभा में मेरी मांग होगी तो मुझे राज्य सभा में भी जाना पड़ेगा। मैं सदन से सहयोग की आशा करता हूं और आपसे अनुमति चाहता हूं कि मुझे दोनों सदनों में समय बांटकर काम निकालने की इजाजत दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ता कुमार

(व्यवधान)

श्री पुगलीया नरेश कुमार चुन्नालाल (चन्द्रपुर) : मैं केवल एक मिनट लूंगा *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया था और आपने निर्देश दिया कि थोड़ी देर बाद हमारी बात सुनेंगे। आपके वचन पर हम बैठ गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री शान्ता कुमार का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए? माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आपने आश्वस्त किया था कि दो मिनट हमारी बात सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो गंभीर हालत है, उसे हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं क्योंकि केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी दलित, महिलाओं और अल्प-संख्यकों की हिफाजत करने की है। *(व्यवधान)* कल सुन लें। *(व्यवधान)* हम आपकी आशा का अनादर नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सूचना कल दीजिए। मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : परन्तु गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे मदुरै में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता की हत्या पर वक्तव्य दे सकते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अग्रणी संगठन से सम्बन्ध रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री शांता कुमार के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 11.47 बजे

[हिन्दी]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शांता कुमार (कांगड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए' :

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 मार्च, 1998 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं"।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, चुनाव के जंगल में उठी हुई हवायें अब शांत हो रही हैं। विश्वास मत के समय ठंडी और गर्म हवा चली। मैं आशा कर रहा हूं कि वे भी अब मंद हो रही हैं। आरोप-प्रत्यारोप लगाए

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शांता कुमार]

गये, बहुत कुछ कहा-सुना गया। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि अब थोड़े शांत और शालीन वातावरण में मान्यवर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर एक रचनात्मक चर्चा हो। मैं यह चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे बड़ा जोर इस बात पर दिया गया है, जो आज की आवश्यकता है, बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों की आवश्यकता है कि सहयोग, मेल-मिलाप और सहमति के द्वारा देश की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। यहां चर्चा हुई और चर्चा में यह बात कहने, उठाने और साबित करने की कोशिश की गई कि जनमत, जनता का आदेश, जनादेश किसके साथ है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के कारण भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि यदि दो-तिहाई बहुमत भी हो तो भी देश का शासन चलाने के लिए मेल-मिलाप, सहयोग और सहमति की राजनीति की आवश्यकता है। वोटों के प्रतिशत के आधार पर अलग अलग दावे किये गये, अलग अलग बातें की जा सकती हैं कि जनादेश किसके साथ है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जनादेश सरकार चलाने के लिए है, जनादेश सरकार तोड़ने के लिए नहीं है। जनादेश हर छह महीने के बाद प्रधान मंत्री बदलने के लिए नहीं है।जनादेश हर 18 महीने बाद फिर से चुनाव की भट्टी में देश को झोंकने के लिए नहीं है। जनादेश एक बात के लिए तो निश्चित है कि देश में एक सरकार हो, वह सरकार काम करे, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो और जनादेश उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिनकी सीटें घट गई हैं, जो घटकर आज संसद के अंदर आयें हैं। यह जनादेश सरकार चलाने के लिए है।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस अभिभाषण में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि जनादेश के पीछे सहमति की भावना है। आज देश राजनीति के संक्रामणकाल में से गुजर रहा है और उस संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें देने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए बहुत से समविचार दल सरकार चलाने के लिए आगे बढ़े हैं। इस अभिभाषण में और माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में सबसे अधिक जोर सहमति की ओर दिया है, मैं यह निवेदन करूंगा कि देश की ज्वलन्त और बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज समय की जरूरत है कि उस सहमति को राजनीति को आगे बढ़ाया जाये। उस सहमति की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उस तरभ से भी और इस तरफ से भी, एक बुनियादी जरूरत है और वह जरूरत यह है कि हम देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अपनी-अपनी पार्टी के प्रति भी हमारी वफादारी है, लेकिन सबसे बड़ी वफादारी इस देश के प्रति है और देश के प्रति अपनी वफादारी को निभाने के लिए इस सहमति की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हम पूर्वाग्रह छोड़ें। आपके बारे में हमारे जो पुराने विचार हैं, यदि आवश्यकता हो तो उनमें सुधार करें। हमारे बारे में जो पूर्वाग्रह आपने बनाये हैं, उनमें आप सुधार करें, पुरानी धारणाओं को बदले बिना सहमति की राजनीति नहीं चलेगी और सहमति की राजनीति को चलाये बिना यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस देश की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

इसलिए एक बात, जिसके बारे में बहुत अधिक चर्चा हुई है, होती है और जिसके कारण हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है, हमारे खिलाफ मोर्चे बनते हैं, दल इकट्ठे होते हैं, साम्प्रदायिकता का नाम लिया जाता है। सैकुलरवाद का नाम लिया जाता है, इस अभिभाषण में इस सम्बन्ध में दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। एक बात तो यह कही गई है कि सैकुलरवाद भारतीय परम्परा का अंतरंग अंग है, क्योंकि हम भारतीय परम्परा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के आधार पर पुरानी नींव पर एक नया निर्माण करके चले हैं। इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि सैकुलरवाद, इस देश की परम्परा का अंतरंग अंग है। दूसरी बात हमने कही है कि हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं विपक्ष के मित्रों से कहूंगा कि हम पर विश्वास करें। हम खुले आम इस बात को कह रहे हैं कि सैकुलरवाद हमारे देश की परम्परा का हिस्सा है और सैकुलरवाद पर हमारी पूरी आस्था है। हमने राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण में ये दो मुख्य बातें कही हैं। जब हम कहते हैं कि सैकुलरवाद हमारी परम्परा का अंतरंग अंग है तो उसका अर्थ यह है कि इस देश में पुराने समय में पूजा पद्धति के नाम पर झगड़े नहीं हुए। इस देश में जितनी पूजा पद्धतियां हैं, उतनी किसी देश में नहीं हैं। विचारों की आजादी, विचारों की स्वतंत्रता, जितनी इस देश में रही है, वह अपने आपमें एक बहुत बड़ी मिसाल है। पूजा करने के तरीके पर कभी इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। पिछली चर्चा में इस तरह से यह सवाल उठाया गया है।

आज देश की राजनीति में हम सब लोगों में से कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ वर्गों को छोड़कर राजनीति की जा सकती है। मेरे मुसलमान भाई इस देश के हैं, मेरे ईसाई भाई इस देश के हैं, सभी धर्मों को मानने वाले इस देश के हैं, वे हमारे हैं और सभी धर्म हमारे हैं। सभी पूजा-पद्धतियां हमारी हैं। मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हमारे हैं। हम इस प्रतिबद्धता को प्रकट कर रहे हैं। कोई गलतफहमी यदि आपस में है तो समय आ गया है उसको दूर किया जाए। एक-दूसरे को समझाने की जरूरत है। देश के करोड़ो मुसलमान भाइयों को छोड़कर, देश के करोड़ों अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को छोड़कर कोई राजनीति नहीं कर सकता, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। यह भाग हमारे इतिहास में रहा है। इस देश में विचारों की स्वतंत्रता बहुत अधिक रही है।

अध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास में दो घटनाएं घटी हैं। उनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे भारत में महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने वैदिक कर्मकांड के खिलाफ बगावत की। भगवान के बारे में मौन हो गए। एक प्रकार से उन्होंने वैदिक धर्म के खिलाफ बगावत की, लेकिन वे किसी की हिट लिस्ट में नहीं आए। वे 88 वर्ष जीए। इस देश के लोगों ने उनको अवतार कह दिया। वैसी एक घटना दुनिया में और घटी। प्रभु ईसा आए। उन्होंने भी यहूदी धर्म के खिलाफ बगावत की, लेकिन उनको सुना नहीं गया और सूली पर लटकाया गया। यह भारत है जहां विचारों की स्वतंत्रता की सीमाएं बहुत ऊंची हैं। पश्चिम के विद्वान मैक्समूलर 13 वर्ष ऋग्वेद का अध्ययन करते रहे और जब उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया तो कहा था कि विश्व में सत्य की खोज करने में भारत के ऋषियों, मनीषियों ने जितनी ऊंची उड़ान लगाई है, कोई और लगाता होता फेफड़े फट गए होते। विचारों की स्वतंत्रता की सीमाएं भारत में नहीं है। यहां चार्वाक आए। उन्होंने कहा खाओ-पीओ, मौज-मस्ती करो, कोई पुनर्लोक नहीं है। उनको भी सुना गया और वे भी किसी हिट लिस्ट में नहीं रहे। उनके खिलाफ किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। विचारों की स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अंतरंग हिस्सा है।

गीता में बहुत कुछ लिख गया है। मुझे गीता का एक श्लोक सबसे ऊंचा लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूछ रहा है—मुझे रास्ता बताएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को सखा-दोस्त मानते हैं। 18 अध्याय कहने के

बाद एक बात जो भगवान कृष्ण ने कही, मैं उसको गीता में सबसे ऊंची बात मानता हूं। उन्होंने कहा :

इति में ज्ञानामाख्यातम् गुद्ध-गुद्ध तरम् मया
विमृश्य एतत् अशेषेष यत् इच्छासि तत् कुरु।

अर्जुन, तुझे सारे रास्ते बता दिए। यह कर्म का रास्ता है, यह भक्ति का रास्ता है, यह ज्ञान का रास्ता है, सारे रास्ते मैंने तुझे बता दिए, अब अशेषेण विमृश्य, अच्छी तरह से गहराई से सोच और तुझे जो ठीक लगता है, वह कर। विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की आजादी जो भारत में नहीं तो वह कहीं भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि शब्दों में न जाइए। एक शब्द का अर्थ आपके लिए कुछ हो सकता है और हमारे लिए कुछ हो सकता है। शब्दों के पीछे भावना क्या है, इस पर जाइए।

हम हिन्दुत्व की बात करते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानन्द ने खड़े होकर कहा था—

[अनुवाद]

"मुझे हिन्दू के रूप में जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है।"

[हिन्दी]

मुझे हिन्दू होने पर गर्व है और उन्हें किसी ने कम्युनल नहीं कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुत्व की व्याख्या की है। लेकिन हम जो शब्द कहते हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है, हमारे मित्र उसको समझने की कोशिश करें। सेक्युलरवाद हमारी संस्कृति का अंतरंग अंग है और उस पर हमारी आस्था है। लेकिन राजनीति की ऐनक से जब देखा जाता है तो चीजें उल्टी सीधी नजर आती हैं।

गुजरात में श्री शंकर सिंह वाघेला जब हमारे साथ थे तो कम्युनल थे। लेकिन जब हमसे अलग हो गए तो सेक्युलर हो गए। तभी एक अखबार में कार्टून आया था। वाघेला खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, कांग्रेस के मित्र उनसे कह रहे हैं कि वाघेला जी जब आपने भाजपा की पीठ पर छुरा घोंपा, तब हमें पता चला कि आप साम्प्रदायिक वेश में 100 प्रतिशत सेक्युलर हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

राजनीति की ऐनक से जब देखा तो अलग-अलग नजर आई। मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में सभी लोगों को साथ लेकर चले बिना कोई राजनीति नहीं चला सकता। सारे भारत को एक मानकर चले बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप हमारी भावनाओं की कद्र करें, आप हमें समझने की कोशिश करें। वोट और अविश्वास की राजनीति से हम ऊपर उठें, यही मेरा निवेदन है। इस अभिभाषण में भूख, भय और भ्रष्टाचार से देश को बाहर निकालने का संकल्प किया गया है। आज इस देश के अंदर भूख है।

मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब पचास सालों के कामों की हम चर्चा करते हैं तो कोई यह नहीं कह सकता कि पचास सालों में देश ने विकास नही किया, कहना भी नहीं चाहिए। कुछ क्षेत्रों में देश ने बहुत विकास किया है, जैसे विज्ञान और टैक्नॉलाजी का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत विकास हुआ है और जहां विकास हुआ है, उसका श्रेय हमारे कांग्रेस के मित्रों को जाता हैं यह श्रेय उनको देने में हम कुछ कंजूसी नहीं करेंगे। मैं हिमाचल से आया हूं। हिमाचल प्रदेश में जब कुछ मित्र जाते हैं, उनको लगता है कि यह पहाड़ी प्रदेश है, यहां बहुत अच्छी सड़कें हैं, सेब उत्पादन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि इसमें हिमाचल के सबसे पहले कांग्रेस के मुख्य मंत्री डा. परमार का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमें इस बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश के बहुत से क्षेत्रों में विकास हुआ है, तरक्की हुई है, इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है लेकिन उस विकास का श्रेय यदि कांग्रेस के मित्र लेना चाहते हैं और हम देना चाहते हैं तो जो कमियां रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी।

इस देश के दो दृश्य हैं—एक दृश्य यह है कि कई क्षेत्रों में देश ने बड़ी तरक्की की है, उसका श्रेय आपको है। हमें भी दुनिया के सामने खड़े होने में फक्र है कि कुछ क्षेत्रों में हमने बहुत तरक्की की है। लेकिन भारत का एक और दृश्य भी है, वह यह है कि आज यहां लगभग बत्तीस-चौंतीस करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनको खाने के लिए दो वक्त की सूखी रोटी भी नहीं मिलती। "स्टैस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया" के मुताबिक जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत 135 वें स्थान पर है। मुझे चिंता इस बात की है कि छोटा सा कोरिया, मलेशिया, चीन और यहां तक कि श्रीलंका भी हमसे आगे हैं 134 देश मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से हमसे आगे चले गए और हम 135 वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आज "यूनिसेफ" की रिपोर्ट, जिसमें दुनिया के बच्चों की स्थिति का उल्लेख किया गया है, उसे पढ़कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दुनिया में हर साल साथ लाख बच्चे मरते हैं क्योंकि उनके मां-बाप उनको पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते। उन साठ लाख बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या, चौबीस लाख बच्चे, भारत के हैं जिन्हें दूध तथा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। इस देश में हर साल चौबीस लाख बच्चे मरते हैं यह बड़ा दर्दनाक दृश्य है।

मैं केवल एक राजनैतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं हिन्दी का छोटा सा एक लेखक भी हूं। जिस घर में दूध के बिना बच्चे मरते हैं, मैं वहां पहुंच जात हूं, उस मां के पास पहुंच जाता हूं जिसका बच्चा दूध के बिना मर गया है। हमें आजादी मिले पचास साल हो गए हैं और हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं लेकिन इस देश में चौबीस लाख बच्चे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको पौष्टिक भोजन और दूध नहीं मिल पाता। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, अनपढ़ बेरोजगार तथा बीमार आज भारतवर्ष में हैं।

कालाहांडी की चर्चा हमारे मित्र नवीन पटनायक जी कर रहे थे कि वहां भूख से तड़प-तड़प कर लोग मरते हैं ऐसा भी सुनने में आया है कि एक बहन ने अपनी पन्द्रह साल की लड़की को पचास रुपए में बेच दिया। आरोप-प्रत्यारोप लगाना आसान है लेकिन हम उनके नुमाइंदे हैं जिनको दूध नहीं मिल रहा है और जो भुखमरी के कारण मर रहे हैं देश का एक दृश्य यह भी है। अभी तेईस मार्च को शहीद भगत सिंह की याद में हमने बलिदान दिवस मनाया। मेरे मन में विचार आया कि आज अगर भगत सिंह जी भारत में आकर देश को देखें तो यहां कितनी परेशानी और भ्रष्टाचार व्यापत है और कालाहांडी में उस जगह पर जाएं जहां उनके सामने एक वह मां है जिसने अपनी लड़की को पचास रुपए में बेच दिया। उनसे पूछा—तुम कहां की हो? उसने कहा—मैं भारत की हूं। इस पर भगतसिंह माथा पीट कर बोले कि मैं गलत जगह आ

[श्री शांता कुमार]

गया हूं। यह वह भारत नहीं हो सकता, जिसके लिए हमने फांसी का फंदा चूमा था। यह तस्वीर देश की है। भूख से मुक्ति दिलाने का संकल्प इस नई सरकार ने किया है। भूख से मुक्ति दिलाने के लिए और संकल्प को पूर्ण करने के लिए सहमति की राजनीति का हाथ हमने आपकी तरफ बढ़ाया है। इसमें राजनीति नहीं है। इसमें देश के उन करोड़ों लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्य की बात है।

महोदय, देश में आतंकवाद के कारण भय की जो स्थिति है, उससे राहत दिलाने की आवश्यकता है। उससे मुक्ति दिलाने की बात है। हमने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी बात कही है। *(व्यवधान)* मेरे उधर के मित्र, मैं देख रहा हूं, मुझे देखकर आप जरूर कुछ कहेंगे, मैं जानता था *(व्यवधान)* आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ सुना है, और सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सवाल के बारे में जो दूसरा पक्ष है, वह भी आप सुनें। हिमाचल प्रदेश में पहले कांग्रेस की 68 में से 60 सीटें थी। पूर्ण बहुमत था और जनादेश था, लेकिन अब के चुनाव में कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला। 60 सीट्स के मुकाबले कांग्रेस की 31 सीट्स रह गईं और हमारी 29 सीट्स आईं। हमारे एक माननीय सदस्य का स्वर्गवास हो गया और हमारी 28 सीट्स रह गईं। सुखराम जी ने चुनाव लड़ा और उनकी चार सीट्स आईं। वहां सरकार ने कोई नहीं बना सकता था। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। हिमाचल की जनता ने गैर कांग्रेस सरकार बनाने का जनादेश दिया। ऐसी परिस्थिति के अन्दर-और यह सच्चाई है-सुखराम जी के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लोग कोशिश करते रहे। कांग्रेस के लोग दिल्ली आए थे और उनको अपने साथ लेना चाहते थे। यदि सुखराम जी कांग्रेस के साथ चले गए होते, तो कांग्रेस की सरकार बन गई होगी और इस पर हमारे मित्र कहते कि श्री सुखराम जी अपने घर वापिस आ गए हैं। उनके घर की वापिसी हो जाती। अब वहां सरकार किसी को तो बनानी थी और जनादेश सरकार बनाने के लिए दिया था। *(व्यवधान)* कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुखराम जी उनके साथ नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में जनादेश का पालन करने के लिए और जैसा जनता ने जनादेश दिया था, कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गैर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, उस जनादेश का पालन करने लिए, हमें सरकार बनाने के लिए सहयोग करना पड़ा। आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं, तो आइए कोई नई व्यवस्था करें और आचार संहिता बनायें कि प्रकार के लोगों से कोई हाथ नहीं मिलाएगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, आइए आचार संहिता बनायें और सभी उस पर दस्तखत करें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन वह तो आप करने के लिए तैयार नहीं है। आपको नौका मिला होता, तो आप करते *(व्यवधान)* कांग्रेस के जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, जो नेता चार्ज-शीटेड हैं, वे भी आपकी पार्टी में बैठे हैं। एक ऐसे बड़े नेता को आप कांग्रेस वर्किंग समिति का सदस्य बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हममें से किसी ने ऐसा किया है, तो कहिए और अगर हमारी कमी है, तो बताइए, लेकिन यह भी बताएं, जो पाक हो, साफ हो, जिसने ऐसा पाप कभी न किया हो। चालीस सालों तक आप यह गलत काम करते रहे और गलत कामों से समझौता करते रहे, केवल सत्ता व राजनीति करते रहे। भ्रष्टाचार की कालिख से जिनके घर पूरे के पूरे कालेपन से पुते हुए हों, वे लोग हम पर वार करते हैं, तो यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है।

महोदय, यह तो वही बात हुई कि जैसे महाभारत में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया *(व्यवधान)* अर्जुन जब वार करने लगे, तो कर्ण ने कहा—अर्जुन, मेरा रथ कीचड़ में फंस गया है और धर्म युद्ध का वास्ता दिया तथा कहा कि यह धर्म युद्ध है। तुम अधर्म कर रहे हो। तब अर्जुन ने कहा था, कर्ण, तुम कौरव आज मुझे धर्म सिखा रहे हो। मेरे पुत्र अभिमन्यु का आपने किस तरीके से, अन्याय से वध किया था। लाख का घर बना कर, उसे जला कर अन्याय करने की कोशिश की थी। जुए का खेल रच कर पांडवों को हराने की कोशिश की थी। द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब आपको धर्म की याद नहीं आई। आज आपको धर्म की याद आई है। हमें कहना है तो कहें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे कहें जिन्होंने 40 साल में कोई पाप न किया हो। *(व्यवधान)* जिन्होंने पाप-दर पाप किये हैं, ऐसे लोगों को कोई भी ऐसी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया (झाबुआ) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर 'बैठे मित्रों' से मेरा निवेदन है, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और वहां की विधानसभा में रहा हूं, जहां पर इस किस्म की टोका-टाकी बिल्कुल नहीं होती। *(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया : भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया आज इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री शान्ता कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रतिवाद करने का अवसर अवश्य मिलेगा। कृपया मेरी बात सुनें। आपको इसका प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा। यह सब क्या है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए। आपको भी इसका प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा। यह सब क्या है। श्री शांता कुमार आप अपना भाषण जारी रखें। अध्यक्ष जी को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि पिछले तीन चार दिनों में हमारे सदन में जो चर्चा हो रही है उस पर कुल मिला कर बाहर की टिप्पणी अच्छी नहीं है। मैं किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। सारे सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस है कि अगर किसी माननीय सदस्य को कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना है तो उसका एक तरीका है। उसका संबंध किसी रूल से होना चाहिए। किसी भाषण के बीच में कोई बात कहनी हो, वक्ता यील्ड करता हो तो उससे रिक्वेस्ट करे कि आप यील्ड करें, मुझे कोई बात कहनी है। यील्ड करने पर वह बात कही जा सकती है। इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर हम सदन की कार्यवाही चलाएंगे तो सुविधा होगी, अन्यथा कम से कम इन तीन-चार दिनों में कुल मिला कर इस सदन की छवि अच्छी नहीं रह गई है, यही मेरा अनुरोध है। *(व्यवधान)*

श्री अजित जोगी (रायगढ़): आपका पक्ष इससे सहमत है तो हम बिल्कुल सहमत हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरी सभा के लिए यह कहा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। श्री जोगी अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं मानता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष माहेदय : श्री शान्ता कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में बुनियादी समस्याओं के संबंध में भय, भूख और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। जहां तक बुनियादी समस्याओं का संबंध है, बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं एक बात का विशेष उल्लेख करूंगाा, जिसकी चर्चा कल भी हुई कि पीने का पानी देने की समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

जो हमारा नेशनल एजेंडा है, उसमें उसके लिए पांच वर्ष की अवधि तय की गयी है। यह सचमुच बड़े दुख की बात है कि आदमी को जिंदा रहने के जिस शुद्ध हवा और पानी की जरूरत है वह अभी तक मुहैया नहीं करायी जा सकी है। खैर, हवा तो भगवान देता है लेकिन शुद्ध पानी भी हम आजादी के पचास वर्षों बाद देश की जनता को नहीं दे सके यह अत्यंत दुख की बात है। शुद्ध पानी न मिलने के कारण बीमारियां बढ़ती हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ती है। कल यहां शंका प्रकट की गयी कि पांच सालों में सभी गांवों को पीने का पानी कैसे दिया जा सकता है? मैं समझता हूं कि अगर हममें इच्छा-शक्ति होगी और सबका सहयोग होगा, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार 1977 में बनी थीं मुख्यमंत्री के रूप में वहां मुझे काम करने का मौका मिला था। महोदय, हिमाचल प्रदेश में जहां सबसे अधिक नदियों में पानी बहता है, वहां पीने के पानी की समस्या थी। वहां पर आठ-आठ किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था। कुछ गांव ऐसे हैं जो ऊपर बसे हुए हैं और वहां चार किलोमीटर नीचे जाकर पानी लाना पड़ता था। इस काम में घर का एक सदस्य हमेशा लगा रहता था। वह सदस्य घर से रोटी बांधकर ले जाता था और पीने के पानी के काम में लगा रहता था। जब हमारी सरकार वहां आई, तो उसने इस दिशा में काम किया। जो काम तीस साल में वहां नहीं किया जा सका था वह काम हमने ढाई साल में कर दिखाया। हजारों लोगों को हमने पीने का पानी उपलब्ध कराया। मैं समझता हूं कि अगर इच्छाशक्ति होगी तो यह काम जरूर पूरा होगा।

बुनियादी बातों के साथ-साथ हमारी सरकार ने इस अभिभाषण में यह बात भी कही है कि पांच साल के अंदर हम हर गांव और कस्बे को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। हिमाचल प्रदेश में जब हमने हर गांव में पीने का पानी दिया तो उसके बाद एक सर्वे करवाया कि वहां पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? वहां रिपोर्ट आई कि जिन-जिन गांवों में शुद्ध पीने का पानी मिल गया था वहां पेट की बीमारियां 80 प्रतिशत कम हो गयी थीं। इसलिए इस समस्या को प्राथमिकता देने की बात हमारी सरकार ने कही है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमें आजाद हुए पचास साल हो गये हैं और आजादी की स्वर्ण-जयंती हम मना रहे हैं, कमियों और उपलब्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं। हमारी जो राजनैतिक व्यवस्था इन पाचास सालों में रही है उस व्यवस्था पर आज प्रश्नचिन्ह खड़े हो गये हैं। जो भी लोग आज राजनीति में हैं उनके लिए आज एक चुनौती है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर आज एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है क्योंकि आज राजनेताओं का वह सम्मान नहीं रह गया है जो 50 साल पहले था। पहले इस देश में एक नेता कहता था कि "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा", तो देश के पूरे नौजवान उसके लिए खड़े हो जाते

[श्री शांता कुमार]

थे, लेकिन आज नेता शब्द ही एक गाली बन गया है। लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से आज विश्वास उठ गया है और आस्थाएं टूट रही हैं। *(व्यवधान)* पिछले आठ सालों कितने चुनाव हुए और उन पर कितना खर्च हुआ? आज जरूरत इस बात की है कि पूरी की पूरी राजनैतिक व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाए। इसलिए हमने संविधान की समीक्षा की बात कही है। उसका अर्थ संविधान को बदलने का नहीं है, संविधान की भावनाओं के खिलाफ जाने का नहीं है, अर्थ केवल इतना ही है कि हमारा 50 वर्षों का जो अनुभव है, उसके आधार पर कुछ नया सोचा जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए। बार-बार के चुनाव, अस्थिरता, दल-बदल, भ्रष्टाचार—इन सारी समस्याओं पर फिर से विचार करने की जरूरत आज पैदा हुई है।

कल यहां पर शक किया गया कि संविधान की समीक्षा का विचार लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, उससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। संविधान की समीक्षा लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, खतरा तो वैसे ही पैदा हो गया है—राजनैतिक व्यवस्था जिस ढंग से आज टूट रही है, लोगों को विश्वास इस व्यवस्था से जैसे हिल रहा है, उसको बहाल करने के लिए यह जरूरी है कि संविधान की समीक्षा की जाए केवल प्रमुख विद्वान ही नही, आज गांव का व्यक्ति कहता है कि बार-बार चुनाव के लिए मत आओ, दिल्ली जाकर काम करो। वे हम से पूछते हैं कि हर छ: महीने में क्यों चुनाव हो रहे हैं? आम आदमी अनुभव कर रहा है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि एक आयोग बनाया जाएगा और वह जो सिफारिशें करेगा, उनको लेकर हम यहां आएंगे। संविधान में टू-थर्ड मैजोरिटी के बिना किसी किस्म का संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में 80 संशोधन किए जा सकते हैं। आज की आवश्यकता के मुताबिक यदि कुछ और संशोधन आवश्यक हों तो वे संशोधन करने की बात इस अभिभाषण में कही गई है।

अध्यक्ष महोदय, सरकारियां आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने की बात एक महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी है क्योंकि मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ न्याय नहीं कर सकी है। मुझे दो बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला है। मैंने आज तक प्रदेश की राजनीति की है। प्रदेश में रहने वाले यह अनुभव करते हैं कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। और कई सदस्यों को विचार व्यक्त करने हैं।

(व्यवधान)

श्री शांता कुमार : मैं प्रस्तावक हूं। मुझे समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने अधिकतम समय आधे घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया है। अभी अन्य माननीय सदस्यों को भी विचार व्यक्त करने हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री शांता कुमार : मैं और दस मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया था कि मैं प्रस्ताव रख रहा हूं तो मुझे बोलने का ज्यादा समय मिलेगा। मैं दस मिनट में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि केन्द्र से राज्यों को न्याय नहीं मिलता। विकास करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है लेकिन वित्तीय अधिकार केन्द्र में सीमित हो गए हैं। सरकारियां कमीशन की रिपोर्ट आए वर्षों हो गए हैं। उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। जरूरत इस बात की है कि राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाएं। मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने वी.डी.आई.एस. स्कीम के अन्तर्गत लगभग तीन-साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के अलावा एक हजार करोड़ रुपए और दिए। उन्होंने कुल करों का 29 परसैंट राज्यों को देने के लिए कानून बनाने का आश्वासन दिया है। यह काम बहुत आश्वस्त है क्योंकि राज्य अपने विकास की सारी स्कीमों को तभी अच्छी तरह से चला सकते हैं। राज्यों को वित्तीय अधिकारों के साथ-साथ स्वायत्तता देने की भी जरूरत है। मैं जब मुख्यमंत्री था, हमारी हमेशा यह शिकायत रहती थी कि वर्षों तक मामले लटकते रहते हैं। अपने प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग शुरू करने के लिए परमिशन और कई मंत्रालयों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसकी वजह से वर्षों तक मामले लटकते रहते हैं। उसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन सुधार नहीं हुआ। उदारीकरण की जरूरत केवल इकोनमिक क्षेत्र में ही नहीं है, उसकी जरूरत यहां भी है। प्रदेशों को अपने यहां प्रोजैक्ट और उद्योग लगाने की स्वायत्तता हो, स्वतंत्रता हो। उसमें बिना कारण केन्द्र की ओर से अड़चन न डाली जाए। स्वीकृति देने की लालफीताशाही से उन प्रोजैक्ट्स को न लांघा जाए। यह बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमने इस अभिभाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात की है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। हिमालय के आंचल में कुछ छोटे-छोटे राज्य बसे हैं—जैसे हिमाचल है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नार्थ ईस्ट के दूसरे प्रदेश हैं। ये छोटे-छोटे प्रदेश हैं। उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं। हिमाचल प्रदेश में जब बर्फ पड़ती है तो पूरे का पूरा मेरा जिला लाहौल स्पीति जो कि चीन के साथ लगता है, वह बंद हो जाता है। वहां सड़क बनाने का खर्च ज्यादा आता है, रख-रखाव का खर्च ज्यादा आता है। उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आज गंगा को साफ करने की परियोजना चली है, यह एक अच्छी योजना है। गंगा हिमालय से निकलती है। पर्यावरण का बहुत बड़ा खतरा हिमालय के लिए पैदा हो गया है। हिमालय की रक्षा देश के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बार-बार कहता रहा कि इस देश को एक राष्ट्रीय हिमालय नीति बनानी चाहिए। हिमालय की रक्षा करना भारत की रक्षा के लिए जरूरी है। हिमालय की रक्षा हिमालय के आंचल में बसे छोटे-छोटे प्रदेश नहीं कर सकते। इसके लिए भारत सरकार को विशेष सहायता देनी चाहिए ताकि हिमालय जो भारत का प्रहरी है, भारत के जीवन का आधार है, उसकी रक्षा हो सके। इसके लिए छोटे-छोटे राज्यों की, जो सीमा पर बसे हैं, मदद की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में राज्यपाल की भूमिका के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। राज्यपाल के पद की गरिमा को बहाल किया जाए और राजभवन का उपयोग किसी प्रकार की राजनीति के लिए न किया जाए। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 1992 में हमारी सरकार थी।

अयोध्या में एक घटना घटी। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। एक मच्छर भी नही मरा। पूर्ण शांति रही लेकिन हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश से हमारी पार्टी के एक विधायक अयोध्या गए थे। वापस आकर उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ने में मैंने हिस्सा लिया है। दूसरे दिन हमारी सरकार ने अपने ही विधायक को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी हमारी सरकार को भंग किया गया और उस समय जिन राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार को भंग किया था, आज वही श्री वीरेन्द्र वर्मा जी इस लोक सभा के सदस्य हैं और मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा को भंग करने के दो दिन पहले जब पत्रकारों ने पूछा था तो उस समय के राज्यपाल महोदय ने कहा था कि हिमाचल की सरकारी संविधान के मुताबिक चल रही है। ला एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है लेकिन दो दिन के बाद पता नहीं किस दबाव में, किस तरीके से उनसे रिपोर्ट ली गई और हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इस पद का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए और शायद इसीलिए कुछ दिनों के बाद उस वेदना के कारण, उस परिस्थिति के कारण राज्यपाल के पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन मुख्य बात यह है कि आज देश के सामने पचास सालों के बाद जो गरीबी की समस्या है जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पिछड़ेपन की समस्या है, जो गांवों में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये समस्याएं हैं। उन समस्याओं के प्रति हम सबकी मिली-जुली प्रतिबद्धता है। क्या यह पांच साल हम उन गरीबों के लिए समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बुनियादी समस्याओं के साथ-साथ आम सहमति की बात कही है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया है कि एक नया अध्याय देश की राजनीति में शुरू हो, देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में हम पार्टियों की दीवारों से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करें। देश का गरीब हमसे यह अपेक्षा कर रहा है। चर्चा हो रही है कि ऐटम बम बनाया जाए या न बनाया जाए। लेकिन देश के अंदर 34 करोड़ लोग गरीब हैं, कालाहांडी के अंदर बच्चों को बेचने वाले माता-पिता, बेरोजगारी की आग में झुलसती हुई जवानी, यह भी एक ऐटम बम है जो हमारे घर में रखा गया है। वह ऐटम बम बने या न बने यह सवाल तो अलग है लेकिन इसका क्या होगा इस पर सबको मिलकर विचार करना होगा। देश का गरीब अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। नेताओं के भाषणों का बेरोजगार ज्यादा इंतजार नहीं करेगा इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभिभाषण में जो सहमति की राजनीति का हाथ विपक्ष की ओर बढ़ाया गया है, मैं आश करूंगा कि उसमें आपकी तरफ से रचनात्मक योगदान होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन पारित करे, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे आदरणीय साथी श्री शांता कुमार द्वारा प्रस्तावित भारत के माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर देने के लिये मुझे बुलाया जाना मेरे सार्वजनिक जीवन की एक यादगार घड़ी है।

माननीय राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए विश्वास का संदेश, भारत के लोगों के समृद्ध भविष्य का संदेश दिया, जो श्री अअल बिहारी वाजपेयी की कार्यसूची, इस सरकार की नीतियों और उन निर्णयों को स्पष्ट करता है, जो प्रमाणिकता और अपराजेयता के साथ श्रेयस्कर और सफल सिद्ध होंगे।

महोदय, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले श्री शांता कुमार का अभिभाषण धानपूर्वक सुन रहा था। हमें 1947 से पांच दशकों की अवधि में जो कुछ हुआ है, उसका लेखा-जोखा रखना चाहिए। भारत के रत्न दिवंगत पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में अशोक चक्र वाला तिरंगा लहराया, जब समस्त विश्व सो रहा था। मुझे उनके शब्द याद हैं कि हमने नियति से मिलने का वायदा किया है।

महोदय, पण्डित नेहरू दूरदर्शी और हमारे समय के युगपुरुष थे। जब हम यह देखते हैं कि आधे दशक हमने क्या पाया, तो निःसंदेह हमने सफलता और असफलता दोनों का सामना किया है। हमारी बहुत-सी उपलब्धियां हैं, किन्तु हमने फिलताओं और चुनौतियों का भी सामना किया है। पण्डित नेहरू भी इस तथ्य से अवगत थे कि हमने निराशाओं और असफलताओं का सामना किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राबर्ट फ्रास्ट की कविता को देखा, जिसे वे अपने सम्पूर्ण जीवन में गाते रहे। मैं उस कविता को उद्धृत करता हूं :

"दी वूड्स आर लवली, डार्क एण्ड डीप,
बट आई हैव प्रॉमिसिस टू कीप,
एण्ड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप,
एण्ड माल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।"

महोदय, स्वतन्त्रता के पांच दशकों के बाद, जब हमने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं और एकवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, यह सुनकर और पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग भूख और बीमारी से मरते हैं, क्योंकि उन्हें उचित चिकित्सीय चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होती। कुछ माताओं को भोजन के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ता है, जो उन्हें नहीं मिलता। महोदय, लोगों को अपने सिर पर बिना छत के प्लेटफार्म और फुटपाथों पर सोना पड़ता है। निःसंदेह हमने औद्योगिक विकास में, सैन्य दलों को सुदृढ़ करने में सराहनीय प्रगति की है। निःसंदेह पी.एल.-480 और खाद्यान्न के लिए दूसरों पर निर्भरता के दिन लद गए। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। हम अपने खाद्यान्न निर्यात करने के योग्य हैं। इसका पूरा श्रेय केवल कृषकों को जाता है, किसी अन्य को नहीं। किन्तु मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि इस देश के खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाले किसानों, कृषकों की शोचनीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह अपने आपको ऋण और निर्धनता की गिरफ्त से मुक्त नहीं करवा पाया और वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाया। उसकी दयनीय स्थिति लगातार बनी हुई है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस मामले पर विचार किया गया। अत: इसमें यह कहा गया है कि निवेश में कमी के कारण कृषि को नुकसान हुआ। सरकार इस कमी को रोकेगी और हमारी अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण घटकों के लिए योजना निधियों का 60 प्रतिशत तक निर्धारित करेगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक सहायता जारी रहेगी किन्तु वह बेहतर ढंग से लक्षित होगी।

[श्री वैको]

सरकार हमारे किसानों को समृद्धता के फल का आनन्द उठाने वाले सुदृढ़ और आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में पुन:स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। किसान जब अपने खेतों में भूमि की सिंचाई के लिए जाते हैं तो रात्रि में भी वे सांप और बिच्छू का सामना करते हैं। वे रात-दिन परेशानी उठाते हैं। यदि उनकी दुर्दशा को नहीं मिटाया जाता और यदि उन्हें बेहतर जीवन का आश्वासन नहीं दिया जाता तो आप कल्पना कीजिए कि यदि वे हड़ताल कर दें, तो फसल नहीं होगी। यदि वे खेती करना छोड़ देते हैं तो क्या होगा? अत:, यह सरकार, इस देश के किसानों और कृषकों के योगदान के लिए उनका सम्मान करेगी।

बारहवीं लोक सभा के चुनाव परिणामों से यह बात सामने आई है कि प्रादेशिक आकांक्षाएं इस देश की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे आई हैं। अत: परिवर्तनों के अनुसार हमें इस प्रादेशिकता का सामना करना है। प्रादेशिक आकांक्षाओं के प्रान्तीयता के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह सरकार, गहरे विचार और सोच के बाद, राज्यों की अधिक संसाधनों के आबंटन की मांग को पूरा करने के लिए आगे आई है। साथ ही आज हमें दोहरी चुनौती का सामना करना है; एक जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और दूसरा बेरोजगारी शिक्षित और अशिक्षित, दोनों की गंभीर समस्या। अन्यथा निराश और कुंठित युवा उग्रवाद को जन्म दे सकते हैं।

अपराह्न 12.38 बजे

[श्री **पी०एम० सईद** *पीठासीन हुए।*]

हम वयस्क मताधिकार को मान्यता देते हैं। हाल ही के वर्षों में, संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की एक उचित मांग उठाई गयी है। इस सरकार ने वचन दिया है कि लम्बित विधान तत्काल लिए जाएंगे। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि दलों की सीमाओं को तोड़कर उन विधानों के समर्थन के लिए सामने आएं, जिन पर समस्त देश की निगाहें जमी हुई हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उसी रूप में।

श्री वैको : हां, ऐसा किया जा सकता है जैसा कि समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं का सम्मान करने का वायदा किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि जब इस तरह का निर्णय लिया जाएगा तो सभी दलों को विश्वास में लिया जाएगा।

सामाजिक न्याय का नारा एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि हाल ही के वर्षों में राजनीतिक कार्यक्षेत्र में आया है। संविधान में पहले संशोधन द्वारा रोजगार के अवसरों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण किया गया था किन्तु ऐसे कई राज्य हैं, जहां इस सम्बन्ध में समस्या है।

हमें एक बात को स्वीकार करना तथा उस पर सहमत होना है। सामाजिक न्याय लाने के लिए पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसुचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को बनाए रखा जाना चाहिए। मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रारम्भ हुआ था। इसका *'थंथाई पेरीयार' जो सामाजिक न्याय और विवेकपरता के महान क्रांतिकारी थे और हमारे स्वर्गीय महान नेता तमिल मातृ के महान सपूत, शताब्दियों से तमिल लोगों के युग पुरुष, अरिगनार अन्ना न केवल कांग्रेस पार्टी के अपितु पूरे देश के महान नेता पेरूनथलाईवर कामराज* को जाता है। वर्ष *1950-51* के दौरान, हमारे आन्दोलन और श्री कामराज के समझाने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मांग स्वीकार की और पहला संशोधन लाया गया था।

आज हमने इस अभिभाषण में एक वचन दिया है कि सरकार राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का विद्यमान प्रतिशत बनाए रखने के लिए सभी यथोचित उपाय करेगी। यह एक समस्या बन गई है। 1994 में, डा० जयललिता के कुशल नेतृत्व में तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से तमिलनाडु में एक विधान पारित किया। इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखने के लिए संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। किन्तु आज आवश्यकता यह है कि न केवल गारन्टी देने बल्कि राज्यों को राज्य विधान सभा के निर्णय अनुसार आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि 69 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में बहुत-सी रुकावटें खड़ी की गई हैं। मैं कई राजनैतिक दलों के उन माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में समर्थन के लिए अनुरोध करता हूं और अपेक्षा रखता हूं, जिन्होंने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने सम्बन्धी विधान का समर्थन किया है। जब-जब संसद के समक्ष ऐसा यथोचित विधान लाया जाए, तो मैं माननीय सदस्यों से उस विधान का भी समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

विवादों के प्रभावकारी तथा शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति का प्रस्ताव किया गया है तथा इस अवार्ड को समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय श्री पी० ए० संगमा जी ने इस वायदे के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया है। किन्तु अलग-अलग देशों की सीमाओं में आने वाली नदियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में जो अवधारणा बताई गई है उसे ध्यान में रखकर हमें एक राष्ट्रीय जल नीति बनानी होगी।

आज, मुझे गर्व और प्रसन्नता है। आरिगनर अन्ना के शब्द जो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, मुझे याद आ रहे हैं। 1963 में, जब राज्य सभा की दीर्घा में अनेक लोक सभा सदस्य बैठे हुए थे तो अन्ना ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था। मुझे उनके शब्द याद हैं और उन्हें मैं यहां उद्‌धृत कर रहा हूं :

> ''मैं यह कभी नहीं भूल सकता कि मेरी भाषा जिसे 'तमिल' कहते हैं, अत्यन्त प्राचीन है। मैं तब तक सन्तुष्ट नहीं हो पाऊंगा और रह भी नही पाऊंगा जब तक कि वह भाषा जिसे मेरे पूर्वज बोला करते थे, जिसमें मेरे कवियों ने उपदेश दिए और धर्म ग्रन्थ लिखे गए, जिसमें अपार ज्ञान से परिपूर्ण उच्च कोटि का लेखन और साहित्य रचा गया, को भारतीय संघ में राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिल जाती।''

महोदय, इन वर्षों में इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए गए। अब शुरुआत हुई है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमने इस दिशा में कदम उठाया है। हमने कहा है :

''सरकार एक समिति का गठन इस बात के अध्ययन के लिए

करेगी कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 18 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं।''

विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री चन्द्रशेखर ने इस आश्वासन के बारे में कुछ आशंका और संदेह व्यक्त किया था। सदन में किसी भी पक्ष द्वारा मेरी बात को गलत रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के रख रहा हूं। तमिल में अरिवुदाईमाई के अध्याय 43 में एक दोहा अथवा कुराल है :

''इप्पोरूल यारयावइ केटपिनम एप्पोरूल
मयेपोरूल कनबा घारिवी।''

इसका अभिप्राय: यह है कि सत्य को हर स्थान व हर एक व्यक्ति से जानना ही बुद्धिमता है। यह एक बहुत बड़ा देश है जिसका भू-भाग भी बहुत बड़ा है। जनसंख्या वृद्धि में भी हम चीन का मुकाबला कर रहे हैं। यह महान देश सदैव एक एकता के सूत्र में पिरोया रहना चाहिए। मैं अपनी पार्टी मारूमालारची द्रविड़ मुनेत्रकषगम की ओर से यह कहना चाहूंगा कि हम भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध हैं। इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किन्तु हम अतीत को नहीं भूल सकते।

मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा मुगल वंश के लोग यहां रहते थे। इनके पश्चात अंग्रेज लोग भारत आए। तब तक यह वृहत भू-भाग जो कि हिमालय की ऊंची चट्टानों से लेकर कन्याकुमारी के पवित्र तटों तक फैला है, एक देश नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अंग्रेजी शासनकाल की अनेक बुराइयां गिन सकते हैं, किन्तु उस राज का एक बड़ा योगदान भारत की एकता है। क्योंकि हमारा देश अनेक धर्मों, अनेक भाषाओं और अनेक जातियों का देश है इसलिए सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें समान अवसर और समान दर्जा दिया जाना चाहिए। सम्पूर्ण देश की जनता में समानता की भावना लाई जानी चाहिए।

महोदय, धर्म जोड़ नहीं सकता। यूरोप में अनेकों राष्ट्र हैं किन्तु ईसाई मत उन्हें जोड़ नहीं सका। भारत में अनेक धर्म और मत हैं। आप कह सकते हैं कि क्या यह व्यावहारिक है? किन्तु हमें एक भाषा के आधिपत्य को अन्य लोगों पर थोपे जाने के खतरों और चुनौतियों का आकलन करना चाहिए।

महोदय, सोवियत संघ में क्या हुआ? उन्होंने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति की। किसी समय वह महाशक्ति था तथा उसकी बराबरी अमरीका से होती थी तथा कई क्षेत्रों में वह अमरीका से भी आगे था। किन्तु सोवियत संघ का क्या हुआ? युगोस्लाबिया में क्या हुआ? ऐसा भारत में कदापि नहीं होगा और नहीं होना चाहिए।

अत:, युगोस्लाबिया में जो कुछ हुआ उसकी पुनरावृत्ति यहां नहीं होनी चाहिए और न ही होगी। जो कुछ भी सोवियत संघ में हुआ वह यहां नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। अत:, श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की यह एक अच्छी शुरुआत है। पंडित नेहरू ने गैर-हिन्दी भाषी लोगों को यह विकल्प दिया था। इसलिए हम में अंग्रेजी के प्रति असन्तोष नहीं है, वह भी जारी रहनी चाहिए और तब तक सभी भाषाओं को समान अधिकार होना चाहिए। इसके लिए मैं वाजपेयी सरकार द्वारा उठाए गए इस प्रशंसनीय कदम की प्रशंसा करता हूं।

यहां बैठे हमारे मित्रों को बल्कि सारे देश में हमारे मित्रों को किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम पूरी तरह इस संविधान को बदलकर एक नया संविधान ला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संविधान में कम से कम अस्सी बार संशोधन हो चुका है। संविधान सभा के वाद-विवादों में इसके अन्तिम चरण के दौरान डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस मुद्दे को अपनी विद्वता के अनुसार स्पष्ट किया है। मैं, संविधान सभा में 25 नवम्बर 1949 को उनके द्वारा दिए गए भाषण को उद्धृत कर रहा हूं :

''सभा ने इस संविधान पर परिपूर्ण और अचूक होने की मोहर नहीं लगाई है, जिससे लोगों को कनाडा की भांति संविधान में संशोधन करने के अधिकार से वंचित नहीं किया है अथवा अमरीका और आस्ट्रेलिया की भांति संविधान संशोधन के लिए विशेष शर्तें नहीं लगाई हैं अपितु संविधान संशोधन करने के लिए एक अत्यन्त सरल प्रक्रिया दी है।''

इतना ही नहीं, उन्होंने आगे आने वाली परिस्थितियों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखा। अत: संविधान संशोधन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संशोधन को अनन्य अन्तिमता दिए बिना, उन्होंने कहा :

''जेफरसन महान अमरीकी नेता जिन्होंने अमरीकी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जिनको संविधान निर्माता अनेदखा नहीं कर सकते, एक स्थान पर उन्होंने कहा—

''हम हर पीढ़ी को अधिकार के रूप में बहुमत की इच्छा से एक अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें बांधने के बारे में सोच सकते हैं परन्तु भावी पीढ़ी को, किसी अन्य देश के नागरिकों को कोई नहीं बांध सकता।''

मैं वाक्य को दोहराता हूं, ''हम प्रत्येक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र मान सकते हैं।'' अत: हम आने वाली पीढ़ी को बाध्य नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी का नजरिया अलग हो सकता है। अत: इसमें लचीलापन होना चाहिए। संविधान में संशोधन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में आस्ट्रेलिया अथवा कनाडा अथवा अमरीका के संविधान की तुलना में संशोधन की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल बनाया गया।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि आपका मत निष्पक्ष है तो संविधान की पुनरीक्षा इसके मौलिक ढांचे में परिवर्तन किए बगैर की जा सकती है। मूल ढांचे को उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के इन महत्वपूर्ण नए आयामों पर ध्यान दिया गया है। ''प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और भयमुक्त महसूस करने का अधिकार है।''

रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है कि

''व्हेयर द हेड इज हैल्ड हाई,
व्हेयर द माईन्ड इज फ्री फ्रॉम फीयर,

[श्री वैको]

इज दैट हैवन ऑफ फ्रीडम,
लेट माई कन्ट्री अवेक।''

अत: हमें भूख, अज्ञानता और भय से मुक्त होना चाहिए।

भय और आशंका से मुक्ति के लिए तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, सरकारी मशीनरी पर नियन्त्रण रखते हुए हमें और अधिक सतर्क रहना होगा। जब हवाई जहाज अत्यन्त देरी से कोयम्बटूर पहुंचा तो लोगों ने राहत की सांस ली और उन्हें प्रसन्नता हुई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने शब्दों में कहा, ''भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मैं बच गया।'' प्रकृति के आशीर्वाद से वह उस दिन हवाई जहाज के विलम्ब से पहुंचने के कारण बच गए। 60 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इन आंकड़ों में हिन्दू और मुसलमान बच्चे भी थे जो कि 4 या 5 रुपये की जीविकोपार्जन के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहे थे। वे भी मारे गये। कोयम्बटूर के सभी अस्पतालों में प्रत्येक युवक, हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को सांत्वना देने के लिए मैं गया। जब उनके जख्मों में रक्त बह रहा था और वे चिल्ला रहे थे, मैं उनके पास था। मैं उनके आंसुओं में उनका भागीदार रहा। मैं उनके दुख में सम्मिलित हुआ। एक हिन्दू युवक के साथ-साथ एक मुसलमान युवक भी लेटा हुआ था। वे गरीब परिवार से थे। वे घर लौट रहे थे। और जब वे बैठक वाले स्थान पर पहुंचे, तो बम विस्फोट हो गया। कोयम्बटूर की गलियों में रक्त बह रहा था।

कल्पना कीजिए कि अगर श्री आडवाणी को कुछ हो जाता तो क्या होता। यहां तक कि मैं भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या होता। सैंकड़ों 'नौरवाली' जैसी घटनाएं घटित होतीं। खून की नदियां बह गई होतीं और बड़ी संख्या में नरसंहार होता। भाईचारा बढ़ाने के बजाय, लोगों ने एक-दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लिए होते। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि राज्य सरकार, जिसे तमिलनाडु में जिम्मेदार होना चाहिए था वह अपने कर्तव्य-निर्वहन में असफल रही है।

श्री टी० आर० बालू (मद्रास-दक्षिण) : जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं है *(व्यवधान)*• यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बालू, खण्डन करने का यह उचित तरीका नहीं है। जब आपको बोलने का मौका मिले, तब आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वैको, आप और कितने मिनट लेंगे?

श्री वैको : मैं केवल दस मिनट और लूंगा *(व्यवधान)* मैं मध्याह्न भोजन के बाद बोलूंगा।

सभापति महोदय : श्री बालू, अगर आप किसी बात का खण्डन करना चाहते हो तो जब आपको बोलने का अवसर मिले तब आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : *मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर कुछ आपत्तिजनक हो तो आप नि:संदेह, नियमों के अनुसार इसे उठा सकते* हो। यदि आपका प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न हो तो आप इसे उठा सकते हैं। अगर यह आपत्तिजनक हो, तो आप इसे पीठासीन अधिकारी के नोटिस में ला सकते हैं।

लेकिन उन्होंने केवल सरकार पर आरोप लगाए हैं। यदि आप चाहते हैं, तो जब आप बोलें तब ब्यौरा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

यह उचित तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए, अन्यथा सभा की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए।*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

सभापति महोदय : श्री वैको अपना भाषण ज़ारी रखें।

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, दिसम्बर, 1997 में तमिलनाडु में यात्री गाड़ियों में तीन बम-विस्फोट हुए, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इन अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दु:खद घटनाओं में एक नौजवान, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने चेन्नई गया था मारा गया। गरीब माता-पिता, जो यह सपना देख रहे थे कि उनका बेटा एक दिन आई.ए.एस. अधिकारी अथवा कलक्टर बनेगा, को उसने मृत पुत्र के शरीर के टुकड़े देखने को मिले।

महोदय, सालीमंगलम में गंभीर बम-विस्फोट, जिसमें चार लोग मारे गए थे, के परिणामस्वरूप खुफिया ब्यूरो ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं, विशेष तौर पर, श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी पर आक्रमण करने और उन्हें मारने की घ्रणित योजना का पर्दाफाश किया। हमने तमिलनाडु का नाम सुर्खियों में देखा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक शिकायत दर्ज की सरकार को, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक अभ्यावेदन दिया।

उस दिन कोयम्बटूर में बम-विस्फोटों में साठ से ज्यादा लोग मारे गए थे, विशेष तौर पर हवाई अड्डे और बैठक वाले स्थान के बीच

•यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक के बाद एक 25 बम विस्फोट हुए थे। सरकारी अस्पताल में एक बम-विस्फोट में एक महिला परिचारिका सहित अनेक लोग मारे गए थे। संभावित रूप से मंच पर हुए आक्रमण से बचने के बाद अगर श्री आडवाणी को अस्पताल ले जाया जाता तो वहां उन पर आक्रमण करने और उनके मारने की योजना और षडयंत्र रचा गया था। कितनी दु:खद और भयावह घटना घटित होती।

महोदय, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री माननीय डा० करुणानिधि ने अविवेकी और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया कि तमिलनाडु के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से आ रहे साधुओं और संन्यासियों का पीछा करना चाहिए था। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : जी नहीं, यह सच नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री वैको : यह वक्तव्य डा० करुणानिधि का था। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एस०एस० पालानीनिकम (थंजावूर) : यह बिल्कुल निराधार आरोप है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री वैको : तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, वह एक बार नहीं बल्कि कई बार समाचार-पत्रों में आया है। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : यह निराधार है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बालू जी, आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैंने डा० एम० करुणानिधि के शब्दों को हूबहू उद्धृत किया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, आप कृपया

(व्यवधान)

श्री वैको : ''पंडारा पारार्डेसीगाल वाडाक्किया इरून्दू वारूगिरा-वारगाल वीरट्टापडावेन्डुम''। यहां पर पंडारा पारार्डेसीगाल का तात्पर्य है भाजपा और यह कि जो उत्तर से आ रहे हैं उन्हें तमिलनाडु की भूमि से भगाया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यहां सभा में उपस्थित नहीं हैं। उनका नाम यहां नहीं लिया जा सकता। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गिरि, आप किस नियम के अंतर्गत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है *(व्यवधान)* यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, श्री गिरि, वे कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गिरि, वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर प.ब.) : मुख्यमंत्री का वक्तव्य समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था। यह कहां तक औचित्यपूर्ण है *(व्यवधान)* यह कहां तक प्रामाणिक है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए।

वह मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री वैको क्या आप समाचार-पत्र की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे हैं या आप किस वक्तव्य का हवाला दे रहे हैं?

श्री वैको : महोदय, मैं जिम्मेदारी लेता हूं *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी (ए०वी०एस०एम०) : पिछले दो दिनों से विश्वास मत पर चर्चा के दौरान, ये सदस्य समाचार-पत्रों की खबरों को उद्धृत कर रहे हैं, क्या आपने इस पर आपत्ति की? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बी० सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : यह तमिलनाडु के जीवन और मृत्यु का सवाल है।

सभापति महोदय : सिर्फ वैको को ही बोलने की अनुमति दी गई है।

श्री टी०आर० बालू : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे उससे निकाल देना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री वैको : क्या ये लोग कहेंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये शब्द कभी कहे ही नहीं हैं? उन्हें पहले यह कहने दीजिए और मैं बात मान जाऊंगा। उन्हें यह कहने दीजिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये शब्द कभी नहीं कहे थे। उनका यह कथन कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए, मेरा यही तात्पर्य है *(व्यवधान)* इस मामले में मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : डी.एम.के. का वक्तव्य आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : *इस तरह की टिप्पणियां मत कीजिए। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।*

(व्यवधान)•

सिर्फ श्री वैको के भाषण को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह एक संवैधानिक मुद्दा है *(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति महोदय, कृपया क्या आप हमारे माननीय सदस्यों को समझायेंगे कि यह चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही है, इसका राज्यों की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें अपने इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? *(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है *(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य, श्री राम नाईक नियम-समिति में थे और हम भी उसमें उपस्थित थे *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी, कृपया बैठ जाइए। गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : सभापति महोदय, यदि श्री बलराम जाखड़ ने जो कहा, वह न कहा होता तो मैं न बोला होता। अभी जो चर्चा चल रही है वह तमिलनाडु राज्य से सम्बन्धित नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वह बात कही है जो कि मेरे सहयोगी ने अभी कही है।, मैंने इसे पढ़ा नहीं है। यदि ऐसा नहीं कहा गया है तो दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य इसका खण्डन करने के लिए स्वतन्त्र हैं कि यह नहीं कहा गया है और मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : श्री वैको को इस तरह से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्हें मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सभा का समय बरबाद नहीं करना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवानी : सरकार को वहां की स्थिति या हाल की घटनाओं के बारे में जो कुछ भी कहना है, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से कल कहूंगा, लेकिन आज की बात बहुत सीमित है, क्या इस तरह का वक्तव्य—जो कि स्पष्टत:—बहुत ही आपत्तिजनक वक्तव्य है—दिया गया है या नहीं। यदि इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया गया है तो आप इसका खण्डन कर सकते हैं और यदि ऐसा कहा गया है जैसा कि उन्होंने कहा है, तो इसे उसी तरह रहने दें और यहीं पर बात समाप्त हो जाती है *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : माननीय सदस्य श्री वैको उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करने या सभा पटल पर रखने में समर्थ नहीं हैं। वे बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। किसी आरोप को लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके समर्थन में नियमानुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

•कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : *श्री वैको, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।*

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, समाचार-पत्र की खबर मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है? मैं यह माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं और सभा *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री ई० अहमद, क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है? अन्यथा, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, सामान्यत: आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लगाए जाते जो सभा में उपस्थित नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे मालूम है। वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह एक वक्तव्य का जिक्र कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : वक्तव्य कहां है? वे इसे प्रस्तुत करें? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, मैं सभा की कार्यवाही को देखूंगा। यदि उसमें कोई चीज आपत्तिजनक होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा पर यह मामला कितना तर्कसंगत है? *(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, श्री आडवाणी का जीवन खतरे में था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद, वह बात नहीं मान रहे हैं, आपको केवल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना होगा।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, श्री आडवाणी का जीवन खतरे में था *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, हमने एक इतिहास रचा है। संसद में, प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है। आप उन्हें केवल प्रासंगिक बात कहने के लिए कहें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, आपको इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। यदि आप इसका उल्लेख करना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति लेनी होगी।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, मेरा कहना यह है कि उन दिनों समूचे तमिलनाडु में पुलिस के हाथ बांधे हुए थे और यदि सरकार की ओर से बिना किसी व्यवधान अथवा रुकावट के कार्यवाही करने की इजाजत दी गई होती तो वे वही कार्यवाही पहले भी कर सकती थी जो उन्होंने इस त्रासदी के बाद की *(व्यवधान)* वे मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? वे अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं और ऐसा करने का उन्हें पूरा हक है और अपने विचार प्रकट करने का आपको भी पूरा हक है।

श्री टी०आर० बालू : मैं मानता हूं, महोदय। वे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कोई संगत रिकार्ड प्रस्तुत किए बिना उन्हें कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, श्री वैको आपको अपनी बात खत्म करनी चाहिए।

श्री वैको : पुलिस के हाथ बंधे हुए थे।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री वैको : मेरा समय तो व्यवधानों में ही चला गया।

सभापति महोदय : भोजन से पूर्व आपने कहा था कि आप केवल 10 मिनट बोलेंगे।

श्री वैको : लेकिन मुझे एक वाक्य भी पूरा नहीं करने दिया गया। मैं क्या करूं?

सभापति महोदय : पहले ही 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री वैको : यह मेरी गलती नहीं है। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तमिलनाडु सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि पर, इस नरसंहार को न रोकने के लिए कर्तव्य की अवहेलना और आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाता हूं *(व्यवधान)* मैं पुनः अपनी पूरी शक्ति के साथ तमिलनाडु सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पर कर्तव्यहीनता का आरोप लगाता हूं।

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, श्री ई० अहमद का व्यवस्था का प्रश्न है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप उसके बाद बोल सकते हैं।

श्री ई० अहमद : महोदय, नियम 352 के उपखण्ड (पांच) के अन्तर्गत, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो *(व्यवधान)*। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री वैको : राजनैतिक दलों के सभी नेतागण *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : महोदय, कृपया मुझे कहने की अनुमति दें कि इस नियम की व्याख्या टिप्पणी में भी यह लिखा है कि *(व्यवधान)*

श्री वैको : *वे यह क्यों भूल गए हैं कि राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या कहा है। (व्यवधान)*

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : *वे किसी व्यक्ति* विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : शब्द 'उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति' से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप से तैयार किए गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री वैको : यह बड़ा अच्छा व्यवस्था का प्रश्न है! महोदय लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या विश्वास मत पर चर्चा के समय श्री ई० अहमद सभा में मौजूद थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री ई० अहमद यहां मौजूद थे या नहीं। राजनैतिक दलों के अन्य नेताओं ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध सभा में अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया उन्हें इसकी व्याख्या करने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरा कहना यह है कि जब वे एक राज्य के मुख्यमंत्री के आचरण का उल्लेख कर रहे हैं तो उन्हें जरूरी दस्तावेजों के साथ यहां आना चाहिए था और सभा के समक्ष उन दस्तावेजों को प्रमाणित करना चाहिए था। *(व्यवधान)* तब उनके ऐसा कहने की सम्भावना बनती है।

श्री वैको : यह है वह दस्तावेज जिसमें साफ लिखा है कि क्या हुआ है। आप और क्या दस्तावेज चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कुछ और लोग मारे जाएं।

श्री ई० अहमद : श्री वैको, आप उल्लेख कर सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री ई० अहमद, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वैको आप उल्लेख कर सकते हैं लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री वैको : महोदय मैंने कहा कि कर्तव्यहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण यह तबाही हुई। महोदय, जो भी अपराध को बढ़ावा देता है अथवा अपराध के लिए प्रेरित करता है, उस पर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।

अतएव, जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया, इस नरसंहार को रोकने में असफल रहे, उन पर भी अभियोग चलाया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, इनके द्वारा दिया गया पूरा बयान रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए *(व्यवधान)* यह संगत नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, हम सम्पूर्ण कार्यवाही को देखेंगे और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है, तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। कृपया अब उन्हें आगे बोलने दें।

श्री वैको : महोदय, अठानवे प्रतिशत मुस्लिम आबादी इन भावनाओं से सहमत नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको : महोदय, तब क्या होता है? जब घोड़े भाग गए हैं तब वे घुड़साल को ताला लगा रहे हैं। अब वे हर मुसलमान के घर की तलाशी ले रहे हैं मानो कि *(व्यवधान)* राष्ट्रपति के अभिभाषण में, चुनावों की प्रशंसा के बारे में उल्लेख है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। उन्हें बोलने दें।

श्री वैको : महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने आम चुनावों को साथ कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया है। इसी चुनाव आयोग ने सलाह ही नहीं दी थी, बल्कि एक वक्तव्य दिया था कि समाचार पत्रों में कोई चुनाव सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन इस निर्देश का उल्लंघन करके विशेष रूप से तमिलनाडु के साप्ताहिक पत्रों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में चुनाव सर्वेक्षण किए गए क्योंकि भविष्य वक्ता और चुनाव विशेषज्ञों ने एक जोरदार भूमिका निभाते हुए भविष्यवाणी की थी कि तमिलनाडु में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट यानी ए. आई.ए.डी.एम.के. को तीन सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी लेकिन तमिलनाडु की जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने डी.एम.के. मोर्चे को धूल चटा दी *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप लगातार क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? कृपया बैठ जाएं *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, नियम 349(एक) कहता है :

(1) जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो सदस्यों को उच्छृंखल अभिव्यक्ति या शोर या किसी प्रकार के उच्छृंखल व्यवहार द्वारा उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री जैन, इस नियम का सभी को पालन करना चाहिए।

श्री सत्यपाल जैन : जी हां, महोदय मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि माननीय सदस्य भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। यदि उन्हें कुछ कहना है तो वे बाद में कह सकते हैं। वे उन्हें एक वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। यदि किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो वे इस बात के रूप में उठा सकते हैं, अथवा इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। लेकिन वे उसे बोलने नहीं दे रहे हैं। महोदय, इस पर आप अपना विनिर्णय दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप माननीय सदस्य को इस नियम का तथा नियम 349(नौ) का पालन करने के लिए कहें।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि सभी सदस्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री सत्यपाल जैन : डी.एम.के. के सदस्यों को भी पालन करना चाहिए।

सभापति महोदय : सभी सदस्यों को, केवल डी.एम.के. के सदस्यों को ही नहीं।

श्री वैको : महोदय, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शायद यह आपका अन्तिम वाक्य है।

श्री वैको : महोदय, मैं दो मिनट में अपना वाक्य पूरा कर दूंगा और फिर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

ए.आई.ए.डी.एम.के. के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट की जीत हुई है। इस लोक सभा में हमारे तीस सदस्य हैं। ज्योतिषियों, चुनाव का अनुमान लगाने वालों, भविष्यवक्ताओं तथा तथाकथित चुनाव विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों का क्या हुआ? तमिलनाडु में लोगों ने तीन कारणों से अपना यह जनादेश दिया। एक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्थायी सरकार।

दूसरा, वे कोयम्बटूर में बम धमाकों से दुःखी थे और लोगों ने तमिलनाडु सरकार, जिसने विगत दो वर्षों में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किए, की असफलता के विरुद्ध अपना फैसला दिया है। इस कारण से हमारे मित्र बहुत उद्वेलित हैं—सच्चाई सामने लाने के लिए केन्द्र सरकार को कोयम्बटूर की घटना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवानी चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाए। फिर असली अपराधी, जो तमिलनाडु सरकार में उच्च पदों पर आसीन हैं सामने आएंगे। *(व्यवधान)*

मैं अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं शिवकासी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहां चर्चा में भाग लेने के लिए भेजा है। अतः, मैं अपने मित्र तथा सहयोगी श्री शान्ता कुमार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का अपने मित्रों तथा सभी पक्षों से समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस

अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 25 मार्च, 1998 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल को पर्चियां भेजें जिनमें उन संशोधनों का क्रमांक दर्शाया गया हो जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन्हीं संशोधनों को पेश किया हुआ समझा जाएगा।

उसके थोड़े समय पश्चात सूचना पटल पर पेश किए समझे गए संशोधनों का क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य इसी सूची में कोई त्रुटि पाए तो वह इसकी सूचना तुरन्त सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी को दे।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति जी, अभी-अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर शांता कुमार जी और श्री वैको साहब ने अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा, उसी के विषय में मै कुछ कहना चाहता हूं।

वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण गवर्नमेंट का ही अभिभाषण होता है, लेकिन चूंकि वह राष्ट्रपति जी के मुखारविंद से यहां दिया जाता है इसलिए उसके राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कहते हैं। उनकी ओर से इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हम हमेशा इस बात का आदर करते हैं और पूरे तौर-तरीके से इसके ऊपर सोचते हैं, गवेषणा करते हैं और जो कुछ सुधार लाने की आवश्यकता समझते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, उसके बाद उसे यहां कहते हैं।

सभापति महोदय, देखा जाए तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के कार्यों का लेखाजोखा होता है, लेकिन यह सरकार अभी-अभी आई है, इसलिए उसके कामकाज के लेखेजोखे का प्रश्न ही पैदा नहीं होतां इस सरकार की कुछ आशाएं एवं आकांक्षाएं हैं जिनका प्रतिबिम्ब इस अभिभाषण से मिलता है। राष्ट्रपति महोदय ने देश में कतिपय घटनाओं को छोड़कर लोक सभा के चुनाव शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से कराने के लिए चुनाव आयोग की प्रशंसा की है। यह बात सही है कि भारत के लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और उसकी जीवित मिसाल यह देश है जिसके चारों तरफ यदि हम नजर दौड़ाकर देखें, तो अनेक देशों में प्रजातंत्र धराशाही होता नजर आया है। लेकिन यही एक देश है जिसमें हम सजग रूप से जीवट होकर रहते। मैं चाहता हूं कि हम जीवट रहें। इसके लिए यही सबसे उत्तम प्रणाली है जिससे लोगों का और हमारा आपस में सम्पर्क रहता है। प्रजातंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें भाईचारा भी कायम रहता है और विचारों का टकराव भी रहता है। इसमें आपस में कोई कटुता नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती। इसमें विचारों का आदान-प्रदान, और उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान होते हैं। हमारे सामने माननीय दिग्गज साथी श्री आडवाणी जी बैठे हैं और नाईक जी आदि सभी बैठे हैं। हमने हमेशा इस बात को देखा है कि हमारा आपस में भाईचारा है, अपनत्व है चाहे विचारों का कितना भी टकराव क्यों न हो। कभी भी कटुता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यह कटुता कभी आये। आज कुछ बातें ऐसी देखने में आ रही हैं जिससे मन में डर लगता है कि कहीं राजनीति का स्तर न गिर जाए। हम आपस में एक दूसरे से अलग न हो जाए। बात हम एकता की करते हैं, एकजुट होकर काम करने की करते हैं, इस मातृभूमि की सेवा करने की करते हैं लेकिन कहीं उसमें कुछ विघटन न आ जाये या कोई और चीज न आ जाये।

आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ संकेत दिये गये हैं और वे संकेत बहुत अच्छे दिये गये थे कि किस तरीके से काम करना है। किस तरीके से हमें आपस में मिलकर, बातचीत करके, एक दूसरे की सहायता करके इस देश के लिए काम करना है। यह देश अपना है। अभी शांता कुमार जी जैसा कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि हमें मिलकर काम करना है और मिलकर काम करना तरक्की की निशानी होती है। जिस घर में आपस में साम्य होता है, वह तरक्की करता है और जहां टकराव होता है वहां अवनति होती है। उस टकराव से बचने की चेष्टा प्रजातंत्र की निशानी है। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि:

[अनुवाद]

"लोकतंत्र एक कठोर पत्थर की तरह है लेकिन यह विरोधी विचारों से घिरा हुआ है।"

[हिन्दी]

जो हमारे सुझाव हैं, जो विचार हैं, हम उनसे उससे घबराते नहीं बल्कि टकराकर उनका परिमार्जन करते हैं। उनमें कुछ नयी चीजें पैदा करते हैं। विचारों के टकराव से नये विचार पैदा होते हैं। उन्होंने लिखा है और कहा भी है कि सरकार चलाने वालों के आचरण पर निर्भर रहने वालों का स्वायित्व कैसा हो? यहां पर श्री वाजपेयी जी मौजूद नहीं हैं। वह मेरे परम मित्र हैं, हमारा आपस में बड़ा भाईचारा है और बहुत सामंजस्य है। मैं आज उनको बधाई देना चाहता था क्योंकि यह कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। यह कुर्सी इस देश के लोगों की अमानत है, जो हमें और आपको चुनकर भेजते हैं ताकि हम उनकी सेवा में रत रहें और काम करें। इसलिए इस पर कभी आपका और कभी हमारा बैठना हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको या हमें या किसी को कोई तकलीफ हो। लेकिन यह मिलती क्यों है और किसलिए मिलती है? इसे आप भी जानते है और मै भी जानता हूं।

आज वे यहां नहीं है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं लेकिन मेरे दिल में उस विषय को लेकर कुंठा है कि मैं उनको बधाई दूं तो कैसे दूं। मेरे दिल में उनके प्रति बड़ी अच्छी भावना है, उनके प्रति बड़ा मैत्री भाव है क्योंकि सैद्धान्तिक तौर पर, नैतिकता के बल पर मैं समझता था कि वह खड़े रहेंगे और टिके रहेंगे। वह जो कुछ कहेंगे, उस पर टिके रहेंगे। इसजिए मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैं अभी भी समझता हूं कि शायद वह अपने आपको ठीक समझते हों, लेकिन कुछ ऐसे दबाव हो सकते हैं जिसमें वह दब गये हों, उनकी सोच में कुछ कोहरा छा गया हो, कुछ इस प्रकार की बातें हो गई हो जिससे दब कर उन्होंने आवरण डालने की चेष्टा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह होते तो मै उनसे बात करता कि ऐसा क्यों हुआ। आपने ऐसा क्यों किया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। आप तो कम से कम ऊपरी रहकर काम करते ताकि इस देश को भी अच्छा लगता और हमें भी अच्छा लगता। ये सारी बातें ठीक हैं क्योंकि आप प्रधान मंत्री हैं। आज जिस तरीके से काम हो रहा है, उससे मुझे देश के प्रति डर लगता है। मुझे इस बात का डर लगता है कि यह कहीं सिर्फ स्वार्थ की राजनीति तो नहीं रह गयी, यह सिर्फ अपने लिए कुर्सी की लड़ाई तो नहीं रह गयी। यह कुर्सी बहुत बड़ी बीमारी है।

श्री चंद जी बहुत बड़े दिग्गज हुए हैं, जो कि चौधरी छोटू राम के भतीजे थे।

[श्री बलराम जाखड़]

[अनुवाद]

उनकी हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहते मृत्यु हुई थी।

[हिन्दी]

उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि बलराम जी, आपको पता है कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? मैंने कहा कि टी.बी. है, कैंसर है। उन्होंने कहा कि आप बड़े भोले हो। फिर मैंने कहा कि आप ही बता दो कि कौन सी बड़ी बीमारी है। वह अपनी हरियाणवी भाषा में कहने लगे कि "अरे भाई कुर्सी का काट्या कभी ठीक नहीं हुआ।" यानी कुर्सी का कटा हुआ कभी ठीक नहीं होता। इस तरीके की बात है। कुर्सी का मसला है। कहीं-कहीं रंग बदलने की बात आ जाती है, चली जाती है। सब कुछ है।

गिरधर की कुंडलियों में लिखा है। मैंने पुराने जमाने में पढ़ा था। वह तो पैसे की बात थी।

> कह गिरधर कवि राय जगत में यह रंग देखा
> बिन पैसे यार जगत में बिरला ही देखा।

यदि इसके साथ ताकत भी जोड़ दें—

> कह गिरधर कवि राय जगत का यह रंग देखा
> बिन ताकत यार जगत में बिरला ही देखा।

आज ताकत का मसला आ गया है। इसलिए ताकत के लिए लोग प्रेम और भावना प्रदर्शित करते हैं, रंग बदलते हैं। मैंने भी लोगों को रंग बदलते देखा है। हमारे सजाए हुए लोग, हमारे अपने ही लोग बदल जाते हैं और हमें कहना पड़ता है—

> हमारे ही तराशे हुए पत्थर के सनम,
> आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं।

मैं क्या करूं, दिल पर पत्थर रखकर यह भी सहना पड़ता है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। मैं वाजपेयी जी को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उधार लेकर सरकार बनाई है, मुरली मनोहर जी नहीं हैं, उन्होंने एक बात ठीक कही थी कि आपने नहीं बनाया, आप हमें भी कहते हैं कि नहीं बनाओ तो काम कैसे चलेगा। लेकिन किस आधार पर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। एक सिद्धान्त की बात है। हमारा निशाना क्या है। उसमें साथ चलने के लिए दोस्ती होती है। लेकिन सौदेबाजी चले, यह बात मुझे कुछ जंचती नहीं है। इसलिए कहना चाहता था कि यह बात सोचो कि किस तरह से है, क्यों हैं।

वाजपेयी जी ने एक कहानी कही थी जो मैंने पढ़ी थी। उन्होंने महाभारत की एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था—एक बहुत बड़ा वीर था। महाभारत की लड़ाई में उसका रथ ऊपर उठा होता था। उसने एक बार राक्षस को मारने या किसी कारण से गलत बोला, अनैतिकता बरती। राक्षस तो मारा गया। लेकिन उसका रथ पृथ्वी में धंस गया। इसलिए यह न हो कि वाजपेयी जी का रथ धंस जाए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए मै कहना चाहता हूं कि हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या करना है। भाईचारा दोनों तरफ से होता है और दुनिया में दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं लेकिन कहना नहीं चाहता। पहले दिन से ही श्रीगणेश कहिए या बिस्मिल्ला कहिए, जिस दिन किया, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वह नहीं होना चाहिए। यदि आप पहले ही न कह देते तो कुछ बात बनती। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अच्छा नहीं लगा, दिल को ठेस लगी। किसी आदमी की अवमानना हो, ऐसा क्यों किया गया। सोच-समझकर कहना चाहिए। जो बात कह दी वह कह दी। कही हुई बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आदमी वह होता है जो अपनी बात को पुख्ता रखता है। जो आदमी कहकर मुकर जाता है, उसमें इंसानियत नहीं होती, मानवता की गिरावट आ जती है। इसलिए आदमी को सोच-समझकर बात करनी चाहिए कि मैंनें यह कहा है तो कह दिया, नहीं कहा तो नहीं कहा। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आगे के लिए डर लगता है कि कहीं यह पद्धति न बन जाए। किसी के ऊपर से चूहा निकल गया तो वह रोने लगा। मुनीम जी ने पूछा कि सेठ जी, क्या बात हो गई, रोते क्यों हो, चूहा ही तो निकला है। वे कहने लगे कि चूहे की बात नहीं है। मैं इस बात से डरता हूं कि यह कहीं रास्ता न बन जाए।

दूसरी बात हिन्दुत्व की कही गई। मैं मानता हूं और अपने पर गर्व करता हूं कि मैं हिन्दू हूं। लेकिन मेरा धर्म मानवता में विश्वास करता है। मेरा धर्म कहता है—यत्र विश्व भवति एक नीड़म। यह संसार एक घोंसला है, हम इसके वासी हैं। यह हमारा है।

> सर्वे भवन्तु सुखिनः
> सर्वे सन्तु निरामया
> सर्वे भध्राणि पश्चन्तु
> मां कश्चित् दुख भाग भवेत्।

अपराह्न 2.44 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय *पीठासीन हुए।*]

मैं भी हिन्दुत्व में विश्वास रखता हूं लेकिन हिन्दू होने का अर्थ यह है कि मैं सबसे प्यार करता हूं। इसलिए इंसान इंसान होने में फक्र है। मैं सिर्फ कथनी और करनी का फक्र चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात पर कायम रहें। वाजपेयी ने कहा। आपने एजेंडा में से निकाला। मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन क्या हम इंसाफ कर पाए, क्या यह देश इस बात में विश्वास कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा, इसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता, आप करें। इसके पीछे इतिहास क्या है। पीछे क्यों हुआ? यहां भी आश्वासन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी आश्वासन दिया गया था, इसके बावजूद फिर उल्लघंना क्यों हुई, फिर क्या कारण बना। इसीलिए डर लगता है। एक शेर है, किसी ने कहा है, मैं नहीं समझता कि वह अनपार्लियामेंटरी है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बदल भी देता हूं, वे इस सलीके से कुछ गलत बात कह रहे थे कि हम एतबार न करते तो क्या करते। एतबार करने की मजबूरी थी। यहां एतबार दिलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में एतबार दिलाया गया था, इसलिए एतबार करना पड़ता है, लेकिन वह टूट गया। आडवाणी जी बैठे हैं, मेरे बहुत बड़े भाई हैं, मैं इनसे पूछता चाहता हूं, मैं राजी हूं, सारे झगड़े मिटाओ, टकराव खत्म हो जाता है, भ्रान्ति खत्म हो जाती है। इस देश में भाईचारा पनप जाएगा, फिर हम एक-दूसरे का सिर नहीं फोड़ेंगे।

"क्यों आपस में लड़ें, संगे मील पर,

इसमें नुकसान-ए-सफर तेरा भी है, मेरा भी है।
मत गिरा इस घर को, ये घर तेरा भी है, मेरा भी है।''

इस घर में सबको रहना है, फिर हम क्यों आपस में लड़ें। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का आप आश्वासन यहां पर दिलवा दें ताकि फिर दुनिया में कोई उठकर न कहे कि यह हमने इस तरीके से करना है। हमें आपस में मिलना है, इस बात को मैं करना चाहता हूं तभी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मुसीबत इसी बात की है और मैं इसी के आलिंगन की बात करता हूं कि कहने में और करने में फ़र्क़ न हो।

[अनुवाद]

कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। यह एक ही होनी चाहिए और फिर मैं श्री शान्ता कुमार से सहमत हूं। तभी हम इस धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि अच्छा ही होगा।''

[हिन्दी]

फ्रैगरेंस होगी, उसमें नैतिकता होगी—समझे की नहीं?

अब देखने की बात यह है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। आपने बहुत कुछ कह दिया। इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि अगर वे सच हो जायें तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। फिर वहां जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपने सारा कुछ कह दिया कि गरीबी भी हटाएंगे *(व्यवधान)* सब कुछ दिया है। ऐसा लगता है कि हम उस यूटोपिया का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे डर एक बात का लगता है कि कहीं वैसी बात तो नहीं कि एक बेचारा गरीब आदमी था, बीस रुपये की मजदूरी करता था। उसके दो बच्चे थे, बीवी थी। वह शाम को जब रोटी पकाने लगी तो कहने लगा कि कल भैंस खरीदेंगे, 15 किलो दूध होगा। लेकिन उसके पास एक हजार रुपये नहीं थे। उस समय बैंक ऋण नहीं दिया करते थे। चार दिन बाद बात वहां की वहीं रही। घरवाली कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, न तुम्हारे पास एक हजार रुपये होंगे, न तुम भैंस खरीदोगे। तीन दिन बाद बेचारे बच्चे घबरा गए। कहने लगे, पिताजी एक डैपुटेशन आया है, हमारी बात सुन लो। वे बोले कि पिताजी भैंसें लो या न लो, लेकिन बात जरूर किया करो, इससे दिल लगा रहता है। कहीं यह दिल लगाने वाली बात तो नहीं है? कहीं आपने हमारा दिल लगाने के लिए इतना कह दिया हो। आपने कह दिया कि सारी बेरोजगारी हटा दो, शिक्षा का प्रसार कर देंगे, सुख-शान्ति कर देंगे, स्वास्थ्य भी दे देंगे, महिलाओं को शिक्षा दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या ढांचा भी बनाया है? मैं चाहता हूं कि कुछ ढांचा हो, ऐसा कुछ प्रारूप हमें दीजिए कि हम कुछ कह सकें, कुछ दिखा सकें कि हां, यह-यह हमारी चीजें हैं, इसको हम करना चाहते हैं।

मैं इसमें एक चीज ले लेता हूं। आपने बेरोजगारी की बात कही है, लेकिन मैं पहले कृषि पर आ जाता हूं, क्योंकि कृषि एक आधार है। कृषि इस देश की तरक्की का आधार है। मैं अपने पाइंट में सारी बातें जोड़ूंगा। कृषि हमारी तरक्की का आधार है, इस देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। 75 प्रतिशत आदमियों का कृषि पर जीवनयापन होता है। अगर वह ठीक होगी और उनकी जेब में पैसा होगा तो इडस्ट्री भी चमकेगी, दुकान भी चमकेगी, सारा देश भी चमकेगा। लेकिन क्या आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कृषि मंत्रालय में मैंने देखा है, मैंने पता किया है, मैंने उसको बदलने की चेष्टा की है, बहुत कुछ किया भी है, लेकिन अभी तक मन में एक किलो भी नहीं पीसा गया। आठ रुपये यदि इस देश की औसत आमदनी है तो आठ रुपये में से एक रुपया 74 प्रतिशत लोगों को मिलता है और सात रुपये 26 प्रतिशत लोगों को मिलते हैं। यह एक अनोखी चीज है, जिसको हमें ठीक करना है, परिष्कृत करना है। यह बंदरबांट हम कितने दिन चला सकते हैं? इसको रोकना होगा, तब जाकर बात बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा है कि 60 प्रतिशत हम कृषि में देंगे, लेकिन 60 प्रतिशत कृषि में किस चीज पर देंगे। हम यह पैसा कृषि के लिए देंगे या सिंचाई पर देंगे या बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करेंगे या पावर को देंगे, या उसकी सप्लाई के लिए देंगे, या उनकी सड़कों को देंगे, उनके लिए स्कूलों का निर्माण करेंगे। क्या-क्या करेंगे। सारा मिलाकर देखें तो 60 प्रतिशत पैसा आज भी मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, उसके बारे में मुझे बताइये कि आप क्या करना चाहते हैं।

आज भारतवर्ष में औसतन जितनी आपकी होल्डिंग है, वह 0.48 हैक्टेयर है। इतनी-सी रह गई है। सन् 1950 के बाद, अब तक तीन पीढ़ियां आ गई हैं। पहले बाप के दो बेटे फिर उनके दो-दो या चार-चार बेटे, इस तरह भूमि बंटते-बंटते इतनी छोटी हो गई है कि अब उसमें कबड्डी ही खेल सकते हैं। इस तरह से 74 प्रतिशत जनता जो कृषि पर निर्भर है कृषि से बाहर रहेगी, फिर यह धरती बोझ सम्भाल नहीं पाएगी। आप कहां से इतना रोजगार लाएंगे, कहां से इतने लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे? देश में भुखमरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। गांव से लोग भागकर शहरों की तरफ आते हैं और यहां गंदी बस्तियों में, स्लम में रहते हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में उद्योग नहीं हैं, रोजगार नहीं हैं।

हमने शुरू में इस बात पर ध्यान दिया था। आपने ऐलान किया है कि सूखे में खेती करके डबल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे यह नहीं बताया है। 1950 में जहां खाद्यान्न का भंडार 50 लाख टन था, वही अब 192 लाख टन है। जिस दिन मैंने पद छोड़ा था, 137 लाख टन के करीब था। सब लोग नहीं सोचते थे कि बाहर से भी मंगाना पड़ेगा। किसान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं दिया। आप इस चीज का भी निर्धारण करें कि उसे उसका हक तो कम से कम मिले। आप सिंचाई का समुचित प्रबन्ध कर दें मो सूखी जमीन खत्म हो जाएगी, देश उन्नत हो जाएगा और हमारे किसान का नक्शा ही बदल जाएगा।

मैं राजस्थान कैनाल के बारे में लिखता-लिखता थक गया। जब मैं पंजाब में था तब भी उसके बारे में लिखता था। वहां लोग पानी से मर रहे हैं। मैं इसके बारे में आठ साल से लिखता आ रहा हूं। वहां टीम भेजकर अध्ययन भी कराया और उसकी रिपोर्ट भी मंगवाई। एक तरफ तो लोग पानी के बिना मर रहे हैं और दूसरी तरफ बीसियों गांव बाढ़ में पानी से डूब जाते हैं, उनके घर कोई देखने वाला नहीं है। वह ऐसी जमीन है कि अगर सिंचाई का माकूल इंतजाम हो जाए तो वह इलाका लहलहाहट पैदा कर सकता है, भूमि सिंचित हो सकती है और अन्न पैदा हो सकता है।

मैं आडवाणी जी आपसे कहना चाहता हूं। गुजरात में होने वाला है। नर्मदा की नहर आने वाली है। जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने निर्माण

[श्री बलराम जाखड़]

कराया था। तब मैंने केशू भाई से कहा था, उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे भी कहा था और उस वक्त के प्रधानमंत्री से भी कहा था कि आपका सारा पानी सौराष्ट्र जाएगा, जमीन में साल्ट है, सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। अगर बूंद-बूंद करके देंगे तो उत्पादन तिगुना हो जाएगा, वहां का नक्शा बदल जाएगा और किसान का पेट भी भर जाएगा। चारों तरफ हरियाली आ जाएगी। मुझे खुद पता है, क्योंकि मैंने यह करके देखा है और इन हाथों से किया है।

इसलिए मैं कृषि के बारे में यही कहना चाहता हूं कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। मैंने सब्सिडी रखवाई थी। देवगौड़ा जी यहां बैठे हैं, मैंने 70 प्रतिशत की थी, उन्होंने 90 प्रतिशत कर दी थी। औरतों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी की थी। मैं देवगौड़ा जी का इस काम के लिए मान करता हूं कि एक ही प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसके दिल में यह बात आई। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को पैसा नहीं मिलता। राज्य सरकार पैसा नहीं देती। लिख दिया पांच हजार रुपये, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। यह किसान का ही पैसा है, जिसे अनुदान के रूप में हम देना चाहते हैं। नहर निकालने का 100 रुपया देते हैं, लेकिन वहां दस रुपये ही पहुंचते हैं। अगर सही रकम पहुंच जाए तो वह उत्पादन डबल करके दिखा सकता है। मैंने इस बारे में मनमोहन सिंह जी से भी लड़ाई लड़ी थी और यह कराया था। यह क्यों नहीं हो पाता, इस बात को भी आप देखें। क्योंकि यहां कमी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।

आज हमारी कृषि नीति का क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। चार बार इस सदन में बहस हो चुकी है। उसके लिए समिति भी बनाई गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। उसमें लिखा था कि कृषि पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और कृषि का स्थान उद्योग के बराबर होगा, जिसमें ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं किसान कहां मरता है। बाहर के लोग भी कहते रहते हैं कि कृषि पर इनकम टैक्स लगाया जाए। उनको कुछ पता नहीं है। उनको एक बार गांव में ले जाकर खेत दिखाया जाए। दिन में वहां खड़ा कर दो तो सनस्ट्रोक हो जाएगा और रात को पानी देते वक्त खड़ा कर दो तो इनको निमोनिया हो जाएगा।

अभी कृषि मन्त्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री जी के पास है। वे काम करें तो अच्छी बात होगी, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है। आप पूरा मंत्रिमण्डल बनाएं। अगर हो सके तो सोमपाल जी को ही दे दें, उनको ज्ञान है, वे इरीगेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर यह भी न हो तो मेरा एक सुझाव मान लें। मेरा एक सुझाव मान लीजिए। हमने आपको पहले भी प्रधानमंत्री दिए हैं। ...*(व्यवधान)* अभी जब एकता हो जाएगी तब फिर बात करेंगे। ...*(व्यवधान)* हमने आपको पहले भी प्रधानमंत्री दिए हैं। सर्वश्री वी०पी० सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, चन्द्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, गुजराल जी और कुछ लोग इनके पास भी हैं। ...*(व्यवधान)* हमसे मांग कर और ले लो। यह लेना-देना तो आपने करना है। हमने बूटा सिंह जी और वीरेन्द्र वर्मा जी भी दिए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : सबको दे रखा है मगर आप नहीं आए। कृषि के ज्ञाता तो आप हैं। आप आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मुझमें और उनमें फर्क यही है कि सारी उम्र तो कटी इश्के बुतां में, अब दो दिन के लिए क्या खाक मुसलमां बने? ...*(व्यवधान)* मुझसे ऐसा नहीं किया जाता। आदमी वह है कि जहां खड़ा है, वहीं पुख्ता खड़ा रहे। ...*(व्यवधान)* जलजला ऊंची इमारत को तो गिरा सकता है। मैं तो नींव का पत्थर हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। मुझे इस बात का खतरा नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। मेरी औकात क्या है, मैं जानता हूं। मैंने कभी गिरना नहीं सीखा, मैंने कभी बुरी बात करनी नहीं सीखी। मैं तो प्यार से बात करना चाहता हूं। मैं इस देश का वासी हूं। मेरे लिए यह देश मेरी मां है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके लिए जो कुछ करवाना चाहो, करवा लो। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह गरीबी तब हटेगी जब किसान के घर में पैसा होगा, जब अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा और जब देश की महिलाएं शिक्षित होंगी। महिलाओं का कृषि में आधे से ज्यादा सहयोग है लेकिन अभी तक उनको सम्मान नहीं दिया गया है। उनके लिए कृषि के संसाधन के लिए मैंने प्रयत्न किए थे। कृषि विज्ञान केन्द्र कहां गए? सारा मामला ठप्प पड़ गया है। ...*(व्यवधान)* रिसर्च एंड डवलपमेंट इत्यादि का क्या हो रहा है? यह विदेशी कर्ज हमें खा जाएगा। जीरो परसेंट पर गेहूं आ गया है। हम मारे जाएंगे। जेनेटिक रिसोर्सेज का काम करवाया जाना चाहिए। मैंने यह प्रस्ताव रखा था लेकिन वह पास नहीं हुआ। इसे आप जल्दी से जल्दी देखें। ये बाहर वाले हमें खा जाएंगे। चावल और नीम पर ये पेटेंट बनाने वाले हैं। आप इनको हटवाइए। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं लेकिन किसी बात पर हम दबना भी नहीं चाहते। जो बात हम कहना चाहते हैं, वह हम कहकर रहेंगे। मैं इंश्योरेंस की बात करना चाहता हूं।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : एग्रीकल्चरल सब-सेंटर्स पर कांग्रेसियों ने अपनी कोठियां बना ली हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मैंने किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। कांग्रेसी हो या कोई लाटसाहब हो। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इस देश की परवाह है। कांग्रेस वालों ने खुद मेरे साथ क्या-क्या किया है, इस बात को छोड़िए। ...*(व्यवधान)* लेकिन हमने कांग्रेस में जन्म लिया है। मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस में हमारी आस्था है। इसमें हमारे देश की भूमि के लिए एक लगाव है, देशभक्ति की भावना है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। शहीदी का नाम हमारे पास है। किसके पास है? इसलिए मैं सीधी-सी एक बात औद्योगिकरण के बारे में कहना चाहता हूं। एग्रो-बिजनेस कंसोर्शियम की बात थी ...*(व्यवधान)*

श्री हरपाल सिंह साथी : आप भूमि के बारे में बोले हैं। भूमि पड़ी हुई है। उस भूमि के लिए इन्तजाम आप लोगों ने किया होता तो अभी विदेश से जो हमने अनाज मंगाया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : आपको अभी पता नहीं है। उसके लिए यदि कुछ करना है तो जो मैं तरीका बता रहा हूं, उसे अपनाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऊसर भूमि में कुछ नहीं होगा जब तक पानी नहीं होगा। चाहे हजार एकड़ ऊसर भूमि आप किसी को दे दें, उसमें कुछ नहीं होगा जब तक उसमें पानी नहीं होगा। लेकिन अगर उत्पादन करना है तो हमें उसे वॉटर लॉगिंग से बचना पड़ेगा, लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था भी करनी होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर में जाकर देखिए। कांग्रेस जो आठ साल पहले करके गई है, वहीं का वहीं रुक गया है। शान्ता कुमार जी ने कहा था कि वहां पानी पहुंचा दिया है। मैंने उन्हें इसी पद पर बैठकर कहा था कि आपने दस साल यहां बैठने के लिए मुझे गरिमा दी थी।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान को सुविधा दे दो, क्योंकि लोगों को 25-25 मील से पानी का पानी लाना पड़ता है या फिर सूखे में रहना पड़ता है। शान्ता कुमार जी, आपके यहां तो हरियाली है। मेरे दिल में इस नक्शे को बदलने की तमन्ना है और इसको पूरा करना चाहिए। इस समस्या का समाधान 60 प्रतिशत किस प्रकार से करना है, इस बारे में सलाह कर लीजिए। हम भी सलाह देंगे, तब कहीं जाकर बात बनती है। इस बात को भुलावे में मत छोड़िए। इसके लिए सार्थकता चाहिए, नीयत चाहिए और हम में काम करने की नीयत है तथा हम काम करके दिखाना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने चार दफा इस स्कीम को बनाकर दिया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उस स्कीम को पूरा किया जाए। आज हमारे आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश के किसान तबाह हो रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में तो 60 किसानों ने आत्म-हत्या तक कर ली है। क्या हम किसान इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम फांसी का फंदा लगाते चले जाएं? कृषि सबसे अनसर्टेन उद्योग है। भगवान जिसको सजा देना चाहता है, उसको किसान बना देता है। यह बात हमारे साथ भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बताएं, इसमें असल क्या है, नकली क्या है, छुपा क्या है और बाहर क्या है।

अभिभाषण में महिलाओं के बारे में भी कहा गया है। अगर एक महिला को शिक्षा देंगे, तो घर नहीं सुधर सकता है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए। इसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इसमें आपने को-आपरेटिव्ज की बात नहीं की है। को-आपरेटिव बहुत बड़ा सैक्टर है। इसमें भी यदि ठीक तरह से सुधार हो, तो आधारभूत तरक्की हो सकती है। एग्रो-बेस्ड कन्सोर्शियम और मोर-हारवैस्ट स्कीम चलाई गई थी, इससे किसानों को बहुत काम मिल सकता है। गांवों में उद्योग लगेंगे। इसके साथ ही हमारा देश फलों के मामले में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में भी पहले स्थान पर आने वाला है। फलों और सब्जी में तो हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा देश किसी भी क्षेत्र में नीचे नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि पैकिंग, फारवर्डिंग, पैकेजिंग और कैनिंग में उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत तक डिस्ट्राय हो जाता है। इसका बन्दोबस्त करना होगा। जब यह बाहर के देशों में हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। इस बारे में मैं आडवाणी जी से एक बात कहना चाहता हूं। सातवें प्लान में इस समस्या के समाधान के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और आठवें प्लान में यह राशि बढ़ा कर एक हजार करोड़ रुपये कर दी गई थी और इस राशि को चार परसेंट ब्याज पर देने की बात थी। यदि यह व्यवस्था हो जाती, तो इस समस्या का समाधान हो जाता।

दूसरी बात, अब जमाना बदल रहा है, दुनिया में हमने दूसरे देशों के साथ मिल कर चलना है। हमारी लिब्रलाइजेशन की योजना है और आपने स्वदेशी की बात कही है। स्वदेशी की बात तो बापू जी ने भी कही थी और स्वदेशी की बात स्वयं स्वामी दयानन्द ने भी कही थी। यह सबसे उत्तम बात है और इसी के सहारे हमने आजादी प्राप्त की थी। हम विकास का दरवाजा बन्द नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से कदम उठाने चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में हम बाहर के देशों का मुकाबला कर सकें।

यशवन्त सिन्हा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं छोटे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। इसी से सम्बन्धित परसों में एक ज्ञापन उनको दिया है। इस बारे में आप थोड़ा विचार कीजिए। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान में स्पिनिंग मिलें जो धागा तैयार करती हैं, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, लेकिन जिन्होंने हथकरघा लगाया है, उनसे एक्साइज वसूल की जा रही है। यह राशि तकरीबन 25-30 करोड़ रुपये है। इस बारे में खास तौर से मैं आपका ध्यान बीकानेर के बारे में दिलाना चाहता हूं।

मैंने उनको यहां मिलवाया भी, उन पर 15 प्रतिशत कर्जा है। आप 20-25-30 हजार को बिल्कुल बेरोजगार करके छोड़ देंगे—यह कोई तरीका है। मिल में जो हैं उन्हें टैक्स फ्री, और जो हाथ से काम करते हैं, उन पर टैक्स हो, इसे तो हटवाओ। इस बात को जरा सोच कर देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं?

आप भाषाओं की बात करते हैं। भाषाएं तो सारी अच्छी हैं। वे मोतियों की लड़ी हैं। भाषाएं किसको प्यारी नहीं हैं, मुझे सारी भाषाएं प्यारी लगती हैं। हिन्दुस्तान एक गुलदस्ता है और हिन्दी को हमने एक लड़ी बनाई थी, एक धागा बनाया था जिसमें उन्हें पिरो दें और सारी सज जाएं। मुझे कोई एतराज नहीं है। इसे भी हमने तेलगू में नहीं छापा, तमिल में नहीं छापा, उर्दू में नहीं छापा, मराठी में नहीं छापा, क्या इस तरीके से हो जाएगा? यह बात हरेक को सोचनी है कि हमने सबको उचित स्थान देना है, हमने सबको शिरोधार्य करना है, क्योंकि उनमें हमारी संस्कृति छिपी हुई है, सब भाषाओं में इतना साहित्य है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सब बराबर का काम करते हैं और करने वाले हैं।

दूसरी बाहर की बात रही। आप करना चाहते हैं, आपने उसमें लिखा है। आप और वाजपेयी जी खास तौर से उसमें दक्ष हैं। पहले भी वे हमारे इस विभाग के मंत्री रहे हैं और आज भी उनके पास यही महकमा है। हमें सह-अस्तित्व की बात करनी है, इस प्रकार से बात करनी है ताकि लोग हमारा आदर करें और हम उनका आदर करें। यह संसार बहुत छोटा है। अगर एक दफा बिखर गया तो बाकी कुछ नहीं है। भगवान ने पृथ्वी एक बार बनाई थी, बार-बार तो बनती नहीं है इसे कोई एक्सपैंड नहीं कर सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा भाई-चारे का संदेश सारी दुनिया में जाए और उनको पता लगे कि हां, हिन्दुस्तान में लोग हैं जिनके दिल में प्यार है, जीने की, आगे बढ़ने की तमन्ना है। ये उल्टा-पुलटा जो काम है कि यह बनाओ, वह बनाओ, ये जरा सोच-समझ कर करने की बातें हैं। भावावेश में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे कि अनर्थ हो जाए, हमारी नाक कट जाए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। "यत्र विश्वे भवति", हम इस तरह की बात कहते हैं, तो उसी तरह की बात करो। "वसुधैव कुटुम्बकम्", की बात कहते हैं, उसी तरह करने की बात करो।

महोदय, मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहता हूं। आज यहां बरनाला जी नहीं हैं। उन्होंने मुझे कुछ बातें कही थीं। मैंने उनको कहा भी था कि इससे पीड़ा होगी। मैं उनको कहना चाहता था कि आपने जो कुछ कहा, हमें ऐसा कहना चाहिए जिससे किसी को दर्द न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद कांग्रेस ने फैलाया। यह बात सुनकर मुझे शर्म आती है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या भाई, भाई को मरवाएगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दर्द किस का होगा। चाहे कोई भी मरे, वह मेरा है और यह काम हम करेंगे। जिन्होंने देश के

[श्री बलराम जाखड़]

लिए लड़ाई लड़ी, सारा कुछ हमारे शहीदों ने किया, उनके लिए हम करना चाहते हैं इसलिए यह बात अच्छी नहीं लगती।

"अरे क्या खूब रंग बदला है जमाने का, अपने अपनों पर वार करते हैं,

पहले मरते थे यार यारों पर, आज यारों से यार मरते हैं।"

यह मैं नहीं करवाना चाहता, यह बात अच्छी नहीं है। इस तरीके की सोच भी, ख्याल भी गलत है, कोई ऐसी भावना भी गलत है। यह हमारा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको बचा कर रखना है, इसी हिसाब से सोचना है।

"जितनी बंटनी थी बंट चुकी है जमीन, अब तो सिर्फ आसमान बाकी है।"

अब देश में क्या बांटना चाहते हैं? हम लोग और क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरीके ये यह ठीक चले, प्यार की भावना हो, इस देश में सद्‌भावना फैले। आप और हम मिल कर काम करें। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं इसमें डालना चाहता हूं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और कोई विशेष बात नहीं है। मैं आज ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे और साथी भी बोलने वाले हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सम्पूर्ण असिंचित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अगले 5 वर्षों तक निशुल्क सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य, नि:शुल्क और एक समान शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के उन किसानों को जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनके एक पुत्र के अलावा कमाने वाले और बच्चे नहीं हैं, भारत की संचित निधि में से 500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेलों से अवकाश ले चुके सभी खिलाड़ियों, पहलवानों और उन व्यक्तियों, जिन्हें खेलों और कुश्ती के क्षेत्र में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जीवनयापन के लिए कम से कम 1000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की व्यवस्था किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की समस्त ग्रामीण जनता को पांच वर्ष के भीतर 'सुलभ शौचालय' की सुविधा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति का आकलन करने तथा स्थाई राहत कार्य की व्यवस्था करने के लिए किसी स्थायी वित्त निगम की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

श्री नरेश कुमार चुन्नालाल पुगलिया (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पृथक विदर्भ राज्य का सृजन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पृथक विदर्भ राज्य बनाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पहले ही इसकी सिफारिश की गई है।" (59)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'इस्को', जेसोप बर्न स्टेन्डर्ड, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट, एम.ए.एम.सी., बी.ओ.जी.एल., टायर कारपोरेशन आफ इंडिया, हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की दुर्गापुर तथा हल्दिया इकाइयों, राष्ट्रीय वस्त्र निगम,

एज.जे.एम.सी., जूट कारपोरेशन आफ इंडिया, बंगाल इम्यूनिटी, स्मिथ स्टेवीस्ट्रीट, साईकल कारपोरेशन आफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुन: चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों को गारंटेड न्यूनतम वेतन के संदाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान के माध्यम से मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता और चेन्नई को ए-1 श्रेणी शहर घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खनन कार्य के कारण बड़े पैमाने पर जमीन धंसने से रानीगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वास सम्बन्धी पैकेज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिलों के विशेषकर राजनंदगांव स्थित बी.एन.सी. मिलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में एन.टी.सी. की किसी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि आधुनिकीकरण के अभाव में मिलों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं जैसे जबलपुर में आए भूकंप, रीवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ और पूरे राज्य में दो करोड़ रुपये मूल्य के धान और रबी फसल की हुई क्षति को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 1997-98 के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय राजसहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" 68)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में बस्तर और राजनंदगांव के जनजातीय क्षेत्रों में शुद्ध पेय जी उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में पेयजल की उलब्धता, सड़कों के निर्माण, स्कूलों और कृषि आधारित उद्योगों सहित लघु उद्योगों के संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

[अनुवाद]

श्री आर०एस० गवई (अमरावती) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी का पूर्णत: उन्मूलन करने के बारे में विस्तृत योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जल नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विगत में हुए विसंगतीपूर्ण अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संविधान की पुनरीक्षा करने हेतु एक आयोग का गठन किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और इसको नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों विशेषत: मुसलमानों की शैक्षणिक, उन्नति के लिए आरम्भ की जाने वाली और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पसंख्या समुदायों के सदस्यों विशेषत: मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रबड़ और नारियल के बाजार मूल्यों में आई भारी गिरावट के कारण इन क्षेत्रों में कृषकों की कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के अरब देशों के साथ

[श्री ई० अहमद]

पारम्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत ढांचे का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में तैनात करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ को रोकने हेतु सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

[हिन्दी]

श्री राजोसिंह (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में मुंगेर, लाखीसराय, शेखपुर और बेगुसराय स्थित दूरभाष केन्द्रों के कार्य न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

[अनुवाद]

श्री वी०वी० राघवन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पृथक् 'बोडोलैंड' राज्य का सृजन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु देश के मतदाताओं के लिए एक स्वच्छ और निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विकास में समानता लाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में जलस्तर घटने के कारण सिंचाई क्षमता घटने तथा पीने के पानी के संकट को दूर करने हेतु एक दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की विभिन्न उत्पादन इकाइयों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के फलस्वरूप हो रहे लोगों के आर्थिक शोषण तथा उनकी एकाधिकारी प्रवृत्ति से जनता को बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और डाक्टरों के पलायन को रोकने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्द हो चुकी औद्योगिक इकाइयों का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से चालू करने और इन इकाइयों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए कुशल एवं अकुशल दोनों कामगारों को अन्यत्र खपाने की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

श्री विट्ठल तुपे (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया को सुचारू बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसका समर्थन करने के कारण दो हैं कि हमें इस समय विचार करना चाहिए कि समय की आवश्यकता क्या है, देश के समक्ष कौन-कौन-सी चुनौतियां हैं। मेरे विचार से इस नई सरकार से न केवल एक भिन्न प्रशासनिक व्यवस्था की बल्कि इस राष्ट्र को नए समर्पण, एक नई शक्ति और नई कर्तव्यनिष्ठा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

नई दिशा का पता लगाना होगा। हमारे विशिष्ट मित्र अभी कह रहे थे कि कई समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकाला गया है आप सभी इन समस्याओं को किस प्रकार हल करेंगे। उनके लिए मेरा उत्तर है यदि हम नई चेतना प्रदान कर सके, यदि हम इस राष्ट्र के लिए एक नई व्यवस्था लाएं, इस राष्ट्र में एक नई चेतना का सृजन करें, यदि कठोरता, उदासीनता, विमुखता तथा छिद्रान्वेषण की संस्कृति को सकारात्मक रवैये द्वारा, सन्तोष, सहानुभूति, सन्तुलन और सामंजस्य की संस्कृति द्वारा हटाएं, तभी हम इतिहास को नया आयाम दे पाएंगे। हमें यह देखना होगा कि कौन-सी दो शक्तियां अथवा समूह कार्य कर सकते हैं अथवा दिशा पलट सकते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि इस कार्य को करने के लिए कौन समर्थ है। पिछले 50 वर्षों से आपको अवसर दिया गया था। दुर्भाग्य से जिस स्थिति में हम अपने को आज पाते हैं वह अत्यन्त सुखद स्थिति नहीं है। अत: यदि हम बेहतर छोर की ओर जाना चाहते हैं तो आपको अन्य समूह को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर अवश्य देना होगा।

मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। इन परिस्थितियों में जिनमें हम स्वयं को आप पा रहे हैं यह इतना ही कर सकती है। मैं एक मूलभूत बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जब हमने आजादी ग्रहण की थी तब कहा था : "मैं समझता हूं कि यह कार्य जो हमारे सम्मुख है यह उस कार्य से अधिक कठिन है जो हमारे सम्मुख उस समय था जब हम स्वतन्त्रता संग्राम में लगे थे। हमारे पास परस्पर विरोधी दावों का निपटारा करने का कार्य नहीं था। पद बांटने और सत्ता में हिस्सा लेने का कार्य नहीं था। अब हमारे पास यह सबकुछ है और प्रलोभन भी काफी है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें इस सबसे ऊपर उठने और इस देश की सेवा करने जिसे हमने स्वतन्त्र कराया है के लिए विवेक और शक्ति प्रदान करें।

अब प्रश्न यह है कि कौन-सी शक्ति अथवा दल है जो इन प्रलोभनों में ऊपर उठ सकता है और अपनी क्षमता और विवेक दिखा सकता है? मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में संकेत दिया गया है कि यह विवेक और क्षमता इस समूह में है। हमने सहयोग, आम सहमति और मेल-मिलाप के लिए हाथ बढ़ाया है। हम एक नई भावना द्वारा समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान पंडित जी ने जो कहा था उसकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। हम "नियति से साक्षात्कार" और "जब विश्व सो रहा था" तो नई चेतना के उदय होने की बात करते हैं। लेकिन पंडित जी ने एक निर्णायक बात यह भी कही थी कि भारत की लम्बे अर्से से दबी आत्मा नई अभिव्यक्ति चाह रही है। हमने इस पहलू की अवहेलना की। हमने लम्बे समय से दबी हुई उस आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस राष्ट्र में नई अवचेतना को जगाना होगा। हमें देश में नई सामाजिक और सांस्कृतिक क्रान्ति लाने की आवश्यकता है। चूंकि हमने इसकी उपेक्षा की है इसलिए हमने अपने आपको ऐसी स्थिति में पाया है। ऐसी कौन-सी शक्ति है जो भारत की इस लम्बे अर्से से दबी आत्मा का मुक्ति दिला सकती है। एक नई शक्ति है जो अब सामने आ रही है। हम उन्हें जगाना चाहते हैं और राष्ट्र को एक नई चेतना देना चाहते हैं और इसी तथ्य पर मैं बल देना चाहता हूं।

परसों हमारे विशिष्ट पहले के वक्ता कह रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्योंकि हमें हमेशा खण्डित जनादेश प्राप्त हो रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए हम समाज के इस वर्ग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूंकि समाज स्वयं ही खण्डित है, जब सामाजिक ढांचा ही खण्डित है, जब हम इस समस्या की जड़ तक नहीं जा रहे हैं तो राजनीति ऐसी ही होगी जैसी आजकल की राजनीति है। हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों की तरफ ध्यान देना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इन समस्याओं के कारणों की समीक्षा करेंगे जिन पर पिछले 50 वर्षों से अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है तो हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी।

पहला प्रश्न यह है। मैं यह दावा नहीं करता कि हम लोग सर्वगुण सम्पन्न हैं। हम में भी कुछ कमियां हैं। परन्तु जो दिशा हमने चुनी है जो प्रेरणा हमने अर्जित की है वह अधिक आशावादी है। यह हमें अधिक सुधारने के अच्छे अवसर प्रदान करता है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किन-किन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। मैं पूर्व शासकों की आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो केवल उस विरासत को बताना चाहता हूं जो वह हमारे लिए छोड़कर गए हैं। इस विरासत से कौन-कौन-सी चुनौतियां उभर कर आई हैं? हम कह सकते हैं कि हमने इस क्रान्ति में प्रगति की है। श्री बलराम जाखड़ अभी कह रहे थे कि हमारे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है यह केवल अधिक उपजाने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह प्रश्न हमारे विकास दर के विश्व के बाकी देशों की विकास दर की तुलना का है।

हम एक प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में रहते हैं। हम जटिल और समेकित विश्व में रहते हैं। हमें यह देखना है कि नया ज्ञान इस विश्व में आया है। क्या हमने उस ज्ञान का उपयोग किया है? क्या हमने बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्य प्राप्त किया है जिसे अन्य राष्ट्रों के लोगों ने प्राप्त कर लिया है। मैं इसके आंकड़े देता हूं।

1950 में भारत विश्व समग्र घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत उत्पादित करता था; आज हम समग्र घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत उत्पादित कर रहे हैं। इसमें गिरावट आई है। यदि हम औद्योगिक उत्पादन को लें तो हम तृतीय विश्व उत्पादन का 14 प्रतिशत का उत्पादन करते थे और आज हम केवल 6 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम विदेशी व्यापार में अपने हिस्से को लें तो यह उस समय 1.6 प्रतिशत हुआ करता था और अब यह केवल 0.7 प्रतिशत है। प्रश्न यह नहीं है कि हमने प्रगति की है या नहीं की है। प्रश्न यह है कि विकास दर क्या रही है? बल्कि प्रश्न यह है कि पूरे विश्व अथवा विकासशील देशों की तुलना में हमारे

[श्री जगमोहन]

विकास की गति क्या रही है? हमने इसमें अपकर्ष दर्शाया है। यह एक पहलू है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं दूरवर्ती विगत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब हमारे यहां सुधार काल चल रहा था तब अवसंरचना की दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना अवसंरचना के सम्बन्ध में पूर्णतया असफल रही है। तब अवसंरचना का अभाव था। आठवीं योजना के आरम्भ में बिजली की अधिकतम कमी 9 प्रतिशत थी जो आज 19 प्रतिशत है। सम्पूर्ण अवसंरचना का अकाल इस देश से सृजित किया गया है।

अब हम तथाकथित हरित क्रान्ति की बात करते हैं। यहां तक कि आज भी प्रश्न उत्पादन का नहीं है। यह खपत का भी प्रश्न है। 25 करोड़ लोगों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी का तीन-चौथाई प्राप्त होता है। वे प्रतिदिन एक-चौथाई हद तक भूखे रहते हैं। पांच करोड़ लोगों को आवश्यकता से आधी कैलोरी मिलता है। इस प्रकार हम देश को अकाल की स्थिति में देख रहे हैं। देश में अकाल नहीं है लेकिन उन्हें अकाल की स्थिति में रखा है। प्रतिदिन वे भूखे पेट सोते हैं। हमें इस पहलू पर भी विचार करना होगा।

अब मैं हाल ही के विगत का एक उदाहरण देता हूं। मैं सुधार अवधि की बात कर रहा हूं। लगभग 189 अवसंरचनात्मक परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। विलम्ब के कारण लागत में देश को 31,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा है। मेरे आंकड़े नहीं हैं। यह आंकड़े योजना और वाणिज्य क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये आंकड़े "इकानामिक सर्वे ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित हुए हैं। क्या यह गरीब राष्ट्र इस लागत को वहन कर सकता है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि हम में काम के प्रति निष्ठा नहीं है। हम में काम के प्रति समर्पण की भावना नहीं है। हमारे प्रशासन में प्रभावकारिता होनी चाहिए उसका अभाव है। यह इसलिए है क्योंकि हमने सम्भाव्यता और क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। अत: अब हमें यह देखना है कि कौन-सी शक्ति है जो हमें एक नई दिशा दे सकती है और देश में उच्चतर कार्यकुशलता और प्रभावकारिता ला सकती है। योजनाएं उनके द्वारा तैयार की गई थीं, वे अपनी क्षमताएं जानते थे और उसके बाद वे योजना बनाते थे और फिर भी केवल यही उपलब्धि हुई। इससे क्या पता लगता है?

इससे अलग विश्व में रहते हुए उनकी अल्पज्ञता का पता चलता है। गरीबी को मापने वाले संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम अवधारणा को सक्षमता गरीबी अनुपात के नाम से पुकारा जाता है। यह गरीबी से ऊपर रहने की आपकी क्षमता, अच्छा स्वास्थ्य होना और अच्छे भोजन को प्राप्त करने पर निर्भर करता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 61 प्रतिशत लोग सक्षमता गरीबी अनुपात से नीचे हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमने यह किया है और वह किया है। किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े यह कहते हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास वर्षों बाद इस समस्या का हमारे पास क्या समाधान है? हमें निचले स्थान पर क्यों रखा गया है? उदारहरणार्थ, गरीबी उन्मूलन को ही लें। यदि हम संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज में परिभाषित रूप में गरीब लोगों को लें तो 55 प्रतिशत भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इसकी तुलना में चीन में 20 प्रतिशत लोग तथा उप-सहारा क्षेत्र में 47 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ऐसे महान सांस्कृतिक राष्ट्र और ऐसी विकसित सभ्यता की तुलना उप-सहारा क्षेत्र से भी नहीं की जा सकती है।

यदि हम विभिन्न वर्गों के अत्यधिक गरीब लोगों को लें तो भारत में अत्यधिक गरीब लोग 33 प्रतिशत हैं। चीन में 8 प्रतिशत और उप-सहारा में 30 प्रतिशत अत्यधिक गरीब लोग हैं। इस मामलें में भी हम उनसे नीचे हैं। यहां तक कि नेशनल होम क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 18,195 आत्महत्याएं गरीबी से तंग आकर की गई हैं, इसलिए हमें उन शासकों से पूछना होगा जिन्होंने पचास वर्षों तक इस देश पर शासन किया कि इन प्रश्नों का उनके पास क्या उत्तर है।

मानव विकास सूचकांक की स्थिति क्या है? इस बारे में मेरे गणमान्य वरिष्ठ सहयोगी श्री शांता कुमार ने आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार भारत 136वें स्थान पर है। केवल कुछ छोटे देश हम से नीचे हैं। इसका एक और द्योतक है वह है लिंग असमानता सूचकांक। हम इस देश को 'भारतमाता', 'जगत जननी', 'धरती माता' कहते हैं। हम 'शक्ति' पंथ के अनुयायी होने का दावा करते हैं। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति क्या है? 136 देशों में से, भारत 103वें स्थान पर है, ईरान और इराक से भी नीचे जो क्रमश: 75वें और 93वें स्थान पर हैं। यह क्या है?

हमारा वैज्ञानिक उत्पादन क्या है? यूनेस्को के प्रतिवेदन के अनुसार 1981 और 1985 के बीच विश्व उत्पादन में भारत के हिस्से में 32 प्रतिशत की कमी आई है। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में जहां पर हम बहुत अधिक प्रगति का दावा करते हैं, उस क्षेत्र में भी हमने अधिक प्रगति नहीं की है।

बेरोजगारी की क्या स्थिति है? हमारे अपने आकलन के अनुसार 1.9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और आगामी पन्द्रह वर्षों में बेरोजगारों की श्रेणी में 12.5 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। यह हमारे मापदंड के अनुसार है। वास्तविक मापदंड क्या है? हम मानते हैं कि हमारी कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत को रोजगार की आवश्यकता है जबकि अद्यतन अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 50 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि हम इन आंकड़ों को लें तो बेरोजगारों की श्रेणी में 90 लाख और लोग जुड़ जाएंगे।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : समाधान क्या है?

श्री जगमोहन : समाधान यह है कि आप अन्य लोगों को भी मौका दें जो बेहतर कार्य कर सकते हैं और जो इस देश को बेहतर ढंग से प्रेरित कर सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं।

जब हम विदेशी ऋण आदि की बात करते हैं, हम वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा करते हैं। हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को केवल पैसे की दृष्टि से मत आंकिए। यदि आप सड़कों पर अधिक कारें ले आते हैं तो क्या आप यह कहेंगे कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। आपको हमारे जीवन की गुणवत्ता को देखना चाहिए। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक प्रगति सूचकांक क्या है? उदाहरणार्थ पर्यावरणीय प्रदूषण को ही लें, देखिए हमने अपने शहरों, नदियों और वायु को किस सीमा तक प्रदूषित किया है।

हमारे शहरों में चालीस हजार लोगों की केवल वायु प्रदूषण के कारण समय पूर्व मृत्यु हो जाती है। हमारी नदियां वस्तुत: गंदे नाले बन गई हैं और हम प्रगति कर रहे हैं। इसके दुष्परिणामों को किन्हें भुगतना

पड़ रहा है। देखिए यदि पर्यावरण स्वस्थ होता तो उन 17 करोड़ लोगों को अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता जिन्हें अन्यथा वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम अपने पर्यावरण और सस्ते श्रम का निर्यात कर रहे हैं और हम इसे सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से प्रगति कहते हैं।

विदेशी ऋण को देखिए। हम कहते हैं कि हमें इतना विदेशी ऋण मिला है. मैं विशेष सत्र के दौरान श्री संगमा के भाषण से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था हमारा विदेशी ऋण अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 3286 रुपये है जो 9325 रुपये प्रति व्यक्ति आय का 35 प्रतिशत है। भारत में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 35 प्रतिशत ऋण होता है, इन्हें इससे कौन मुक्ति दिलाएगा? हमारी भावी पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम सभी आराम से रह रहे हैं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, यद्यपि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी क्षेत्र में हम प्रत्येक विदेशी निवेश का स्वांग मात्र कर रहे हैं। हमें वह भी मिला है, हमारे यहां रोजगार के अवसरों रहित विकास न हो, आधारहीन विकास न हो और ऐसा विकास न हो जिसकी भावी संभावनाएं न हों। हम सभी लोग इस बारे में आशंकित हैं।

यदि मैं सभी आंकड़ों को पढ़ूं तो इसमें काफी समय लगेगा, तथाकथित सुधार अवधि के बाद बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, हमें इसमें किंचित परिवर्तन करना होगा। हमने एक कार्यक्रम चलाया था जिसे "बेरोजगारी हटाओ" का नाम दिया गया था। हमने यह संकेत भी दिया है कि हम रोजगार के अवसर सृजित करने वाले आर्थिक कार्यकलापों पर अधिक बल देंगे और हम इस कार्य को उस सीमा तक करेंगे। हम पांच वर्षों में यह कार्य नहीं कर पाए किन्तु हम निश्चित तौर पर इसे करेंगे। हमने सही दिशा में बढ़ना आरम्भ कर दिया है।

मैं यह कह रहा हूं कि हमें नव उपनिवेशवाद से भी सतर्क रहना है, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं। 1980 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्व व्यापार वृद्धि की दर से तीन गुणा अधिक हुआ और विश्व उत्पादन से चार गुणा अधिक हुआ। इसका तात्पर्य है कि उनका विश्व पर पूर्ण आधिपत्य है, इस दर पर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने से हमारा देश एक अलग तरह का औपनिवेशिक राज्य बन जाएगा। तब निर्णय लेने की शक्ति किसी अन्य के हाथों में चली जाएगी। हमें इसके बारे में सतर्कता बरतनी चाहिए। यही कहना है कि हमें 'स्वदेशी' को बढ़ावा देना चाहिए। 'स्वदेशी' का तात्पर्य है हमारी अपनी क्षमता होनी चाहिए।

मैं एक मूल बात कहना चाहता हूं। आतंकवाद और अलगाववाद आर्थिक कार्यकलापों से जुड़े हैं। इस विश्व में प्रमुख चुनौती क्या है? क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? विश्व में सत्रह मिलियन कलाश्निकोव का विनिर्माण किया जा रहा है और अत्याधुनिक हथियार आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें छुपाना और उनका प्रयोग आसान है। हमें यह नेटवर्क सम्पूर्ण भारत में देखने को मिल सकता है और उन हथियारों का प्रयोग तमिलनाडु, कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिल्ली और सभी जगहों पर किया जा रहा है। किन्तु हमने क्या किया? पिछले दो वर्षों के दौरान हमने प्रशासन में क्या परिवर्तन किए हैं और हमारे सम्मुख आई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या नया कार्य किया? हमने अपनी पुलिस और प्रशासन का किस हद तक आधुनिकीकरण किया है। हमने अभी भी अपने वही पुराने जटिल कैडर को बनाए रखा है। प्रशासन में नई प्रबंधकीय तकनीकियों को शुरू किया है, क्या हम और सतर्क रहने के लिए तैयार हैं? अधिकतर आतंकवादी अपराधों का पता नहीं चल रहा है और अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं किन्तु मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं केवल यह बात कहता हूं कि हम वास्तव में ऐसी स्थिति में हैं जैसा कि डब्ल्यू.ई. मीट्स ने कहा है कि जब स्थिति बेकाबू हो जाती है तो केन्द्र के नियन्त्रण में नहीं रह सकती है, परिणामस्वरूप,

"अराजकता जैसी स्थिति पैदा होती है"

उन्होंने यह विश्व के बारे में कहा मैं इसे भारत के बारे में कहता हूं। सर्वत्र निष्कपटता पुरस्कृत होती है। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं। निकृष्टतम अति उत्साही है और सर्वोत्तम में विश्वास का अभाव है।

हम नई शक्तियों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूर्ण विश्वास प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। हम निकृष्टतम की इस अति उत्साही प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं, हम आचरण के नए मानक स्थापित करना चाहते हैं, हम राष्ट्र के सम्मुख नया आचरण, नए मूल्य स्थापित करना चाहते हैं। एक नया विश्वास, नए सांस्कृतिक मूल्य ओर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं।

हमारे मित्र श्री बलराम जाखड़ अब सभा से चले गए हैं। वे कह रहे थे, "आप इसे कैसे करेंगे? आप उसे कैसे करेंगे?" मुझे उर्दू का एक शेयर याद आ रहा है। इसमें कहा गया है :

[हिन्दी]

कुछ नहीं तो ख्वाबे सहर तो देखा है,
कुछ नहीं तो ख्वाबे सहर तो देखा है,
जिस तरफ कभी देखा नहीं उस तरफ देखा तो है।

[अनुवाद]

हम एक नई दिशा प्राप्त करना चाहते हैं। हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। आपको अवसर देना होगा, हम नई संभावनाओं को भी तलाश सकते हैं।

अब मैं उस मूल बात को कहना चाहता हूं जिससे मैंने अपना भाषण शुरू किया था, वह क्या बात थी? मैंने भारत के बारे में कहा। इन सब मुद्दों, जिन्हें मैं यहां उठा रहा हूं, के बारे में हमें दृश्य क्षितिज से परे देखना चाहिए, हमें दलगत राजनीति और वोट बैंक से परे देखना चाहिए। तब आप कहेंगे कि हमने वह मूल कार्य ही नहीं किया है जिसे हमें करना चाहिए था। वह कार्य क्या था? हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस अन्तर्धारा से प्रभावित हैं जो वास्तव में उत्तरवर्ती घटनाओं का निर्धारण करता है, वह अन्तर्धारा क्या है जिसका अभी प्रभाव है? वही श्री मैकाले, वही श्री मौरिस, वही श्री मिल, वही श्री मार्क्स और वही श्री मेटकाफ हैं, एक बार फिर ब्रिटिश अवधारणा कि यह बहुमत अल्पमत है, उद्धृत किया जा रहा है। हमारी अन्तर्धारा उनके द्वारा निर्धारित की जा रही है जो कि हमें स्वयं करना चाहिए था। हमारा देश दिखावा करने वाला और नकल करने वाला देश बन गया है। पहले हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनुकरण किया था। फिर, हमने तहे दिल से पूंजीगत अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया।

[श्री जगमोहन]

हमारी सोच में कोई मौलिकता नहीं है। हमारी महान पूंजी क्या थी? प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अलग विशेषता देन है। जापान की विशेषता उसकी एक तरह की अपनी "सामूहिक भावना" है। अमेरीका की विशेषता "उद्यम" के रूप में है। ब्रिटेन की विशेषता "संतुलन" है। भारत की विशेषता क्या है? यह भारतीयों के मस्तिष्क की शक्ति है जो बहुत गहराई से सृजनात्मक और रचनात्मक रूप से सोच सकती है जिसने भारत को एक बार प्राचीन सभ्यता की जननी बना दिया था—प्रख्यात अमेरीकी इतिहासकार, विल डुरान्ट का ऐसा कथन है। मैं उस रूप को उद्धृत कर सकता हूं। मेरे सम्माननीय मित्र ने यहां *भगवत गीता* का उद्धरण दिया है। जब आप *भगवत गीता* पढ़ते हैं तो आप जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वह भारतीय मस्तिष्क ही है। यह कोई महान दर्शनात्मक काव्य नहीं है। यह भगवान कृष्ण का काव्य नहीं है। यह एक वह सूक्ष्म प्रश्न भी है जो अर्जुन ने जिज्ञासु मस्तिष्क, सृजनात्मक मस्तिष्क से पूछा था। वह हमेशा काफी सजग रहते हैं। हम इसी परिसम्पत्ति को खो चुके हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं लेकिन आपकी पार्टी का समय ही कम होगा।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : मैं यह समझता हूं। मेरा ख्याल है कि प्रत्येक सदस्य ने आधे घण्टे से अधिक समय ले लिया है। मैंने अभी आधा घण्टा भी पूरा नहीं किया है। निसन्देह मैं श्री बलराम जाखड़ जी द्वारा लिए समय से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल विल डुरन्ट के कथन को उद्धृत कर रहा हूं :

"भारत हमारी जाति की मातृभूमि थी, और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी थी; वह हमारे दर्शन की जननी थी, हमारे अधिकांश गणित का प्रादुर्भाव भी भारत से ही हुआ, बुद्ध के माध्यम से ईसाई धर्म में निहित आदर्शों की जननी; ग्राम समुदाय के माध्यम से, स्वायत्त शासन तथा प्रजातन्त्र की जननी थी। भारता माता, कई तरीकों से, हम सभी की मां है "

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय मस्तिष्क की इस शक्ति को पुनः सृजित किया जाना चाहिए था और हमें खुद को 1947 में तथा उसके बाद स्वयं अपना पुनर्निर्माण करना चाहिए था। इससे मौलिकता का समावेश होता और हम अपने समाधानों को स्वयं ढूंढ़ पाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।

हमारी धरोहर क्या थी? उस धरोहर के घटक क्या हैं? मस्तिष्क की उपज क्या थी? यह कर्मयोगी की संकल्पना थी। राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राम राज्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निष्पक्ष और न्यायोचित तरीकों से स्वच्छ एवं निष्पक्ष शासन करना। कर्मयोगी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निष्ठायुक्त और समर्पित कार्य। क्या हम उन्हें आजकल की शब्दावली में फिर से ढाल सकते हैं? *(व्यवधान)*

इसलिए, आज हमें इन संकल्पनाओं को पुनः सृजित करने की आवश्यकता है। अगर हम इन संकल्पनाओं को आज संगत शब्दावली में पुनः सृजित करते तो हमारा प्रशासन उतना प्रभावहीन, अक्षम और भ्रष्टाचारपूर्ण न होता जैसा कि आज है। अगर हमारी निष्पक्ष और न्यायोचित माध्यमों द्वारा बनी स्वच्छ एवं निष्पक्ष सरकार पर आधारित होती तो क्या हम इतने अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त होते? अगर हममें वह संतुलन और सद्भावना होती तो क्या यह पर्यावरणीय ह्रास होता? क्या हमारा समाज शीर्ष पर इतना उपभोक्तावादी होता और निचले स्तर पर इतने बेशर्म लोग होंगे? इसका कारण यह है कि हमने अपनी मूल पकड़ खो दी है और हम इतने अधिक अनुकरणवादी बन गए कि जिससे आज हम स्वयं को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं।

चुनौती क्या है? इस चुनौती का सामना वे ताकतें कर सकती हैं जो अब केन्द्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं यह नहीं कहता कि हम परम सम्पूर्ण हैं। हमारी अपनी कमियां हैं। परन्तु हमने जो रास्ता अपनाया है, जो प्रेरणा हम देना चाहते हैं तथा जो मूल परिवर्तन हम लाना चाहते हैं यह एक अपने आप अहम परिस्थिति है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और यह हो ही नहीं सकता कि हम इस राष्ट्र को एक नया मोड़ और एक नई दिशा देने में सफल न हों। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० शकील अहमद (मधुबनी) : बोतल भी पुरानी है, शराब भी पुरानी है, केवल ढक्कन नया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जगमोहन जी को पूरा करने दें, जब आपको समय मिलेगा, तब आप कहें।

श्री सत्यपाल जैन : लगता है शराब के बारे में इनकी जानकारी काफी है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : मैं किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संकल्पनाएं क्या थीं? हमारी मूल्य प्रणाली क्या थी जिस पर हमने शुरू में जोर दिया था? मैं यही कहना चाहता हूं। यही बातें हमारी राजनीति और प्रशासन में ढलती जा रही हैं। अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री जाखड़ जी कह रहे थे कि सरकार यह किस तरह करेगी। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें एक नई पद्धति, एक समर्पण भावना और कार्यों को करने का नया रास्ता ढूंढना होगा। हमें प्रेरणा लेनी होगी। केवल कुछ करने की प्रेरणा लेने वाले तथा जागरुक एवं सजग व्यक्ति ही यह कर सकते हैं ओर वे व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते जो छोटे-मोटे लाभ के लिए यहां-वहां परस्पर लड़ रहे हैं। हमारी समस्याएं बहुत विकट हैं और हमें विरासत में जो कुछ मिला है उससे इन समस्याओं

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का निराकरण नहीं किया जा सकता। अत: हमें पूरी कोशिश करनी होगी। यह मेरा अनुरोध है। इस बारे में कोई प्रतिवाद नहीं है। यह केवल पुन: सृजन की बात है।

मैं समय की कमी के कारण यह कहना नहीं चाहता परन्तु चूंकि आपने यह मुद्दा उठाया है इसलिए अब मैं श्री कृष्ण अय्यर जी को उद्धृत करना चाहूंगा। वे दकियानूसी नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आप सभी उन्हें जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था :

"मानव धर्म, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, अपने व्यापक अर्थ तें संयुक्त राष्ट्र के सभी तरीकों से अधिक आधुनिक है। यह भौतिकवादी, मानववादी, नैतिक, आत्यात्मिक और उच्चतम सांस्कृतिक अर्थ में मानवीय मूल्यों की उत्पत्ति है।"

मैं अपने मित्र को समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं। अगर वे अब भी यह महसूस करते हैं कि यह नए ढक्कन वाली एक पुरानी बोतल है तो मैं इसे उनकी समझ पर छोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि वे नहीं समझते।

अन्त में, जो कुछ मैंने कहा उस पर जोर देने के लिए मैं केवल टैगोर को उद्धृत करना चाहूंगा। मैंने इसमें जरा-सा संशोधन रूप किया है जिससे यह आज के समय में अधिक संगत बन सके। टैगोर ने कहा था :

"हमें वहां प्रार्थना करनी चाहिए जहां तर्क की स्पष्ट धारा निर्जन मरुस्थल, मृत आदत जहां पवित्रता, स्वच्छन्दता और सच्चाई के आलोक में विचारों और कृत्यों के माध्यम से मस्तिष्क सदा व्यापकता की ओर अग्रसर होवे। हे ईश्वर! मेरे देश में ऐसी सजगता आए।"

मैं कहता हूं कि मेरा देश नई स्वतन्त्रता, नई सच्चाई और नए न्याय के प्रति सजग हो। मैं इस सभा से यही कहना चाहूंगा। पहले कही गई बातों को मैं दुबारा नहीं कहना चाहता। मैंने समझा कि यह ऐसा मौलिक मुद्दा है जिस पर सभा द्वारा दोनों तरफ से विचार किए जाने की आवश्यकता है। मैंने यह रजामंदी की भावना से कहा था, आम सहमति और रचनात्मकता की भावना से कहा था। यह इस राष्ट्र के पुनर्सृजन राष्ट्र के, पुनर्जागरण का मामला है। एक समय था जब स्वामी विवेकानंद ने आगे आकर इस राष्ट्र को एक नया विश्वास दिया था। मैं समझता हूं कि हमें इसके लिए श्री अरविन्द द्वारा कही गई एक और उक्ति की आवश्यकता है क्योंकि हम अभी भी अपनी जड़ों को समझे बिना उसी मूल्य प्रणाली या चीजों के पीछे उसी दौड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था :

"राष्ट्र को सम्मोहित करने में ब्रिटिश शासन को लगातार सफलता मिलने का इतिहास ग्वाह है। जैसा कि सम्मोहनकर्ता चाहता था, इसने हमारे अन्दर विषादमय शिथिलता पैदा करते हुए हमें तब तक 'मृत इच्छा' में जीने को प्रेरित किया जब तक और अधिक सम्मोहन का स्वामी भारत की निगाहों पर अपनी अंगुली रखकर यह न चिल्लाया "जागो"। उसके पश्चात ही सम्मोहन टूटा, उन्निदा मस्तिष्क ने स्वयं महसूस किया और मृत आत्मा पुन: जाग उठी।"

स्वामी विवेकानन्द ने यह सृजित किया था। मृत आत्मा फिर से जी उठी थी। अब दुर्भाग्यवश हम अन्य सम्मोहन के वशीभूत हैं। एक सम्मोहन यह है कि हमोर दिखावटी, नकल करने वाले भारतीय मस्तिष्क का अमरीकीकरण हो रहा है। हमें एक नए पुनर्जागरण की आवश्यकता है जो इस राष्ट्र को एक नया ज्ञान और एक नई दिशा प्रदान करेगा।

अगर मैंने अधिक समय लिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : माननीय सभापति महोदय मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसी ने यह सोचा होगा कि इस तरह का एक डगमगाता हुआ गठजोड़ एक साधारण और उपयुक्त शासन का राष्ट्रीय एजेंडा प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसी एजेन्डे की झलक मिलेगी लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन घिसी-पीटी बातों के बीच कुछ ऐसी प्रश्नवाचक योजनाएं समाहित की गई हैं जिनसे कि हमारे संसदीय लोकतंत्र का मूलभाव गड़बड़ा जाएगा। इस सरकार को बहुत ही कम बहुमत द्वारा जो मौका मिला है वे उससे बहुत आगे निकल गए हैं। विश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से यह प्रकट हो गया है। यह सरकार जो कि भा.ज.पा. के नए साथियों की कुदृष्टि पड़ते ही गिर जाएगी यहां तक कहने की धृष्टता कर रही है कि वे एक बड़े पैमाने पर संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं और इसके लिए वे एक आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करने के अपने इस इरादे के साथ आगे बढ़ने के इस संकल्प को दोहराया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने इसे इस तरह से कहा है कि यह एक स्वाभाविक एवं सुगम कार्य हो। भा.ज.पा. के प्रकट एजेंडा का एक पहलू यह है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस तथाकथित राष्ट्रीय एजेंडा में समाहित हो गया है। मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हो रहा है कि यह सरकार की प्राथमिकताओं को गुप-चुप रूप से आगे सरका रहा है।

हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के इस अप्रत्याशित कदम के पीछे क्या तर्क है? संविधान निर्माताओं, संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रीय आन्दोलन से प्राप्त अपने व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के लिए कोई निर्धारित अवधि तय नहीं की थी। वे इस दस्तावेज को ग्रामीण बाजार में किसी बिसाती द्वारा बेचे जाने वाले एक दर्द निवारक के रूप में पेश नहीं करना चाहते थे बल्कि उनका आशय इस महान राष्ट्र के नियति निर्माण एवं उसके पथ प्रदर्शन से था। हालांकि उन्होंने इसे अपरिवर्तनीय भी नहीं बनाया है। उन्होंने इसमें समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विकासशील परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन करने का प्रावधान भी रखा। हम सब जानते हैं कि संविधान में अनेक बार संशोधन हुए हैं। यदि सरकार का इरादा संविधान को अद्यतन करने तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का है, तो इसमें संशोधन एवं सुधार करने की पहले ही काफी स्वतन्त्रता अन्तर्निहित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी होती है कि सरकार संविधान पर एक बार फिर पुनर्विचार करने के लिए इच्छुक क्यों है। महोदय, यहां इन्हीं परिस्थितियों में हम बहुत आशंकित हैं।

संविधान का एक पक्ष ऐसा है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार जोर देकर कहा गया है। वह है संविधान का मूल ढांचा। कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं जो कि हमारे लोकतन्त्र को एक सच्चा लोकतन्त्र बनाते हैं न केवल शब्दों में बल्कि हमारी चेतना में भी लोकतन्त्र का समावेश हो जाता है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं—स्वतन्त्रता का अधिकार, जीने का अधिकार

[श्री सुरेश कुरूप]

और वह प्रावधान जो कि इस देश के अल्पसंख्यकों को कतिपय अधिकार देने की गारंटी देते हैं। संक्षेप में यह संविधान का मर्म है जो कि इस 900 मिलियन लोगों के इस मजबूत राष्ट्र को खड़ा रखता है जिसे एक सभ्य लोकतन्त्र माना जाता है। इसी मर्म को—भा.ज.पा. के नए साथियों से बचकर रहिए—भा.ज.पा. अपने इन नए सहयोगी दलों के साथ मिलकर विध्वंस करना चाहती है।

मैं विश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर प्रधानमंत्री जी के जवाब की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें वे बड़ी खूबसूरती से अपना कुटिल विचार प्रकट कर गए। माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में दिए गए कुछ सुझावों में संकेत लेकर इतनी बड़ी बात कह दी कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक बार निर्वाचित लोक सभा को अपनी पांच वर्ष की अवधि पूरी करनी चाहिए। मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह अनेक संसद सदस्यों के लिए लुभावना प्रस्ताव है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस देश के लोगों ने "आपातकालीन शासन" को हटा दिया था जिससे लोक सभा की अवधि बढ़ गई थी। उस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था और कहा कि यह परलोक सभा है। महोदय, ऐसे युक्तिपूर्ण प्रावधान लोकतन्त्रात्मक राजतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध जाते हैं।

आप पिछले दरवाजे से स्थिरता नहीं ला सकते हैं। इस देश में हुई भूतपूर्व घटनाओं को याद करिए जिसमें भिन्न राजनीतिक राय के नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण और ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद ने जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के दौरान वापस बुलाने क पक्ष में बहस की थी। उन्होंने कहा था जनता को अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज यहां नैतिकता का ऐसा बादशाह आ गया है जो ऐसी लोकतान्त्रिक आकांक्षाओं को ही उलट देना चाहता है।

शायद, यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि नैतिकता का यह मुखौटा पिछले 15 दिनों में कई बार बदला है जिससे यह प्रकट होता है कि यह चेहरा वस्तुतः सहृदय नहीं है।

महोदय, सामन्य धारणा यह है कि गठजोड़ में भा.ज.पा. नरम रुख अपनाएगी और अपनी अतिवादी तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगी। अब, मुझे हैरानी है कि क्या प्रधानमंत्री जी संविधान को सुधारने की अपनी इस कोशिश में विधि मंत्री, श्री तंबी दुरई की काबिल सहायता ले पाएंगे। उनमें दण्ड सम्बन्धी प्रणाली के अन्तर्गत काफी तह तक पहुंचने की योग्यता है। उन्होंने वास्तव में एक मुलजिम को छः गंभीर आपराधिक मामलों से छुड़ा दिया था और महोदय, वह मुलजिम और कोई नहीं है उनके राजनीतिक आका हैं जिनकी बदौलत उनकी अपनी स्थिति एवं राजनैतिक हैसियत कायम है।

विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में न तो प्रधानमंत्री और न ही किसी सदस्य ने इस मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश की है। बार-बार सदस्य यह मुद्दा उठा रहे थे। इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है? क्या स्वयं मंत्रालय का यही रवैया है? इस ओर प्रधानमंत्री का क्या रवैया है *(व्यवधान)* आप बीच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दे सकते हैं। मेरे विचार में माननीय प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। *(व्यवधान)*

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ राज्य विधान मण्डलों में कुछ गम्भीर परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दल परिवर्तन रोधी कानून को बचाव के रूप में तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। शायद सरकार तथा उसके मंत्री इस देश के कानून में नाटकीय परिवर्तन की वकालत कर रहे थे जिससे यह साबित हो सके कि यह एक स्वीकार्य परम्परा है। वास्तविकता यह है कि भा.ज.पा. की, जो केन्द्र में सबसे बड़ी पार्टी है कुछ राज्यों में सरकारें हैं जो कि हम सबके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

महोदय, मैं इस सभा का एक सदस्य होने के नाते दल परिवर्तन रोधी कानून की स्वीकृति का साक्षी था जिसे बड़ी सहजता के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महोदय, इस सभा के सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अध्यक्ष की निष्पक्षता में अपना विश्वास व्यक्त किया और अन्ततः उन्हें मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया था। किसी व्यक्ति विशेष में विश्वास व्यक्त नहीं किया गया था बल्कि अध्यक्ष के सम्माननीय पद में विश्वास व्यक्त किया गया था हालांकि इन 13 वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ अध्यक्षों के आचरण पर जनता तथा मीडिया द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं।

यहां, जिस जीच का ह्रास हुआ है, वह कानून नहीं है, बल्कि उसका कार्यान्वयन है। हमने पिछले दो सप्ताहों में भा.ज.पा. को किसी भी कीमत पर केवल बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्न करते देखा है। मुझे आशंका है कि आने वाले दिनों में दल परिवर्तन रोधी कानून के प्रावधानों की अनेक तरह से खींचातानी की जाएगी।

मुझे आशंका है कि कहीं हम इसी सभा में इस प्रवृत्ति के साक्षी न हों। ऐसी स्थिति में इस सभा के अध्यक्ष का पद संसदीय लोकतन्त्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है।

महोदय, सरकार की यह इमारत धोखाधड़ी, छल-कपट और जोड़-तोड़ के आधार पर बनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस सरकार द्वारा समस्या उत्पन्न करने के संकेत मिल रहे हैं जिससे किसी भी सही सोच के व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए अतः मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस डिबेट में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं औपचारिक रूप से इसका विरोध करना नहीं चाहता हूं बल्कि हर सच्चे भारतीय को हृदय से इस सरकार का विरोध करना चाहिए।

हमारा देश जो अपनी आजादी का 50वां साल मना रहा है वह उस महा-मानव की तपस्या का परिणाम है जिसने एक लंगोटी पहनकर पूरे संसार को विजय के लिए अहिंसक क्रांति का एक नया हथियार दिया। इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम हाजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं लेकिन उन महा-मानव के अनुयाइयों को और उनके दर्शन को हम फ्रिज में रखते जा रहे हैं। उनका नाम लिए बगैर देश नहीं चल सकता। सत्ता में बैठने की कल्पना करने वालों को महात्मा गांधी का नाम लेना ही पड़ेगा, और लेना ही पड़ा। सभी जानते हैं कि आप अपने

जन्मकाल में गांधी जी के कितने हमदर्द थे और सत्ता-काल में कितने प्रशंसक हैं। आपने महात्मा गांधी को इस अभिभाषण में मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

गांधी जी का इस देश में राजनीतिक आदमी जितना सम्मान करता है उसके उतने पाप कट जाते हैं। अपने पाप काटने के लिए जहां आपने महात्मा गांधी को मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा था वहीं नाथूराम गौडसे को आजाद भारत का प्रथम आतंकवादी कह देते। लेकिन वह कहने का आपमें साहस नहीं है, इसलिए आपकी अपने कैडर को ट्रेनिंग दूसरी है और जनता के वोट मांगने का आदर्श दूसरा है यानी मुंह में राम, बगल में छुरी। इस देश के लोगों ने कहावत सुनी होगी, इस देश के बच्चों ने किताबों में पढ़ा होगा। नई लोक सभा की सरकार को साकार रूप में देखने का अवसर जो 50वीं वर्षगांठ पर मिला, यह हमारी निरन्तर गिरती हुई राजनीति के कारण है, हमारे पूर्व-अधिकारियों की गलती के कारण है, जिसका हमें अफसोस होता है। *(व्यवधान)* वे तमाम नेता जिन्होंने हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन भी किया, आज उधर बैठे हुए हैं। जिन्होंने सिद्धान्तों से समझौता कभी न करने का पाठ पढ़ाया कि सिद्धान्तों से समझौता कभी न करना, वे आज उधर बैठे हुए हैं। मेरी इस बात को हमारे नेता जार्ज फर्नान्डीज साहब कहां बैठे सुन रहे होंगे। हम उनका आदर आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।

इस देश में कोई भी राजनीति करने वाला, देश पर शासन करने का सपना देखने वाला आदमी या नेता, जब तक इस देश की सामाजिक संरचना को अपने दिमाग में नहीं रखेगा, तथा गांधी जी के दर्शन को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक वह इस देश को ईमानदारी से नहीं चला सकता है। उधर बैठे लोगों ने वोट के लिए क्या-क्या पाप नहीं किए हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वोट बड़ा नहीं होता, देश और समाज बड़ा होता है। यही कारण है कि आपने महामहिम राष्ट्रपति का आठ पृष्ठों का अभिभाषण जल्दबाजी में तैयार किया है, उसकी न कोई दिशा है और न कोई नीति है।

अपराह्न 4.01 बजे

[**श्री पी०एम० सईद** *पीठासीन हुए।*]

हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि वही पुरानी शराब और बोतल है, सिर्फ लेबल नया है। इसमें क्या गलती है? आपका यही नेशनल एजेंडा है और वही पुराना अक्षरशः राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। जनता को ठीक से नहीं बताया गया कि किस काम को कैसे किया जाएगा? आपने कहा कि गरीबी और निरक्षरता खत्म कर दी जाएगी तथा अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जाएगी।

श्री राजवीर सिंह : क्या आप इनके विरोधी हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम इनके विरोधी नहीं हैं। शायद आपको पता नहीं देश के लोग कैसे गांवों में बसते हैं? अभी भी ऐसे जिले हैं जहां 70-75 फीसदी लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। *(व्यवधान)* इसकी गणना भी हुई है। *(व्यवधान)* मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राजवीर सिंह जी, आपने इसकी शुरुआत की है। आप जरा आराम से इनकी बात सुनिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : संगमा जी ने ठीक कहा कि आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में संवैधानिक बातों को भी ठीक से लिखना भूल गए। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आपने जल्दबाजी में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्राथमिक शिक्षा द्वारा लिख दिया। इसमें जरा भी गम्भीरता नहीं है। आप चाहते हैं कि किसी तरह सरकार चल जाए, जोड़-तोड़ हो जाए और इस देश में समाज के उच्च वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इसके अलावा आपकी कोई कल्पना नहीं है। आपका जो मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसके और आपके आज तक के इतिहास को देखा जाए तो उसमें कोई अच्छी बात देखने को नहीं मिलेगी।

1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। क्या उस समय हिन्दू धर्म को कोई खतरा था? उसको खतरा नहीं था। उस समय आजादी हासिल करने के लिए समाज के दबे, कुचले लोग गांधी जी के पीछे खड़े थे। उस समय आजादी हासिल हो जाती तो यहां समाज के दबे, कुचले लोगों का शासन स्थापित हो जाता। 1921 में जब गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हो गया तो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन किया गया। आपने पहले भी केन्द्र में सरकार बनाने में सहयोग दिया। बरसों से उपेक्षित लोगों की जब संसद में बात की गई और मण्डल कमीशन लागू हो गया तब आपने राम को कैद से निकालने की बात करनी शुरू कर दी। आपने राम मन्दिर आन्दोलन शुरू किया। अच्छा होता अगर यहां जार्ज साहब बैठे होते। वह हिन्दुत्व की परिभाषा कर रहे थे। उन्होंने "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" का उल्लेख किया। उन्होंने यहां गांधी जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि गांधी ने कभी भारत को हिन्दुस्तान कहा था। सही बात है। अगर जार्ज साहब यहां होते तो मुझे ज्यादा आनन्द आता। मैं अगर कोई गलत बात कर रहा होता तो वह उसका जवाब देते। जार्ज साहब ने 20-21 मार्च, 1993 को हैदराबाद में जो कुछ कहा था, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर मैं उसे पूरा पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैं उसका सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

चाहे प्रतिनिधि के रूप में—"बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना संघ परिवार की मुसलमानों के प्रति अत्यधिक घृणा को दर्शाता है जोकि जर्मनी में सत्ता हथियाने के लिए एडओल्फ हिटलर द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किए गए अत्याचार से कुछ अलग नहीं था। राष्ट्रवाद की कई परिभाषा हिन्दू राष्ट्र के समानार्थक हैं जिसमें हिटलर द्वारा दी गई जर्मन जाति की विशिष्टता और सर्वोच्चता के नारे की प्रतिध्वनि झलकती है। और इसके साथ संघ परिवार ने न केवल जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धान्त को नई परिभाषा दी है बल्कि देश के विभिन्न भागों में हुए कई विद्रोहों को तर्कसंगत ठहराया है।"

[हिन्दी]

श्रीमान इस तरह की बात जार्ज साहब ने हैदराबाद में संघ परिवार के बारे में कही थी। अब हिन्दुत्व की परिभाषा बदल रही है। यह इतिहास हमेशा अमर रहता है। इसको आगे आने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। इस

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

प्रकार से आप उनको क्या दिया दे रहे हैं? यह सरकार या सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता-सुख या सरकारी सत्ता भोग के लिए नहीं होती, यह नई पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए भी होती है। आज हमारे गृह मंत्री के रूप में जो यहां बैठे हैं, जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी तब ये वहां भी मौजूद थे। जब इतिहास लिखा जाएगा, तो क्या यह छूट जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने पंथनिरपेक्षता की दुहाई और उसी के इशारे पर बाबरी मस्जिद का डिमोलीशन हुआ और उस समय इस सरकार के गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। पंथनिरपेक्षता का इससे बड़ा अनादर और मजाक क्या हो सकता है? यह सही है कि यदि इस देश में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त खत्म हो जाए, तो इस देश का जो नक्शा आज है वह नहीं रह जाएगा।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चाहे जितना लम्बा-चौड़ा भाषण दिया जाए लेकिन इस देश को नहीं बचाया जा सकता है। यदि इस देश को बचाया जा सकता है, यदि इस देश को अक्षुण्ण रखा जा सकता है, तो गांधी जी द्वारा बताए गए पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्त द्वारा ही बचाया जा सकता है। मैं यहां पर गांधी जी द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

> "हिन्दुस्तान उन सभी का है, जो यहां पैदा हुए हैं, यहीं पले हैं और जो किसी दूसरे देश को अपना नहीं मानते। इसलिए यह जितना हिन्दुओं का है उतना ही पारसियों का, या यहूदियों का, या भारतीय ईसाइयों का, या मुसलमानों और अन्य अहिन्दुओं का है। स्वतन्त्र भारत हिन्दू राज नहीं, भारतीय-राज होगा जिसका आधार किसी भी धार्मिक मत या सम्प्रदाय का बहुसंख्यक होना नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष रूप में सम्पूर्ण जमात का प्रतिनिधित्व होगा। मेरी कल्पना के अनुसार कई सम्प्रदाय वाले मिल-जुलकर हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना सकते हैं। वे अपनी सेवाओं के हिसाब से और अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विदेशी प्रभुत्व ने देश के अप्राकृतिक टुकड़े कर डाले हैं। विदेशी प्रभुता के रहने पर हमें इस मूर्खता पर हंसी आएगी कि झूठे आदर्शों और नारों से हम किस तरह चिपटे रहे।"

श्रीमान गांधी जी का नाम तो लिया गया, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर उन्हें आत्मसात करना है, तो इस मूर्खता को भी त्यागना चाहिए। जब संसद में आएंगे, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष होने का दम भरेंगे और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जब जनता में वोट मांगने जाएंगे, तो बड़े-बड़े पोस्टर लगाएंगे और लिखेंगे कि "जो कहा सो किया।" इगर इस प्रकार से कथनी और करनी में अन्तर रहेगा, तो गांधी जी को मात्र किताबों में मर्यादा पुरुषोत्तम लिख देने से आप गांधी जी को मानने वाले नहीं बन सकते।

श्रीमन, उस दिन जार्ज साहब ने भी कहा था और मैं आज उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि आप इस देश अभिजात्य वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते हैं। इस देश के करोड़ों दलितों और पिछड़ों को शासन से महरूम रखने के लिए धर्म का आडम्बर करना चाहते हैं– यह चलने वाला नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दू अगर यहां बहुमत में हैं, तो इसलिए हैं कि अभी हिन्दू अपने को कष्टभोगी मानने के लिए मजबूर हैं। सुख भोगी हिन्दू बहुत कम हैं जिनका प्रतिनिधित्व गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी करते हैं। इन कष्टभोगी हिन्दुओं की संख्या इस देश में ज्यादा है और सुखभोगी हिन्दुओं की संख्या कम है। इसलिए इन कष्टभोगी हिन्दुओं को संगठित होने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें अल्पसंख्यक भी जुड़ेंगे, उसमें दूसरे धर्मों के लोग भी जुड़ेंगे।

महोदय, यह अल्पमत की सरकार, जिसे कहते हैं कि यह अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी, हमारा कहना है कि यह सरकार छः महीने से ज्यादा सत्ता में रहने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* संन्यास से नहीं कर्मयोगी बनकर आपको हटाएंगे।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बार का राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जो सरकार की नीतियों की घोषणा है, एक ऐतिहासिक भाषण है। जिसमें माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक अटल निश्चय किया है कि इस देश की पीड़ा, दुख-दर्द को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने इस अभिभाषण के द्वारा एक नये भारत का निर्माण करने का संकेत, संकल्प किया है। जिससे हमारा भारत फिर से अतीत के भारत जैसा गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली बन सके। इस दिशा के लिए देश और उसकी सरकार काम करेगी, इस प्रकार का संकल्प इस अभिभाषण में है। इस देश का इतिहास बहुत गौरवशाली है। हम अपनी गौरवशाली संस्कृति, उच्च्व संस्कार, चरित्र आदि दुबारा अपने जीवन में ला सकें, अपने प्रशासन में उसको सम्मिलित कर सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, यह सुनना नहीं चाहते।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, ए०वी०एस०एम० : सुनना नहीं चाहते तो बाहर चले जाएं।

सभापति महोदय : आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, ए०वी०एस०एम० : इस दृष्टिकोण को लेकर यह अभिभाषण दिया गया है और सरकार ने अपनी नीतियों की घोषणा की है। इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विचार सदन के सामने रखा।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के कुछ बिन्दुओं पर ही मैं समय सीमा के अन्दर अपने विचार रखूंगा। इससे पहले मैं सदन में एक और बात पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यहां पर विश्वास मत के दौरान और आज भी चर्चा हुई कि यह अभिभाषण अति महत्वकांक्षी है। माननीय जाखड़ जी ने 'यूटोपियन' शब्द का इस्तेमाल किया और पूर्व संचार मंत्री, श्री वर्मा जी ने भी कुछ मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सब काम कैसे हो जाएगा? मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की निराशा का वातावरण आज इस देश में बना हुआ है, जिस प्रकार का पेसीमिसम हर इंसान के दिल में छा गया है, उसको उभारने के लिए जब तक आप लम्बा, दूरदर्शी प्रोग्राम जनता के सामने नहीं रखेंगे, जब तक आप जनता को नहीं बताएंगे कि लम्बे समय में देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं तब तक आप पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। देश के अन्दर जो निराशा का वातावरण बन गया है, उस निराशा के वातावरण को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दूरगामी उद्देश्यों के बारे में जनता को बताना पड़ेगा। उनका समझाना पड़ेगा कि सचमुच कोई सरकार ऐसी है, कोई लोग ऐसे

हैं, जो चाहते हैं कि हम देश का उत्थान करें। सिर्फ भाषणबाजी करने के अलावा हम कुछ करना चाहते हैं और इसके लिए देश के सामने, जनता के सामने कुछ उद्देश्यों को रखना जरूरी है। आज बहुत से लोग मजाक उड़ाने लगे हैं कि भारत देश महान है। सब जगह दिल्ली आदि में लिखा है कि मेरा भारत महान है। मैंने थोड़े दिन पहले आटोरिक्शा के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। आज देश के सामने यह मानसिकता बैठ गई है कि हम सब बेईमान हैं। यह कैसे होगा? इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, चलने दो सब चलता है। भ्रष्टाचार चलता है। भ्रष्टाचार पहले भी होता होगा। मैं अपने बचपन के जीवन के बारे में कहता हूं कि भ्रष्टाचार तब भी था लेकिन उस समय घूस के पैसे को लोग छुपाते थे। उसका उपयोग नहीं करते थे, डर कर उसका उपयोग करते थे। आज क्या हो गया है? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। आज हमारी बड़ी-बड़ी कोठियां व आलीशान बिल्डिंगें हैं और जो आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता, जो आदमी घूस नहीं लेता, उसे कहते हैं कि उसको नौकरी करनी ही नहीं आती। *(व्यवधान)* आपको यदि सिर्फ टिप्पणी करनी है तो करिए लेकिन कभी तो देश के लिए सीरियसली सोचिए। टीका-टिप्पणी करने से काम नहीं चलने वाला है। *(व्यवधान)* आप मुद्दों पर, विचारों पर बात करिए। आप पचास साल तक सुख राज जी को ट्रेनिंग देकर हमारे पास भेज सकते हैं, रातों-रात ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी। *(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया : जिसके घर में चार करोड़ रुपया निकला, आपने उसे डिप्टी सी.एम. बना दिया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। खंडूरी जी, आप अपना भाषण दीजिए।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, ए०वी०एस०एम० : सभापति जी, आपके आदेशानुसार मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं। ये मेरी बात से सहमत न हों लेकिन गंभीरता से सुन तो लें। कभी तो सीरियसली सदन में बैठिए, यह मसखरापन कब तक चलेगा। यह देश आज पचास साल की आजादी के बाद कहां पहुंच गया है।

इस अभिभाषण में जो दिशा-निर्देश किया गया है, वह इस उद्देश्य से किया गया है कि देश का आत्म-सम्मान जागे, इस देश को ऐक्टिवली हिस्सा लेने का मौका मिले। इस देश का कुछ उत्साह तो हो। इस दृष्टिकोण से किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को स्पष्ट कह दिया कि इसमें हर चीज की समय सीमा नहीं दी गई है कि कोई एक साल में होगा, कोई दो साल में होगा, कोई पांच-दस साल में होगा। लेकिन उस रास्ते में तो हम चलें, उस दिशा को तो हम लें। यदि आप समझते हैं कि उस दिशा में चलना गलत है तो कहिए। लेकिन इसका हंसी-मजाक उड़ाना कि क्योंकि हम कहते हैं कि सबको शिक्षा देंगे, सबको रोजगार देंगे तो क्या कोशिश करना गलत है। क्या उन उद्देश्यों का वर्णन करना गलत है? इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सदन समझे कि किन उद्देश्यों से यह किया गया है।

अब मैं उन बिन्दुओं पर आता हूं जो अभिभाषण में हैं। सबसे पहले मैं बिन्दु नम्बर 28 पर आ रहा हूं जो उत्तरांचल के बारे में है। मैं राष्ट्रपति जी और माननीय वाजपेयी जी की सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे क्षेत्र की लम्बे समय से जो मांग चली आ रही थी, उसे इस सरकार ने माना है और उसे कार्यान्वित करने के लिए एक संकल्प लिया है। मैं उत्तरांचल की सारी जनता की तरफ से राष्ट्रपति जी, अटल जी और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों, जिनकी लम्बी लिस्ट है, 13 सहयोगी पार्टियां हैं जिन्होंने इसे नेशनल एजेंडा में शामिल किया है, का भी आभार व्यक्त करता हूं। *(व्यवधान)* उत्तरांचल और छोटे प्रदेश के बारे में कभी यह शंका यहां पर राष्ट्रपति जी के विश्वास मत द्वारा पैदा की गई कि इससे यह देश कमजोर होगा। मैं उन सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप समझिए, उन क्षेत्रों की परिस्थिति क्या है, क्यों वे पृथक प्रदेश की मांग करते हैं। जब 1994 में आंदोलन चरम सीमा पर था, मैंने वहां खड़े होकर कहा था कि हम उत्तरांचल का निर्माण इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए करना चाहते हैं। यदि कोई चीज इस देश के अहित में होगी तो हमें उत्तरांचल नहीं चाहिए। हम देश को कमजोर करने के लिए उत्तरांचल नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह छोटा प्रदेश, जो भौगोलिक दृष्टि से अलग है, इतना शक्तिशाली बने कि देश को उस पर गौरव हो और मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सात से दस साल के अन्दर यह क्षेत्र सैल्फ सफिशैंट होगा। यह आर्थिक रूप से भी और अन्य संसाधनों से भी देश में एक ऐसा मजबूत राज्य बनकर उभरेगा, जिस पर पूरे देश को गौरव होगा। ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे योजना आयोग को ही ले लीजिए। योजना आयोग के जो नार्म्स बने हुए हैं, वे दिल्ली के लिए भी वही हैं और पहाड़ के लिए भी वही हैं। जो नार्म्स मैदान के लिए हैं, वहीं माउंट एवरेस्ट के लिए हैं। हमारे यहां योजना आयोग के अनुसार प्राइमरी हैल्थ सैंटर करीब-करीब पूरे हो चुके हैं। जब हम इनके पास इसके लिए जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे मानदंडों के हिसाब से आपका कोटा पूरा हो गया है। लेकिन वास्तव में वहां एक नहीं सैंकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां गर्भवती महिला को कुर्सी पर बांधकर ढलान पर छः-सात घंटे तक धकेल कर प्राइमरी हैल्थ सैंटर ले जाना पड़ता है। अगर कोई वाहन उपलब्ध हो जाए तो तीन-चार घंटे में हम प्राइमरी हैल्थ सैंटर पहुंचते हैं।

इसी तरह से वहां सैंकड़ों नहीं, हजारों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है, जबकि गंगा, यमुना हमारे क्षेत्र से निकलकर और बहकर जा रही हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह मांग देश को कमजोर करने के लिए नहीं है। यह विकास की दृष्टि से है। भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर उस एरिया को प्रशासनिक रूप से छोटी इकाई बना दिया जाए तो इससे देश भी समृद्धशाली होगा। लेकिन इसमें भी राजनीति लाई जाती है। माननीय शिवशंकर जी ने उस दिन कहा था कि छोटे राज्य इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप इस समय सरकार में हैं। जबकि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समय इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री मुसेमवार जी, जो इनके पीछे बैठते हैं, तब कहा था कि हम विदर्भ चाहते हैं। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी छोटे राज्य की मांग कर रहे हैं। इसलिए आप इस पर गम्भीरता से सोचें। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में जल्द ही इसके लिए बिल लाएगी। सरकार को चाहिए कि आगामी बजट सत्र में इससे सम्बन्धित बिल लाए और सभी पक्षों के लोग इस पर अपना आशीर्वाद दें।

बिन्दु नम्बर चार में आम सहमति की बात कही है। मेरा मानना है कि यह सरकार की नीतियों का मूल मंत्र है। चाहे सरकार अल्पमत में हो या बहुमत में हो, जब तक आम सहमति से देश नहीं चलेगा,

[मेजर जनरल भुवन चन्द खंडूरी, ए०वी०एस०एम०]

तब तक देश में उन्नति नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1984 में कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत था। आम सहमति से देश चलाते तो सारी समस्याएं हल हो सकती थीं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो सब तरफ हैं, उन्होंने यह होने नहीं दिया। जो आम सहमति का वातावरण बनना चाहिए था, वह नहीं बना और उसका क्या नतीजा हुआ, यह सभी जानते हैं। आम सहमति से कई काम हो सकते हैं। इसलिए आम सहमति का वातावरण देश में बनना चाहिए। एक-दूसरे पर जो अविश्वास की भावना है, उसको दूर किया जाए। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन देश के हित के लिए जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं उन पर आम सहमति होनी चाहिए।

10वीं लोक सभा में मैंने विपक्ष में खड़े होकर कई बार सुझाव दिया था कि क्या हम लोग कुछ मुद्दों को छांट नहीं सकते और उनको बिना राजनीति के क्यों नहीं सुलझा सकते। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम यहां भाषण देते हैं तो ऊपर देखते हैं कि कल क्या छपने वाला है। इसलिए लोग अपनी पार्टी लाइन लेते हैं और अपनी पब्लिसिटी करते हैं।

कुछ बिन्दुओं पर जैसे पोप का चुनाव होता है, हमें भी करना चाहिए। सारे कार्डिनल एक मकान में बंद हो जाते हैं और बाहर से ताला लगा दिया जाता है, किसी को अन्दर जाने की इजाजत नहीं होती और जब तक सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, अन्दर ही रहते हैं, भले ही उसमें एक सप्ताह लगे या एक महीना लगे और जब निर्णय हो जाता है तो चिमनी से सफेद धुआं निकलता है तो लोग समझ जाते हैं और ताला खोल दिया जाता है। लोग बाहर आते हैं तो किसी को यह पूछने का अधिकार नहीं होता कि अन्दर क्या हुआ, क्योंकि सर्वसम्मति से एक राय होती है। हमें इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए कि सब पार्टीज के नेता इकट्ठे बैठें और सब समस्याओं पर विचार करें, चाहे जनसंख्या की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो। केवल तभी हम शायद किसी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। यह सरकार आम सहमति की बात करती है। यह आशावादी विचार है। मुझे आशा है तथा मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोगों से कृपया कहिए कि कुछ मुद्दे तो ऐसे छांट लें जिन पर हम आम सहमति से काम करें।

मेरा अगला पैरा है—काम करके दिखाएं। यह कोई नया विचार नहीं है कि सरकार को काम करके दिखाना चाहिए। आज से नहीं बहुत पहले से जनता यह चाहती है कि सरकार कुछ काम करके दिखाए। मुझे याद आता है कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार 1984 में बनी थी तो उनसे पूछा गया था कि आपकी सरकार कैसी होगी, उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

मेरी सरकार काम करने वाली सरकार होगी।

[हिन्दी]

किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके पहले की सरकार क्या काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

मेरी सरकार शीघ्र काम करने वाली सरकार होगी।

[हिन्दी]

आज वास्तव में कुछ काम करके दिखाने की जरूरत है। उस नेता से बड़ी आशा थी। मैं उस समय फौज में था। हम भी सोचते थे कि वह युवा नेता हैं, देश का चेहरा बदल देंगे, दो-तिहाई बहुमत से जीतकर आए हैं। खासकर मुम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि पॉवर ब्रोकर्स को हम खत्म करेंगे। देश में उनसे एक नई आशा जागी थी लेकिन सब खत्म हो गया। अत: मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जमीन पर, असलियत में कुछ काम करके दिखाए, केवल कागजों पर ही काम न करे।

हमारे देश में आजादी के पचास सालों के बाद क्या स्थिति है? कितना पैसा खर्च हो गया, वह एक लम्बी चर्चा का विषय है लेकिन जमीन पर, वास्तव में सरकार को काम करके दिखाना है तथा उसमें सरकार को एकांउटेबिलिटी लेनी होगी। जिस व्यक्ति को काम दिया गया है, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यदि गलत काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए।

हमारे देश में पचास साल के अन्दर प्रगति हुई है लेकिन उल्टी-पुल्टी प्रगति हुई है। अमीर और अमीर होता गया तथा गरीब और गरीब होता गया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज पांच सितारा होटल में एक कल्चर बन गया है। वहां पांच हजार, छ: हजार रुपये की एक प्लेट होती है। वहां जाने वाले व्यक्ति को भूख नहीं होती। वह केवल थोड़ा-बहुत टुकड़ा ले लेता है और बाकी सब खाना जब कचरा-पेटी में जाता है तो उस कचरा-पेटी में कुत्ता और इंसान का बच्चा एक साथ झपटता है। कुत्ता मजबूत हो जाता है और इंसान का बच्चा कमजोर हो जाता है क्योंकि वह कुत्ते से छीन नहीं पाता। उसी पांच सितारा होटल में एक कमरे में सोने के लिए पन्द्रह हजार रुपये एक व्यक्ति देता है जबकि बाहर सड़कों पर, फुटपाथ पर एक गरीब आदमी के पास ओढ़ने के लिए कम्बल तक नहीं है। अकेली दिल्ली में ही न जाने कितने लोग ठण्ड से मर जाते हैं।

हमारे देश के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, जिसके आंकड़े अभी जगमोहन जी ने दिए हैं। मैं मानता हूं कि प्रगति हुई है लेकिन कुछ जनसंख्या के बढ़ने के कारण और कुछ प्लानिंग में कमी होने के कारण ठीक से प्रगति नहीं हो पाती। जनसंख्या की समस्या का समाधान भी हमें आम राय से करना चाहिए। 1991 में दसवीं लोक सभा में एक इसी प्रकार का प्रस्ताव आया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें क्योंकि मेरे पास आपके दल के सदस्यों की काफी लम्बी सूची है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द खंडूरी ए०वी०एस०एम० : महिलाओं के बारे में पैरा 13-14 में उल्लेख किया गया है। बेरोजगारी के बारे में पैरा 16 में जिक्र किया गया है। बेरोजगारी एक अत्यन्त उलझी हुई समस्या है। जॉब क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। हमारी शिक्षा पद्धति में सिर्फ हाई स्कूल, बी.ए., एम.ए. के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति नहीं बदलेगी, जब तक हम शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकेगा और देश का

भी भला नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात, आज सब आदमी सरकारी नौकरी चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि स्वरोजगार की कई योजनाएं होते हुए भी उनमें इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लालफीताशाही है कि ये योजनाएं कारगर नहीं हो पाती हैं। यदि बेरोजगारी की समस्या को आप हल करना चाहते हैं, तो आपको स्वरोजगार योजना को ठीक करना होगा।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की बात है, अधिकार तो दिए जाएं, लेकिन अधिकार के साथ-साथ जो पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया है, उस पर आपको रोक लगानी होगी। यह स्थिति जवाहर रोजगार योजना की भी है गांवों में आचरण खराब हो रहा है, आपको इस आचरण को ठीक करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा के बारे में भी इस योजना में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस राजनीतिक माहौल में हमने सुरक्षा के मुद्दे को पीछे ढकेल दिया है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउन्सिल की बात करते हैं और अन्य बातों के बारे में भी कहते हैं। गोपनीयता के बारे में देश को गुमराह किया जाता है और तथ्यों को छिपाया जाता है। इस बारे में मानसिकता को बदलना होगा और सतर्क रहना होगा। साथ ही सशस्त्र सेनाओं के बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सशस्त्र सेनाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। इस बारे में जो मानसिकता बन गई है, वह इन शब्दों में व्यक्त की जा सकती है :

[अनुवाद]

भगवान और सैनिकों को दुख और कठिनाई में याद करते हैं। दुखों के समाप्त होते ही और कठिनाई का हल निकल जाने पर भगवान को भूल जाते हैं और सैनिकों की उपेक्षा करते हैं।

[हिन्दी]

यह नहीं होनी चाहिए।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। विसंगतियों का मूल कारण यह है कि हमारा संस्कार, हमारा आचरण और हमारा चरित्र खत्म हो गया है। इस बारे में अभिभाषण में भी जिक्र किया गया है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि हमारे संस्कार इस प्रकार से बनाए जाएं, हमारा चाल-चलन इस प्रकार का हो और हमारा चरित्र इस प्रकार का हो कि इस देश में नवयुवकों और हमारे देशवासियों का संस्कार ठीक हो, उनका आचरण ठीक हो और चरित्र निर्माण ठीक हो और उनके अन्दर देश के हित के लिए त्याग और तपस्या की भावना जागृत हो। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (बापतला) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह प्रक्रिया रही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो घोषणा-पत्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और यदि एक दल निर्वाचित होता है तो घोषणा-पत्र में से कुछ कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया जाता है। यहां राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी, ने जनता के समक्ष एक घोषणा-पत्र को अपने कार्यक्रमों सहित प्रस्तुत किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करते हुए उन्हें इसमें शामिल किया है। साथ ही उन्होंने एक और दस्तावेज 'नेशनल एजेंडा फार गवरनेंस' भी तैयार किया है।

इस सम्बन्ध में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री माननीय श्री आडवाणी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र अब संगत नहीं है और नेशनल एजेंडा संगत है। सभा में उन्होंने ऐसा कहा था।

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : आप जो कह रहे हैं वैसा मैंने कल नहीं कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि यह संगत नहीं है। मैंने कहा था कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, यह नेशनल एजेंडा के अनुसार चलाई जाएगी।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : वह ठीक है। इसका तात्पर्य है कि आपके घोषणा-पत्र का अब कोई अस्तित्व नहीं है। *(व्यवधान)* आपके घोषणा-पत्र ए.आई.ए.डी.एम. के घोषणा-पत्र का अब कोई अस्तित्व नहीं होगा *(व्यवधान)* कृपया व्यवधान न डालें। जब आप बोल रहे थे तो आप हमें बैठने के लिए कह रहे थे। अब आप कृपया बैठ जाइए।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी ए०वी०एस०एम० : मैं आपको बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : जब आप बोल रहे थे तो आपने हमारे मित्रों को बैठने के लिए कहा था अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। आप भी एक अनुशासन में रहने वाले मेजर हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे इसे सही नहीं मान रहे हैं। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : मैं भी आन्ध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था हम भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तैयार करते थे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कुछ विचार और शब्द कांग्रेस सरकार के समय में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में से लिए गए हैं। मैं नहीं समझता कि श्री वाजपेयी जी ने यह अभिभाषण लिखा है। अकसर होता यह है कि आप इसे अधिकारियों को लिखने को देते हैं और आपके पढ़ने के बाद मंत्रिमण्डल इसको स्वीकृति दे देता है। यह एक प्रक्रिया है। इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण नेशनल एजेंडा का नया रूप है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह नेशनल एजेंडा की कार्बन कापी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि इसमें बड़े-बड़े दावे किए गए हैं और झूठे वायदे किए गए हैं जिसे कोई भी सरकार यदि उन्हें 5 वर्ष की पूरी अवधि दे दी जाए तो भी वे उन वायदों को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी। लुभावने शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वे एक ऐसा भारत का निर्माण करने जा रहे हैं जो असुरक्षा, भूख और भ्रष्टाचार जैसे तीन अभिशापों से पूर्णत: मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चा भूखा न सोए। मुझे यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगा है बशर्ते कि वह इसे कार्यान्वित कर पाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा

[श्री एन० जनार्दन रेड्डी]

हूं कि श्री आडवाणी ने इस सभा में कहा था कि यह सरकार नेशनल एजेंडा पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में अनेक वायदे किए हैं। अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में श्री वाजपेयी जी ने कहा था "आप इसे क्यों उठा रहे हैं जब हम इसे करना ही नहीं चाहते हैं" उन्होंने लोगों से कहा था कि वे अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देंगे और एक समान नागरिक संहिता भी पुरस्थापित करेंगे। हम इसका विरोध कर रहे थे और अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने घोषणा-पत्र की घोषणा कर दी है। वही चीज आपके वर्तमान मित्र टी.डी.पी. ने की, मत मिलने के बाद वे अपने चुनावी घोषणा- पत्र में किये वायदों से मुकरने लगी। 1994 में चुनावी घोषणा-पत्र में श्री एन.टी.आर. ने राज्य के लोगों से वायदा किया था कि वे 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएंगे। श्री वाजपेयी यह भलीभांति जानते हैं 50 रुपये प्रति अश्व शक्ति की दर से विद्युत शुल्क की दर में कमी की जाएगी और राज्य में पूर्णत: नशाबन्दी कर दी जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री, जो उनके उत्ताधिकारी बने—चाहे वे कैसे भी बने—ने 1996 के चुनावों में वायदा किया था कि एलकोहल के मैडिकल परमिट भी नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये तीन कार्यक्रम उनके अपने कार्यक्रम हैं। मत प्राप्त होते ही उन्होंने इन कार्यक्रमों को विदाई दे दी। इस प्रकार ते.दे.पा. ने राज्य को धोखा दिया, भाजपा ने राष्ट्र को धोखा दिया है। परन्तु उन्होंने ऐसा शुरुआत में ही कर दिया है। शायद यह अच्छी बात है।

मैं नहीं जानता कि अधिकारियों ने उनके ध्यान में प्राथमिक शिक्षा के बारे में कुछ बातें लाई हैं या नहीं। राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित किए गए वायदों में यह भी एक वायदा था। सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समाधान अतिरिक्त व्यय में नहीं है। इतना ही काफी नहीं है। जैसा कि श्री शान्ता कुमार ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "राजनैतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है।" प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो चार राज्य पिछड़े हुए हैं, वे हैं—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है।

मध्य प्रदेश ने नई शिक्षा उद्भव प्रणाली को आरम्भ किया है जो कि पंचायतों द्वारा चलाई जाती है। इस प्रणाली से अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। जबकि भाजपा शासित दो राज्यों ने इस प्रणाली को लागू नहीं किया है। महोदय इस कार्य को राज्यों द्वारा किया जाना है न कि केन्द्र द्वारा। केन्द्र सरकार शिक्षा के मामले में राज्यों को निर्देश दे सकती है और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। उन्होंने वायदा किया है कि कालेज स्तर तक महिलाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। महोदय आप भलीभांति जानते हैं कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' में है। शिक्षा राज्य सरकारों का क्षेत्र है। केन्द्र इसे किस प्रकार क्रियान्वित कर पाएगा? क्या वे समवर्ती सूची में से शिक्षा को निकाल देंगे या इसे केन्द्रीय कार्यक्रम मानेंगे या राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे? यह एकदम अस्पष्ट है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह दस्तावेज अपने आप में एकदम अस्पष्ट है।

सभापति महोदय, कृषि के बारे में, उन्होंने यह उल्लेख किया कि योजना परिव्यय का 60 प्रतिशत कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मेरे मित्र श्री वाल्को गोपाल स्वामी इससे बहुत प्रसन्न थे। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है। यह पहले ही 60 प्रतिशत है। कृषि और विद्युत और प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए यह पहले से ही लगभग 60 प्रतिशत है। मैं चाहूंगा कि वे इसमें वृद्धि करें।

हमें डा. बलराम जाखड़ ने अपने भाषण में जो कहा उसे ध्यान में लाना चाहिए कि कृषि पर हमारे द्वारा खर्च किए जा रहे आठ रुपयों में से कृषक तक केवल 1.75 रुपये ही पहुंचते हैं। इसलिए यहां उन्हें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। पहले भी ऐसी ही 'रोजगार योजना' थी, जिस स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा आरम्भ किया गया था। इस योजना में ग्रामीण विकास के लिए खर्च किए जाने वाले 100/- रुपयों में से मात्र 17/- रुपये ही गांव तक वस्तुत: पहुंच पाते थे। परन्तु तब उन्होंने इसे सीधे दिए जाने के बारे में सोचा था जिसे आप सबने अनुमोदित किया था। इसीलिए वर्तमान सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए।

मिदनापुर में जब प्राकृतिक आपदा घटित हुई थी उस समय उन्होंने अत्यधिक उदारता दिखाई थी, उन्होंने अपने मंत्री को वहां भेजा था और तत्काल कुछ राशि जारी की थी। परन्तु इस समस्या का समाधान धन जारी करना नहीं या ना ही अपने व्यक्तियों को वहां भेजना ही। मुख्य बात उस आपदा के प्रति दर्शाई गई चिन्ता थी। मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल सही है।

परन्तु कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में कपास उगाने वाले 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्यों को कुछ करोड़ रुपये दिए और राज्यों ने प्रत्येक मृतक के परिवार को एक लाख रुपये देकर अपने को मुक्त कर लिया। क्या इससे कृषकों की समस्या हल हो पाएगी? हमें इसका मूल कारण खोजना होगा।

इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने और किसानों की सहायता करने के लिए तत्काल कृषि अर्थशास्त्रियों, प्रौद्योगिकीविदों किसानों और किसानों से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की एक समिति गठित करें। अन्यथा हमें शर्मिन्दा होना पड़ेगा जब दूसरे देश देखेंगे कि हमारे किसानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है।

सभापति महोदय, उन्होंने फसल बीमा योजना का उल्लेख किया है। बल्कि उन्होंने 'प्रभावी फसल बीमा' का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। परन्तु वर्तमान फसल बीमा में किसान द्वारा लिए जाने वाले बैंक के ऋण की ही भरपाई की जाती है। बस केवल इतना ही किया जाता है। यदि कोई किसान अपना धन खर्च कर फसल उगाता है और यदि प्राकृतिक आपदा में उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो किसी भी प्रकार की बीमा योजना उपलब्ध नहीं है। उसे बीमा कराने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की कोई बीमा योजना नहीं है। इस प्रकार, 'प्रभावी बीमा' का अर्थ—मेरे विचार से—है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुछ विशेष रूप से सोचेंगे जिससे सभी कृषकों को फायदा पहुंचेगा। महोदय, कपास उत्पादक किसानों ने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि कोई प्रभावी फसल बीमा योजना नहीं है। अगर प्रभावी फसल बीमा योजना रही होती तो इन किसानों के द्वारा आत्महत्या नहीं की जाती और उनके जीवन को बचाया जा सकता था।

आपने राज्यों के पुनर्गठन की बात की है। आप उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, बिहार में वनांचल और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को गठित करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय जब मैं उनसे राष्ट्रपति भवन में मिला था तब उन्होंने छोटे राज्यों के सृजन का उल्लेख मुझसे किया था और मैंने उनसे कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में उन्हें एक नोट भेजूंगा। वे उस समय विपक्ष के नेता थे। इसे एक विख्यात अर्थशास्त्री और प्रशासक श्री बी.पी. आर विट्ठल द्वारा लिखा गया था जिन्होंने स्पष्ट विश्लेषण

दिया था। वे भी उन व्यक्तियों में से हैं जो छोटे राज्यों का पक्ष लेते थे परन्तु अब उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं और कहते हैं कि छोटे राज्य राजकोष पर भार हैं। मैंने उन कागजों को प्रधानमंत्री को भेजा है और मुझे उस पत्र की प्राप्ति की पावती मिली है। मैं समझता हूं उन्होंने उनका अध्ययन किया होगा। ऐतिहासिक कारणों से वे दो या तीन को स्वीकार कर सकते हैं परन्तु कृपया इस मामले में भानुमति का पिटारा मत खोलिए।

आपने उल्लेख किया है कि नैतिकता और सदाचार सरकार की नींव है। मेरी भी शुभेच्छा यही है। परन्तु हमने उत्तर प्रदेश में 91 मंत्रियों को देखा है जहां एक मंत्रिमण्डल की बैठक के लिए पंडाल की आवश्यकता पड़ती है, जहां हत्या के मामले में संलिप्त व्यक्ति हत्या की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, गैर-कानूनी शराब का व्यापार करने वाले व्यक्ति को संस्कृति मंत्री बनाया गया है, जोकि मद्य संस्कृति का विकास करेंगे। ऐसे में यदि आप कहते हैं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ लेना देना नहीं है तो ठीक है। परन्तु यदि आप वैसी ही संस्कृति और नैतिकता को यहां भी लाना चाहते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए इस सरकार का भगवान ही मालिक है।

राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में आम सहमति के दृष्टिकोण की अपील की गई है। लेकिन अध्यक्ष के चुनाव सहित आपका दोमानी बातें करना, दो अर्थों में बोलना और दोनों पक्षों को ठगना हर जगह नजर आता है। मैंने सोचा था कि यह सरकार सौदेबाजी नहीं करेगी। आपने कुमारी जयललिता से सौदबाजी की। आपने कुमारी ममता से सौदबाजी की और मेरा विचार था कि यह सौदबाजी अन्ततः श्री सुखराम के साथ होगी। लेकिन आपकी सौदबाजी अन्ततः बाबू के साथ हुई। आपने लखनऊ में जिक्र किया था कि तेलगू देशम पार्टी द्वारा सरकार में शामिल होने की बातें हो रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमें पता है कि वे उस क्षण आपकी सरकार में शामिल हो गए जब उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया और आपने उनका समर्थन कर दिया।

लखनऊ में श्री वाजपेयी ने कहा था कि कल स्थिरता हासिल कर ली गई है। हां, आपने विश्वास मत हासिल कर लिया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन स्थिरता संख्या पर ही निर्भर नहीं करती। तेलगू देशम पार्टी ने आपको 11 मतों का समर्थन दिया। आपने विश्वास मत हासिल करने से पहले दो आंगल-भारतीय सदस्यों को अनैतिक रूप से मनोनीत कर दो और मतों को प्राप्त किया। प्रायः ऐसा नहीं किया जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे यह काम कैसे करवाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारे एक मुसलमान मित्र राज्य मंत्री श्री बाबू खान ने तेलगू देशम सरकार से त्यागपत्र दे दिया। क्या यह इस बात का सबूत है कि देश का आपकी सरकार में विश्वास है? क्या आपकी सरकार एक स्थिर सरकार हो सकती है जबकि एक समुदाय का आपकी सरकार में विश्वास नहीं है? आप यह कह रहे हैं कि आपने उन सभी कार्यक्रमों को दूर रखा है जिनसे कुछ अन्य समुदायों की समस्या उत्पन्न होगी।

श्री चन्द्र बाबू नायडू जोर-शोर से कह रहे हैं कि इस सरकार में फर्नान्डीज हैं, हेगड़े हैं, ममता है और जयललिता है जो धर्मनिरपेक्ष वाद के हितों की रक्षा करेंगे। इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी तेलगू देशम के बहुत अच्छे अनुयायी श्री बाबू खान ने तेलगू देशम छोड़ दी है क्योंकि तेलगू देशम पार्टी ने उस सरकार के पक्ष में मत दिया है जिसको एक विशेष समुदाय का विश्वास प्राप्त नहीं है। स्थिरता खाली संख्या से नहीं आती। आप सौ मतों का बहुमत प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको विश्वास प्राप्त हो गया है। आप यहां बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि श्री पी.ए. संगमा ने ठीक ही कहा है कि आपको यहां तो विश्वास प्राप्त हो गया लेकिन आपने जनता का विश्वास खो दिया है। इसीलिए आपको इस बात से इनकार करना पड़ा कि कोई गुप्त एजेंडा है। गुप्त एजेंडा है। यह एजेंडा वास्तविक एजेंडा नहीं है।

वे जनसंख्या के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति उठाना चाहते हैं। ये वही लोग है जिन्होंने 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए परिवार नियोजन कार्यक्रम का भारी विरोध किया था। इन्होंने आन्दोलन किया और सभी प्रकार के परिपत्र जारी किए और अंततः उन्हें हरा दिया। अब यही वह पार्टी है जो आगे बढ़कर यह कह रही है कि जनसंख्या के बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

अन्तिम पैरा अर्थात पैरा 42 कहता है कि इसके साथ ही महात्मा गांधी की शहीदी की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। क्या सच में ही ऐसा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख *(व्यवधान)* इस पर काफी कुछ कहा जा रहा है और इस सभा में या इसके बाहर यह सूचना देने वाला मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूं। जब प्रो. राजेन्द्र सिंह से यह पूछा गया कि आपकी उस नाथू राम गोडसे के बारे में क्या राय है जिसने गांधी जी की हत्या की थी तो उनका उत्तर था कि गोडसे अखण्ड भारत की कामना करने वाले दर्शन से प्रेरित था। उसका इरादा नेक था। वे कैसे कह सकते हैं कि वे गांधी जी की कुर्बानी को महत्व देते हैं और वे ही महात्मा गांधी और अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान से प्राप्त नतीजे के उत्तराधिकारी हैं।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं हालांकि मैं नहीं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, इस देश में गांधी जी का सदैव सम्मान हुआ है और होता रहेगा *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। इस संघ ने 1928 में "साइमन कमीशन, वापस जाओ" आन्दोलन में भाग नहीं लिया। इसने 1930 में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग नहीं लिया। इसने फिर 1932 में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग नहीं लिया। इसने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नहीं लिया और इसने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भाग नहीं लिया। वे कैसे कह सकते हैं कि वे ही स्वतन्त्रता के उत्तराधिकारी हैं। सभी नहीं तो कम से कम इनमें से कुछ यह कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सम्बन्ध हैं।

वे जयललिता या किसी और के कहने पर एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। एक नदी घाटी प्राधिकरण का होना आवश्यक है। यह देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हाल

[श्री एन० जनार्दन रेड्डी]

ही में यह कहा गया था कि जल पेट्रोल जितना ही, या फिर पेट्रोल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार यह एक स्थिर सरकार है न कि एक कमजोर सरकार। अलामत्ती बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश के हितों के विरुद्ध है, अतः इसे रोक देना चाहिए। सुश्री जयललिता ने कुछ शर्तें रखीं। पता नहीं श्री चन्द्रबाबू नायडू ने भी कोई शर्तें रखी हैं या नहीं। लेकिन एक आन्ध्र के लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप अलामत्ती बांध के निर्माण कार्य को रुकवाएं। यह हमारे हितों के विरुद्ध बनाया जा रहा है। इसी प्रकार ऊपरी तुंगभद्रा नदी के मामले रायालसीमा के हित शामिल हैं। वे बछावत आयोग के अधिनियम का विरोध कर रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री इन समस्याओं की ओर ध्यान देंगे। मेरी राय है कि उनकी सरकार बनी रहेगी। लेकिन मैं उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तीन व्यक्ति एक छोटी नदी को पार कर रहे थे। नदी के बीच में पानी का बहाव तेज था। एक शिव भक्त ने प्रार्थना करते हुए कहा, "शिव, शिव मेरी मदद करो।" भगवान शिव आए और उसे पानी से बाहर निकाल दिया। दूसरा विष्णु भक्त था। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, "कृष्ण, कृष्ण मुझे बचाओ।" भगवान कृष्ण आए और उसे बचा लिया। तीसरे ने पुकार की, "मदुरै मीनाक्षी मुझे बचाओ, कांची काशी मुझे बचाओ, कनकदुर्गा मुझे बचाओ।" मदुरै मीनाक्षी ने सोचा कि कनकदुर्गा उसे बचा लेगी और कनकदुर्गा ने सोचा कि मदुरै मीनाक्षी उसे बचा लेगी। लेकिन अन्त में वह पानी में बह गया। अब आप कई लोगों के मुखापेक्षी हो गए हैं। ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन आपने विश्वास-प्रस्ताव पेश किया, आपने हमसे कहा था, "मैं रेफरी के उंगली उठाने का इन्तज़ार नहीं करता हूं।" अब आपको जयललिता, ममता, बाबू, समता पार्टी और हेगड़े की राय को भी देखना है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी की उंगलियां आपकी ओर नहीं उठेंगी। लेकिन फिर भी आपको इनकी ओर देखना है।

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं इस महान सभा में सामान्यतः पूर्वोत्तर की ओर से और विशेषकर सभी प्रकार की समस्याओं से घिरे मणिपुर की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं। आज वहां तुरन्त शान्ति कायम करने की जरूरत है। इस बारे में राय और विचारों में भिन्नता हो सकती है, विभिन्न दलों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप मुझे कार्य में सहयोग देंगे और मैं आशा करती हूं कि चाहे इस बारे में आपकी राय और विचारों में मतभेद हों फिर भी मुझे बोलने से रोका नहीं जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सहयोग दें और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बोलिए, कोई शोर नहीं करेगा।

कुमारी किम गंगटे : धन्यवाद। पहले दिन से आज तक मैंने यही देखा है कि सत्तारूढ़ दल के और विपक्ष के माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएं। यह मेरी ओर से कोई परामर्श नहीं है। मैं इस सभा की एक नई सदस्या हूं। मैं यही कहना चाहती हूं कि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो सकते हैं, तथापि मैं मानती हूं कि इस सभा में औचित्यपूर्ण तर्क सर्वोपरि होगा। मुझे इस बात से शर्म महसूस होती है कि हम किस प्रकार एक-दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। मुझे रोना आ जाता है क्योंकि हमें जनता ने यहां राष्ट्र की समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने और उनका समाधान करने के लिए भेजा है। मैं परामर्श नहीं दे रही हूं। मेरे दिल में यह दर्द है जिसे मैंने बता दिया है।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हिंसा और समस्याओं से ग्रस्त और दर्द से तड़प रहा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मैं इस सभा के सदस्यों को यह बताने के लिए यहां उपस्थित हूं कि हम वहां किस कदर तकलीफें सह रहे हैं। मैं फिर से यही कहना चाहती हूं कि आज वहां तुरन्त शान्ति कायम करने की जरूरत है।

अपराह्न 5.00 बजे

वहां कानून और व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। हालांकि हम कई वर्षों से चिल्ला रहे हैं लेकिन आज तक वही सब घटित हो रहा है और स्थिति में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है।

महोदय हमारी कई समस्याएं हैं। मैं नहीं जानती कि आप मुझे कितने मिनट का समय देंगे। मैं एक नई सदस्य हूं। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं मुझे अपने राज्य के लोगों और देश के हित में पूरी बात कहने का अवसर दें।

सभापति महोदय : आप अपनी बात जारी रखें। क्योंकि आप अपना पहला भाषण दे रही हैं कोई भी आपको टोकेगा नहीं। परन्तु जहां तक सम्भव हो सके अपनी बात को संक्षिप्त में कहें।

कुमारी किम गंगटे : महोदय, आर्थिक समस्याओं के अलावा और भी दूसरी समस्याएं हैं। एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता के नाते मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को तत्काल हटाया जाना चाहिए। सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम के लागू रहने से लोग पीड़ित हैं, लोग मारे जा रहे हैं। यदि सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम उत्तर-पूर्व की समस्याओं का निराकरण करने के लिए है तो यह उनका निराकरण करने के बजाए इससे स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई हैं। सशस्त्र सेना विशेष शक्तियों अधिनियम 1958 में लागू किया गया था। इस अलोकप्रिय अधिनियम के लागू किए जाने को पूर्वोत्तर राज्यों की जनता ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। हम यह भी नहीं समझ पाए कि उग्रवाद की समस्या के उत्पन्न होने के पूर्व ही पूर्वोत्तर राज्यों में इस अधिनियम को क्यों लागू करना पड़ा था। महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि हमारे महान देश के पूर्वोत्तर हिस्से से सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को हटा दिया जाए। यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र इस महान देश का हिस्सा है तो कृपया वहां के लोगों के रुदन को सुनिए और उनके अन्तर्नाद पर ध्यान दें।

अपराह्न 5.02 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला एक घटक हमारा आर्थिक पिछड़ापन भी है। संचार के सम्बन्ध में, पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों के लिए रेल मार्ग नहीं है। विशेषकर, मणिपुर के लिए कोई रेल मार्ग नहीं है। इम्फाल, जोकि मणिपुर की राजधानी है,

से निकटतम रेल स्टेशन गुवाहाटी है और इन दोनों के बीच की दूरी 580 किलोमीटर है। इसीलिए हमें रेल मार्गों की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे यहां और अधिक भू-मार्गों की आवश्यकता है। वहां केवल दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कई प्रबल कारणों के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 को जनता द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53 का दोहरीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि म्यांमार की सीमा से सटे राज्य मणिपुर मुख्य धारा से मार्ग जुड़ सके। एक सप्ताह में इम्फाल से दिल्ली के लिए केवल दो सीधी उड़ानें हैं उड़ानों की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

हमें सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता है। मोरेह, जोकि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक नगर है, से न्यू सोमतल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चुराचन्दपुर होते हुए अरीबुआ से जोड़ा जाना चाहिए। इससे उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास होगा और वाणिज्य और व्यापार भी बढ़ेगा। इससे झूम खेती पर भी अंकुश लगेगा और पर्यावरण में भी सुधार होगा। इससे राज्य और भारत के पूर्वोत्तर भाग के सकल आर्थिक विकास की दर में तेजी आएगी। इससे हमारे देश की मुक्त सीमा व्यापार की नीति के अनुसरण में म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी।

महोदय, जल संसाधनों का भी दोहन किया जाना चाहिए। हमारे यहां लोकटेक जल विद्युत परियोजना है जिससे 105 मेगावाट बिजली की उत्पत्ति होती है। इसमें से केवल 12 प्रतिशत हिस्सा ही राज्य को दिया जाता है। हम 43 करोड़ रुपये की बिजली खरीद रहे हैं जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इसीलिए लोकटेक परियोजना को राज्य को सौंपा जाना चाहिए। पैदा की गई बिजली का 12 प्रतिशत भाग ही राज्य को निशुल्क देना न्यायोचित नहीं है।

महोदय, पंजाब में वाणिज्यिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 50,000 रुपये तक के ऋणों को माफ कर दिया है। मेरे राज्य के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विशेषकर इसलिए क्योंकि पूरे राज्य में अशान्ति है। इसीलिए वाणिज्यिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों को, जो रवैया उन्होंने पंजाब के लोगों के सम्बन्ध में अपनाया वही रवैया यहां के लोगों के सम्बन्ध में भी अपनाने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

वन, कृषि, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, उद्योग, बागवानी जैसे विभागों के मामले में तथा केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं पर आने वाले शत-प्रतिशत व्यय का वहन केन्द्र को करना चाहिए। वर्तमान में, 25 प्रतिशत तक व्यय को राज्य सरकार उठाती है जबकि केन्द्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत तक का होता है। इस कारण इन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के विषय में बोलना चाहूंगी। मेरे राज्य के लोग कुपोषण और तरह-तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। कई लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों को जाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र का प्रश्न है वहां पर किसी भी प्रकार की बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मेरे राज्य में अस्पतालों को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर पड़ा है। वे इतने सक्षम नहीं हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए वे राज्य से बाहर जा सकें।

महोदय, मेरे विचार से देश में मणिपुर और इससे सटे दूसरे इलाकों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके बावजूद लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पीने के पानी की समस्या है। इसे तुरन्त सुलझाए जाने की आवश्यकता है। कभी-कभी तो वर्षा ऋतु में भी कई-कई दिनों तक लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। घाटी में बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यद्यपि लोगों को वोट देने का अधिकार तो है परन्तु उन्हें चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। मैं इसे राजनीतिक अधिकारों का हनन कहूंगी। इसीलिए और ज्यादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को सृजित किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को, जिन्हें चुनाव में खड़े होने के राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया है, उनके राजनीतिक अधिकारों को दिया जा सके।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात को पूरा करें।

कुमारी किम गंगटे : महोदय, मुझे विश्वास है, मैं दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही हूं। परन्तु मैं कुछ मिनट और बोलना चाहूंगी।

महोदय, भारत की स्वतन्त्रता के 50वीं वर्षगांठ में लोग व्यथित हैं। पूर्वोत्तर भारत के हमारे देशवासी और विशेषकर मणिपुर में भूख, प्यास से पीड़ित हैं और प्रत्येक मूलभूत मानवीय आवश्यकता से वंचित है। लोग भूखे हैं, लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि वहां पर हमारे लोग इस हद तक पीड़ाग्रस्त हैं। मैं नहीं जानती इन दुर्भाग्यग्रसित लोगों की सुध लेने हममें से कितने लोग वहां गए होंगे।

महोदय, मैं कुछ आंकड़ों और तथ्यों का उल्लेख करना चाहती हूं। अभी हाल ही में, 15,109 के करीब घरों को जला दिया गया। लगभग 1,11,284 लोग विस्थापित हो गए हैं। हिंसा के कारण कुछ लोग गुफाओं और जंगल में रह रहे हैं। बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में लोग जीप से भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप लोग पहाड़ी जिलों के मुख्यालयों में नहीं जा पाते हैं। मैं जानती हूं लोग इस समय भी गुफाओं में रह रहे हैं। क्या इस माननीय सभा के सदस्य ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? मैं आंकड़ों बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बता रही हूं। मैं तथ्यों का उल्लेख कर रही हूं। 1,508 लोगों की हत्या कर दी गई। लगभग 12,993 छात्रों की शिक्षा या तो प्रभावित हुई है या वे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाए हैं।

इन लोगों के लिए स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है। पुरानी पीढ़ी के लोग, जो अंग्रेजों के राज को याद कर सकते हैं, अंग्रेजी राज—मुझे कहते हुए शर्म आती है—की लालसा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कम से कम उन दिनों, जब देश पर अंग्रेज शासन करते थे, वे सुरक्षित थे। और कम से कम उनका जीवन सुरक्षित था। परन्तु हमारी स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ में वहां के लोग नहीं जानते कि स्वतन्त्रता क्या होती है क्योंकि वास्तविक अर्थों में वे स्वतन्त्र नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती किम गंगटे : महोदय, अन्ततः मैं सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इन लोगों को ध्यान में रखें और इन लोगों की सहायता हेतु तुरन्त कदम उठाएं और इन्हें इन भयंकर समस्याओं से मुक्ति दिलाएं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी (मछलीशहर) : सभापति महोदय, इस सदन के समक्ष आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं

महोदय, 50 वर्षों के बाद इस सदन को एक ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर मिला है, जिसमें बहुत सारी बातें नितान्त मौलिक हैं और इसके पहले संभवतः इस प्रकार की बातें नहीं थीं। सबसे पहली बात इस धन्यवाद प्रस्ताव में आम सहमति की कही गई है। उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार बहुमत से तो बनती है, लेकिन उसको चलाने के लिए केवल बहुमत ही काफी नहीं होता, उसके लिए सर्वानुमति आवश्यक होती है। हम लोग जब निर्वाचित होते हैं, जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं, वहां अनेक दलों के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, अलग-अलग लोगों की विचार-धाराएं आपस में एक न होते हुए भी मतदान होता है और जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलते हैं, वही चुना जाता है। जब हम उस क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं, तो उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं के हम प्रतिनिधि होते हैं। हम केवल उन कुछ लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि उन सबके प्रतिनिधि होते हैं, जो उस क्षेत्र में मतदान का अधिकार रखते हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं। हम जब उस क्षेत्र में जाते हैं, तो उस क्षेत्र के लोग भी बिना इस अपेक्षा के कि कौन किस दल से चुना गया है, अपनी बात कहते हैं, अपनी राय देते हैं और अपनी जरूरतों को बताते हैं। एक समझदार और जिम्मेदार सांसद के नाते कोई भी सांसद उनकी इसलिए उपेक्षा नहीं करता कि यह दूसरे दल से आया है या दूसरे दल का कार्यकर्ता है। उनके सुझावों, उनकी आवश्यकताओं को उतना ही महत्व देता है, जितना कि वह अपने दल के कार्यकर्ताओं के सुझावों और आवश्यकताओं को देता है। मैं पूछता हूं, क्या यह प्रयोग हम सरकार चलाने में नहीं कर सकते? जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वानुमति की बात कही जाती है, तो उसको एक व्यंग्य और हास्य का रूप दे दिया जाता है। यह विचार एक नई कार्य शैली को जन्म देता है कि हम सर्वानुमति से सरकार चलाना चाहते हैं।

महोदय, कोई भी सत्य समग्र तभी होता है, जब हम सभी प्रकार के विचारों का, सभी प्रकार की धारणाओं का समावेश करें। इस प्रकार जो आर्व बनता है, जिसमें दोनों तरह की ईंटें—उल्टी और सीधी—लगाई जाती हैं, तो वह आर्व मजबूत होता है और खड़ा रहता है। इसी तरह से सदन के दोनों पक्ष राष्ट्रीय हित में, क्षेत्रहित में सर्वानुमति बनाने की बात करें, तो सहमति बनती है और उससे निश्चित ही देश तमाम झंझटों से और ऐसी तमाम परिस्थितियों से उभर सकता है, जो केवल असहमति के कारण संभव नहीं हो पाती हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह इस सदन की प्रथा है या राजनीतिक प्रथा है कि प्रतिपक्ष के हमारे मित्र जब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़े होते हैं, तो शुरूआत में ही वे प्रस्ताव या विधेयक का विरोध करते हैं। जब कोई व्यक्ति पहले से ही मन बना लेगा कि हमें विरोध ही करना है, तो वह विरोध में तर्क जुटाएगा, विरोध में अपनी मानसिकता बनाएगा। वह ऐसा क्यों नहीं करता कि तथ्यों को सामने रखकर, गुण और अवगुण के आधार पर, देश हित में क्या है और क्या नहीं है, यदि वह इस आधार पर अपनी बात कहे, तो मैं समझता हूं कि वह बात न केवल एक पक्ष की होगी, न केवल एक व्यक्ति की होगी, बल्कि वह बात पूरे सदन की होगी और पूरे देश की होगी और तब उस सरकार के लिए उस बात को मानना बाध्य भी होगा।

इसलिए सर्वानुमिति की बात कह कर, मै अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि कई चीजें हैं, कई गलतियां जो आपने की हैं उन्हें हम छोड़ना चाहते हैं ओर कई गलतियां जो हमने की हैं उन्हें भी छोड़ना चाहते हैं। *(व्यवधान)* अगर उस गलती को चलाना ही योग है, अगर उस गलती को कायम रखना ही योग है तो आप सच्चे अर्थों में योगी हैं। लेकिन उन गलतियों को छोड़ना अगर योग है तो मैं भी एक योगी हूं जो गलतियों को छोड़ना जानता हूं, अच्छाइयों को अपनाना जानता हूं। हमें समय के साथ कई चीजें सोचनी होंगी, समझनी होंगी।

महोदय, मैं देश का आभारी हूं कि ऐसी परिस्थितियों में, जब अस्थिर सरकारें थी, बार-बार चुनाव हो रहे थे, बार-बार सरकारें बदल रही थी, उस समय लोगों का मन दुखी था, जब चुनाव का अवसर आया तो उन्होंने आगे बढ़ कर जिस तरह मतदान किया है उससे निश्चित ही उनकी रुचि लोकतंत्र के प्रति दिखाई पड़ी है। जिसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ मित्र श्री बलराम जाखड़ का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस सदन के अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने तमाम सकारात्मक पहलुओं को उठाया है, तमाम पोजिटिव प्वाइंट्स उठाए हैं। जब वे सकारात्म पहलू उठा रहे थे तो सत्ता पक्ष में भी मेजें थपथपाई जा रही थीं। उनके सकारात्मक बिंदुओं का स्वागत हो रहा था। सदन इस परम्परा से अगर चलेगा तो निश्चित ही यह सरकार, जो बहुमत की सरकार है, एक सर्वानुमति की सरकार बन सकती है और देश को सर्वानुमति का संदेश दे सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी बात शामिल की गई है, मैं तमाम बातों पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है, कि हम पिछड़ी जातियों के बारे में, पिछड़े व्यक्तियों के बारे में पिछले 50 सालों में चिन्ता करते रहे हैं। उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह एक अच्छा कदम था, प्रसंशनीय कदम था। लेकिन उन क्षेत्रों की, जो प्राकृतिक कारणों से, नैसर्गिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से मुख्य धारा में नहीं आ पाए, पहचान करने का काम, जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था, यदि वह किया गया होता तो जैसा मणिपुर की माननीय सदस्या अभी बोल रही थीं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थीं उन्हें इस पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर न आता।

सभापति महोदय, जो अलग प्रांतों की मांग की जा रही है, चाहे वह वनांचल की हो या उत्तरांचल की मांग हो, जिसको देने का वायदा इस सरकार ने किया है, वह मांग जायज इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले 50 सालों में उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया। अगर उन क्षेत्रों की जरूरतों का अध्ययन करते हुए उन्हें पिछड़ा करार किया गया होता और तदनुसार उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई गई होती तो 50 वर्षों में वे मुख्य धारा में आ गए होते। तब कोई कारण नहीं था कि कोई अलग प्रांत की मांग करता, अलग घर की मांग करता। अलग घर की मांग तभी कोई करता है जब उसके पूरे घर में न्याय नहीं होता,

समानता नहीं बरती जाती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या केवल प्रांतों तक सीमित नहीं है बल्कि यह क्षेत्रों मे भी है। हमारे कई मित्र, चाहे वे प्रतिपक्ष के ही क्यों न हों वे भी सहमत होंगे कि सभी संसदीय क्षेत्र समान रूप से प्रगति नहीं कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह पूरी तरह से गांवों का क्षेत्र है, पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नगरपालिका है और वह भी तृतीय श्रेणी की। पूरा क्षेत्र गांवों का है। ऐसे कितने क्षेत्र होंगे। जब यहां से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को एक करोड़ रुपया दिया जाता हे वह विकसित क्षेत्रों को भी दिया जाता है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी दिया जाता है। अगर इससे पहले यह आइडैंटिफाई किया जाए, पता लगाया जाए कि कौन सा क्षेत्र किस मामले में पिछड़ा है—क्या वहां औद्योगिक पिछड़ापन है या शैक्षिक पिछड़ापन है।

आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हैं। किस-किस मामले में पिछड़े हैं अगर इसका अध्ययन किया जाएगा तो देश को समान प्रगति के जो अवसर मिलेंगे, उनमें वे क्षेत्र भी लाभन्वित होंगे जिनमें विकास की किरणें अभी तक नही पहुंची हैं। मैं स्वयं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के एक गांव को जानता हूं जो गहराई में बसा हुआ है और यहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं। ऐसे और भी क्षेत्र हो सकते हैं। चमोली के आसपास उत्तरांचल प्रदेश की बात कही जा रही है, जहां कोई अधिकारी आज तक पहुंचा ही नहीं। *(व्यवधान)*

माननीय सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं।... *(व्यवधान)* यह सभा पिछले चालीस साल का हिसाब-किताब है।... *(व्यवधान)* आप अपना चेहरा आइने में देखिये, आप हमें क्यों कह रहे हैं। एक गांव में जब मैं वोट मांगने के लिए गया तो वहां पर गांव वालों ने बताया कि सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां जाने वाला मै पहला प्रत्याशी था। क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने का जो निश्चय इस सरकार में दिखाई पड़ता है वह प्रशंसनीय है और राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह निश्चय ही एक आधार बन सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात पीने के पानी के बारे में कही गयी है, जो मुझे बहुत पीड़ित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में दूध 10-12 रुपये लीटर मिलता है लेकिन मिनरल पानी 15 रुपये लीटर मिलता है। आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए हैं। आज दूध सस्ता है और पानी महंगा है। सभापति जी, एक कहावत कही जाती है कि "अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा"। आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधों पर 50 साल की इस अंधेर नगरी से देश के लोगों को निकालने की जिम्मेदारी आई है।

सभापति महोदय, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के गांव के लोगों की एक मांग होती है कि पीने के पानी के लिए हैंडपम्प चाहिएं, बम्बा चाहिए। वहां इस बात के लिए झगड़ा होता है कि उसके दरवाजे पर हैंडपम्प लगा है, मेरे दरवाजे पर हैंडपम्प नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां शहरों में एक-एक कमरे में दो-दो नल लगे हुए हैं वहां गांव का आदमी एक नल के लिए भी तरस रहा है। जो नल लगाए गए हैं उनकी भी अपनी एक कहानी है। केवल उसी दिन पानी निकलता है जिस दिन लगाए जाते हैं, फिर पानी नहीं निकलता। सवाल यह है कि उनका रखरखाव कौन करेगा? उनके नट-बोल्ट और वाशर टूट जाते हैं और उनके लगाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। पीने के पानी की योजना को समयबद्ध पूरा करने की जो बात कही गयी है, उसमें निश्चय ही वजन है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जरूरत की ओर ध्यान दिया गया है। मैं समझता हूं कि आदमी एक बार अन्न के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका ध्यान उस आश्यकता की ओर गया है जो गरीब और अमीर सब की जरूरत है।

सभापति महोदय, पर्यावरण की बात बहुत पहले से कही जाती रही है और जल तथा वायु में शुद्धता लाने के जो कार्यक्रम बनाए गये हैं उनका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। गंगा कार्य योजना बनाई गयी, गंगा अथॉरिटी बनाई गयी, लेकिन गंगा जल की स्थिति यह है कि कि गंगा का पानी पीने की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी नहीं है। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गंगा पवित्र मानी जाती रही है। न्यायालय में भी लोग गंगा की कसम खाते थे और उसको स्वीकार भी किया जाता था। उसके पीछे आधार यह था कि गंगा को पवित्र माना जाता था और कहने वाला भी अपनी बात को पवित्रता के साथ कहता था। गंगा के किनारे जहां देश-विदेश से करोड़ों लोग इकट्ठा होते थे वह आज ऊपर से लेकर नीचे तक प्रदूषित हो गयी हैं, गंगा का जल भी शुद्ध नहीं बचा है। छः सौ कारखानों का गंदा पानी लगातार गंगा में गिर रहा है और उसका कोई उपाय नहीं है। फर्जी एन.ओ.सी. दिए जाते हैं, फर्जी काम होते हैं। जो कारखाने के मालिक है। उन्होंने प्रमाण-पत्र तो दे दिया है लेकिन फिर भी वे अपने कारखाने का गंदा पानी गंगा में गिराते हैं। यहां तक कि उसमें टैनरी का भी पानी होता है, चमड़े का धुआं भी होता है। यह पर्यावरण की स्थिति है। गांव में आज भी इतना कचरा छूटता है, अगर हम उसका उपयोग करना चाहें तो उससे गांवों की रोशनी भी हो सकती है और खेतों के लिए आवश्यक उर्वरक तथा खाद भी मिल सकती है लेकिन पर्यावरण सुधारने के साथ-साथ रोशनी और उत्पादकता में योगदान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई योजना नहीं बनायी गई। पहली बार सकारात्मक दृष्टि से सोचने के लिए एक पहल दिखाई पड़ रही है।

सभापति जी, इस देश में उद्योगों का हाल खराब है। इस देश में परम्परागत उद्योग थे। वे लघु उद्योगों में बदले। अगर उन उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण मिलता, उनको कच्चा माल मिलता, जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाता तो देश की चुनौतियां लघु उद्योग स्वयं सम्भाल सकते थे। चूंकि लघु उद्योग गांवों में, अर्द्धविकसित कस्बों में और अविकसित कस्बों में होते हैं, इसलिए ग्रामीण आदमी भी उसमें हिस्सेदारी ले सकता था, उसमें मजदूरी कर सकता था, अपना पेट पाल सकता था, रोजी अर्जित कर सकता था लेकिन लघु उद्योगों के लिए ऐसी कोई कारगर नीति राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं बनायी गई।

सभापति महोदय : स्वामी जी, साढ़े पांच बजे हमको नियम 377 लेने हैं। अगर सदन की राय हो तो आप अपना भाषण कंटीन्यू रख सकते हैं। उसके बाद नियम 377 ले लिए जाएंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले हम नियम 377 लेंगे। उसके बाद आप अपना भाषण जारी करें।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : 28 तारीख को सुब्रह्मण्यम स्वामी सदन में उपस्थित नहीं थे। हमें उनकी चिन्ता थी। आखिर वह आ ही गए। *(व्यवधान)*

अपराह्न 5.31 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

(एक) कोलार जिले में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के० एच० मुनियप्पा (कोलार) : कर्नाटक राज्य के जिला कोलार में अत्यधिक कम वर्षा होने के कारण वहां पेयजल की कमी हो गई है। उस क्षेत्र में कोई भी नदी या नहर नहीं है। कम वर्षा होने के कारण बहुत से गांवों में जलस्तर कम होकर 600 फीट तक चला गया है। जिससे पेयजल की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल की अनुपलब्धता के कारण सिंचाई सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर है जिससे फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा हैं यहां लगभग 4000 जलाशय हैं जो लगभग सौ साल पहले बनाए गए थे और इनमें बहुत अधिक गाद जमा हो गई है। इन जलाशयों में से गाद निकालने से ही जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। तुमकूर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, रायचूर और ग्रामीण बंगलौर में भी यही स्थिति है। पानी की कमी की समस्या इस कारण से और भी गंभीर हो गई है कि पानी में बहुत अधिक फ्लोराइड तत्व समाविष्ट हो गया है जो दांतों को सड़ा देते हैं और इससे हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है।

मै प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह जल में फ्लोराइड की मात्रा कम करने और जलाशयों में से गाद निकालने का कार्य करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करें। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने और जल स्तर में वृद्धि करने का यही एकमात्र उपाय है।

(दो) उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सस्ती दर पर राशन दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार ने पूरे देश के सभी प्रदेशों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए सस्ते रेट पर राशन कार्ड के द्वारा राशन उपलबध कराने की व्यवस्था की है लेकिन इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची ही नहीं चिन्हित की है और न ही गांव में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन कार्ड जारी किए हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि गरीब जनता को आवंटित होने वाले खाद्यान्न की चोरबाजारी को रोका जाए। केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(तीन) देश भर में कृषि उत्पादों के बेरोकटोक लाने-ले जाने की आवश्यकता

अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, हमारे देश में किसान जब भी अपनी फसल का उत्पादन किसी वर्ष में क्लाईमैक्स पर बढ़ाता है तो उसको प्रोत्साहन मिलने के स्थान पर उसका आर्थिक शोषण हो जाता है। उस वर्ष में उसकी उपज के दाम बेतहाशा गिर जाते हैं—चाहे वह गन्ने की फसल हो, आलू की हो, धान की हो, गेहूं की हो या कपास की क्यों न हो? कृषि की उपज अथवा कृषि पर आधारित उद्योगों के प्रोडक्ट अथवा बाई प्रोडक्ट के देश भर में फ्री मूवमैंट पर प्रतिबंध होने के कारण भी किसानों का आर्थिक शोषण होता है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह देश में ऐसी व्यवस्था लागू करे कि कोई भी राज्य सरकार कृषि उपज अथवा कृषि पर आधारित प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट पर अपने राज्य के अन्दर अथवा बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध न लगा सके। यदि कोई राज्य सरकार अपनी मनमानी करे तो उसको केन्द्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा देनी चाहिए।

(चार) मध्य प्रदेश राज्य में से महाकौशल नामक प्रथक राज्य बनाए जाने के लिए आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराव पराजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, पूरा मध्य प्रदेश पिछड़ा है लेकिन विशेष रूप से महाकौशल क्षेत्र के लगभग 20 जिले अत्यंत पिछड़े हैं। इससे प्रमुखत: जबलपुर संभाग, रीवा संभाग तथा सागर संभाग शामिल हैं। सर्वाधिक विकास हेतु वनांचल, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के समान महाकौशल राज्य की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। पूरे भारतवर्ष में छोटे राज्यों की स्थापना हेतु विचार करने के लिए किसी आयोग का गठन करना जरूरी है। मेरा नम्र निवेदन है कि महाकौशल राज्य की स्थापना हेतु आयोग का गठन किया जाए।

(पांच) आगरा और बांदीकुई के बीच रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आगरा से बांदीकुई को जोड़ने के लिए बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन हो चुका है परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे दक्षिण भारत के लिए गाड़ियां प्रारम्भ नहीं हो रही है। इसके साथ ही चंडीगढ़, हरिद्वार के लिए भी गाड़ियां सीधी प्रारम्भ नहीं हुई हैं। इस कार्य के प्रारम्भ नहीं होने के कारण लाखों रुपए प्रतिदिन का नुकसान व जनता को परेशानी हो रही है।

अत: इस लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदलने का कार्य प्रारम्भ किया जाए।

(छ:) जम्मू और कश्मीर मैडिकल कॉलेज और डैन्टल कॉलेज के लिए प्रत्याशियों का चयन करने के लिए जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख हेतु पृथक प्राधिकरणों की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, काश्मीर के मैडीकल

---

*पाठ सभा पटल पर रखे माने गए।

कॉलेज तथा डैन्टल कॉलेज में दाखिले के निमित्त जारी सूचियों में भारी अनियमितता के विरुद्ध विद्यार्थी वर्ग तथा उनके सहयोगी सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थान आन्दोलन की राह पर है जिसकी वजह से जम्मू की कानून-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि जारी सूचियों को रद्द कर जम्मू काश्मीर राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू, श्रीनगर तथा लद्दाख के लिए विद्यार्थियों के चुनाव के निमित्त अलग-अलग कंपीटैंट अथौरिटी निर्वाचित कर लोगों के रोष को शांत किया जाए।

(सात) उत्तरांचल के लिए नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के कारण उ.प्र. के पर्वतीय (उत्तरांचल) क्षेत्र में खाद्यान्न का भीषण संकट चल रहा है। यह नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की गई है जिसके कारण अब पूरे देश में प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह दस किलो राशन दिया जा रहा है। दिनांक 1-6-97 को नई खाद्यान्न नीति लागू करने से पहले उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गमता, वहां पर खाद्यान्न की उपज न होने के बराबर होने तथा खाद्यान्न का नियमित बाजार न होने एवं खुले बाजार की दुकान न होने के कारण उत्तरांचल के 89 विकास खंडों में आर.पी.डी.एस. प्रणाली लागू थी जिसके तहत एक राशनकार्ड पर प्रतिमाह 40-45 किलो राशन मिल जाता था। मेरे द्वारा 11वीं लोक सभा में इस विषय को उठाने के बावजूद भी पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई।

स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री ने दिनांक 21-6-97 को उत्तरांचल क्षेत्र के पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में घोषणा की थी कि उत्तरांचल क्षेत्र का खाद्यान्न संकट तीन दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा। किन्तु उत्तरांचल क्षेत्र के खाद्यान्न कोटे में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उत्तरांचल क्षेत्र में आर.पी.डी.एस. प्रणाली लागू कर खाद्यान्न की मात्रा में शीघ्र वृद्धि की जाए तथा गरीब जनता को भुखमरी से बचाया जाए।

(आठ) किऊल नदी पर पुलों के निर्माण हेतु बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बेगूसराय लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किऊल नदी पर रेहुआ, सूरजी घाट तथा सूर्यगदा के नजदीक पुल नहीं रहने के कारण कई बच्चे, औरतों, पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है। शीघ्र इन तीनों ही जगहों पर पुल बनाने की व्यवस्था की जाए। चूंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्गत की जाए।

[अनुवाद]

(नौ) आन्ध्र प्रदेश के किसानों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : आन्ध्र प्रदेश में हाल के महीनों में कई परिवारों के अलावा तीन सौ से अधिक कपास उत्पादकों ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी भारी देनदारी के कारण आत्म-हत्या कर ली है।

इस प्रकार की आत्म-हत्याएं न केवल आन्ध्र प्रदेश बल्कि देश के अन्य भागों में भी सुनी गई हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वहां अपने विशेषज्ञ भेजे।

मेरा केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया कराए।

(दस) धान की कुछ उत्तम किस्मों को सामान्य किस्मों में बदले जाने के सम्बन्ध में सरकार के आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी भारत सरकार के दिनांक 16.9.1997 के आदेश के तहत धान की 2067, 2077 और 1001 नामक उत्तम किस्मों को साधारण किस्मों में बदलने एवं तद्उपरान्त इसके मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की कमी करने से देश के किसानों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है। अब तक इसकी पहचान उत्तम किस्म के धान के रूप में की जाती रही है और सरकार ने इसका मूल्य 445 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। अचानक इस सरकार ने इसका मूल्य घटाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस निर्णय से प्रत्येक किसान को लगभग 1000 रुपये का घाटा हुआ है। अतः किसानों की इस दुखपूर्ण स्थिति को देखते हुए मेरा माननीय कृषि और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री से अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त 16.9.1997 के आदेश को निरस्त करके किसानों को इस भारी घाटे से बचाए तथा तदनुसार भारतीय खाद्य निगम को भी सूचित करे।

(ग्यारह) गंजम जिले में ऋषिकुल्या नदी पर पीपलपनका जलाशय परियोजना की स्थापना के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक (बरहामपुर) : मैं उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में ऋषिकुल्या नदी पर पीपलपनका जलाशय परियोजना को तीव्रता से कार्यान्वित करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राज्य के गंजम जिले के तटवर्ती प्रदेश गोपालपुर में लगाए जा रहे इस्पात संयंत्र के लिए पानी की आपूर्ति के लिए इस परियोजना को शीघ्र लागू किया जाना अति आवश्यक है। टाटा इस्पात कम्पनी द्वारा लगाए जा रहे इस्पात संयंत्र के लिए प्रतिदिन 5 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी की इस आवश्यकता की पूर्ति प्रस्तावित पीपलपनका जलाशय परियोजना से की जानी है।

पीपलनपका जलाशय परियोजना के लिए स्थान का चुनाव विभिन्न वैकल्पिक तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। और इसमें समुद्री जल के निर्लवणीकरण तथा अन्य स्थानों पर बांध बनाने की सम्भाव्यता भी शामिल है। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है।

पीपलपनका परियोजना को कार्यान्वित करने पर वन क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत भाग ही प्रयुक्त किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की वनस्पति और जीव-जन्तुओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त

[श्रीमती जयंती पटनायक]

गणपति जिले के पास 1178 हैक्टेयर भूमि को वनरोपण के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।

स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त यह संयंत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक होगा। संयंत्र द्वारा उत्पादन आरम्भ करने पर यह इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में भी सहायक होगा। अत: मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में पीपलपनका परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जाए।

(बारह) तूफान से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीरगिरि (कोन्टाई) : कुछ दिन पहले आए भीषण तूफान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई गांव नष्ट हो गए। पश्चिम बंगाल के बीस गांवों में कुल सम्पत्ति का नुकसान लगभग 50 करोड़ रुपये है। तूफान से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से दी गई केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से उन लोगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कुल लागत के एक छोटे से हिस्से की ही भरपाई होगी। इसीलिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह केन्द्र की अपनी निधियों से वित्तीय सहायता की धनराशि बढ़ाई जाए और राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वह धनराशि तुरन्त राज्य सरकार को दी जाए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पेय जल की विकट समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपदों कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं फतेहपुर में पेय जल का घोर संकट व्याप्त है, जिसके कारण उक्त जनपदों में हाहाकार मचा हुआ है। कुओं का जलस्तर नीचे जाने से कूप सूख गए हैं। नलकूप एवं हैंडपम्प पानी छोड़ रहे हैं। पानी गन्दा (कीचड़युक्त) होने से हैजा फैलने का डर है।

अत: केन्द्र सरकार उक्त जनपदों में पेय जल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को समुचित धन की व्यवस्था करने की कृपा करे क्योंकि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है।

[अनुवाद]

(चौदह) डिंडीगुल जिले में चर्म शोधन कारखानों के लिए अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु तमिलनाडु राज्य को विशेष केन्द्रीय राज सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में काफी संख्या में चर्म शोधन कारखाने बन्द होने के कगार पर हैं जिससे सैकड़ों कामगारों की जबरन छुट्टी हो जाएगी। इन चर्म शोधन कारखानों को बन्द करना एक सांविधिक आवश्यकता हो गई है क्योंकि चर्म शोधन कारखानों के मालिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए अपना अंशदान का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना न हो पाने के कारण कृषि भूमि नष्ट होती है तथा इसके साथ-साथ अन्य प्रकार के प्रदूषण भी पैदा होते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की तत्काल स्थापना के लिए चर्म शोधन कारखानों के मालिकों के अंशदान के बदले विशेष केन्द्रीय राज सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध करता हूं ताकि सैकड़ों कामगारों की आजीविका को बचाया जा सके और चमड़े के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की हानि को भी रोका जा सके।

(पन्द्रह) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उत्तर बिहार में हरी सब्जी का पर्याप्त उत्पादन होता है किन्तु उत्पादक कृषकों को विपणन की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने से पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त होता है। पिछले वर्ष तो आलू का उत्पादन इतना अधिक हो गया कि किसानों को सड़े आलू को फेंकवाने के लिए भी मजदूर नहीं मिलता था। सरकार यदि पटना विमानपत्तन पर कारगो हैंडलिंग या अन्य सुविधा की व्यवस्था कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दे तो यहां से हरी सब्जी का निर्यात विदेशों में सम्भव हो जाएगा जिसकी वहां अत्यधिक मांग है। इससे उत्तरी बिहार के सब्जी उत्पादक किसानों को उचित पारिश्रमिक तो मिलेगा ही, देश के निर्यात में भी अभिवृद्धि होगी।

अत: मेरी मांग है कि पटना विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन शीघ्र बनाया जाए जिसके लिए पिछले वर्ष तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ने आश्वासन भी दिया था।

[अनुवाद]

(सोलह) उड़ीसा के तूफान पीड़ितों के लिए विशेष एकमुश्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : जीवित बचे लोगों की असांत्वनीय चीत्कार के बीच उड़ीसा में हाल ही में आए तूफान-पीड़ित गांवों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य सन्तोषजनक नहीं हैं। सरकार को प्रधानमंत्री राहत कोष और केन्द्रीय राहत कोष से दी जाने वाली नियमित सहायता के अतिरिक्त मकानों, कार्यालय भवनों के पुनर्निर्माण और पेय जल की तत्काल व्यवस्था करने के लिए विशेष एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

(सत्रह) युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंध्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : बेरोजगारी की समस्या देश की सबसे अधिक ज्वलन्त समस्या के रूप में उभर रही है। जुलाई, 1997 में प्रकाशित पिछली रिपोर्ट के अनुसार देश में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या तीन करोड़ सतानवें लाख है। इसमें से पश्चिम बंगाल में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 56 लाख है।

भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाने

चाहिए और इस विकट समस्या को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित किए जाने हैं अन्यथा ये युवा क्रोधाग्नि में जलेंगे और यह समाज के लिए बहुत दुखदायी होगा।

(अठारह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : सुन्दरवन और उसके आसपास का क्षेत्र जोकि विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव दलदल तथा रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तीव्र गति से गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की सफलता का नमूना बनता जा रहा है। सागर द्वीप और गोसाबा द्वीप के लोग पहले से ही पुन:प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठा रहे हैं।

मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इस स्तर पर पवन ऊर्जा (54,000 मेगावाट), ज्वारीय लहर ऊर्जा (79,000 मेगावाट), लघु पनबिजली (10,000 मेगावाट), 'बायो-मास' (35,000 मेगावाट) और 'बायो-गैस' (1 लाख मेगावाट) जैसे गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि कम क्षमता का उपयोग तथा अधिक समय व लागत को देखते हुए बड़ी परियोजनाओं पर इस समय बल दिया जाना सही नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार को सुन्दरवन के ऊर्जा स्रोत की क्षमता का दोहन करने का कार्य तत्काल प्रारम्भ करना चाहिए।

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश में से एक पृथक पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : पूर्वी उ.प्र. के 22 जिलों को मिलाकर एक अलग "पूर्वांचल राज्य" के गठन का उल्लेख राष्ट्रीय एजेंडे में नहीं होने से वहां करोड़ों जनता में निराशा एवं असन्तोष है। आजादी के 50 वर्षों बाद भी गलत नियोजन के चलते इस क्षेत्र की 5 करोड़ 30 लाख जनता गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अभाव, अशिक्षा व बेरोजगारी की त्रासदी झेल रही है। 85 हजार 844 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा 27 संसदीय सीटों वाले इन क्षेत्रों का आजादी की लड़ाई में शानदार इतिहास रहा है। भगवान शिव, राम, बुद्ध व महावीर की इस धरती ने समूचे विश्व को एक नई रोशनी व पौराणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत दी है। सूफी संतों व प्रख्यात साहित्यकारों की इस जन्म व कर्मभूमि से एक नया संदेश व दिशा मिली है। गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, घाघरा, कुआनो तथा बड़ी गंडक नदियों के होत हुए भी यहां की 50 प्रतिशत भूमि असिंचित है। इस क्षेत्र के केवल 12 लाख 8 हजार लोग रोजगार प्राप्त हैं और कुल आबादी के 31 प्रतिशत युवक नौकरी के लिए बाहर भागे हुए हैं। भूमि का उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद इसमें प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी तीन हजार रुपये से कम है। यहां साक्षरता केवल 38 प्रतिशत है जिसमें महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20 है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी जैसे छोटे राज्यों के चहुंमुखी विकास से स्पष्ट है कि बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों का त्वरित विकास होता है। अभावग्रस्त पूर्वांचल की जनता में व्यापक असन्तोष है जो कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी उ.प्र. के लोगों की तकदीर संवारने के लिए अलग पूर्वांचल राज्य जनहित में बनाए जाने की कृपा प्रदान करें।

[अनुवाद]

(बीस) मदुरै, तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों की दशा सुधारने की आवश्यकता

डा० सुब्रमण्यम स्वामी (मदुरै) : मदुरै के हथकरघा बुनकरों तथा उनके परिवारों के लगभग दो लाख लोगों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तमिलनाडु राज्य के सरकारी क्षेत्र की इकाई को-आपटैक्स उनके द्वारा उत्पादित कपड़े को खरीद नहीं रही है।

इससे उन्हें गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय वस्त्र मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या उत्पादन का सारा माल स्वयं क्रय करके, अगले पांच वर्षों के लिए भी उत्पादन के क्रय का आश्वासन देना चाहिए। स्वदेशी की नीति पर जोर देने वाली सरकार हथकरघा बुनकरों की स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकती है।

अपराह्न 5.45 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री चिन्मयानन्द जी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं लघु उद्योगों के बारे में निवेदन कर रहा था। लघु उद्योग प्राय: अविकसित कस्बों या गांवों में स्थापित होते हैं। उसका कच्चा माल सीधे-सीधे उन्हीं गांवों से आता है। कच्चा माल ही नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले श्रमिक भी उन्हीं गांवों के आसपास के लोग होते हैं। लघु उद्योगों के द्वारा जहां कच्चा माल गांवों से, खेतों से लिया जाता है, वहीं किसानों को भी लाभ होता है। किसान की उपज को सही कीमत मिलती है, तत्काल कीमत मिलती है। साथ-साथ जो गांव का रहने वाला मजदूर है, शिक्षित नहीं है, उसको रोजगार मिलता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। लेकिन पिछले पचास सालों में क्या हुआ। जितनी नीतियां बनाई गईं, वह बड़े-बड़े उद्योगों को दिमाग में रखकर बनाई गईं। लघु उद्योगों के ऊपर केवल दया के आंसू बरसाए गए, उनको संरक्षण नहीं दिया गया। अब भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में लघु उद्योगों को न तो विद्युत मिलती है, न उनको पानी मिलता है, न वहां आने-जाने के लिए सड़कें होती हैं, न रेल लाइन नजदीक होती है जहां से उनके माल को ले जाया जाए और सबसे बड़ा संकट यह होता है कि जो कुछ वे बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग का कोई ठीक इन्तजाम नहीं किया जाता। नतीजा यह होता है कि यदि हम अपने उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग ही लें, तो तमाम कागज के उद्योग, जो गन्ने के बचे हुए हिस्से से निर्मित होते हैं, वे ठप्प पड़ते जा रहे हैं, चलने की स्थिति में नहीं हैं। मैं समझता हूं कि लघु उद्योगों की ओर दृष्टि डालकर उनके संकट को दूर करने

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

के सम्बन्ध में सोचा जाए तभी वे प्रभावी हो सकते हैं। यदि लघु उद्योगों को संरक्षण मिलेगा तो निश्चित ही जो विदेशी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आज हमारे यहां अचार, चटनी, पापड़ और नमकीन बनाने के लिए आ रही हैं, उनकी जरूरत इस देश में नहीं रहेगी। यह चुनौती हमारे लघु उद्योग अपने आप स्वीकार कर लेंगे। यदि उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन बड़े कामों में पड़ेगी जो हाई-टैक के काम हैं। इसके लिए सरकार सर्वथा धन्यवाद और आभार की पात्र है।

इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जल नीति के बारे में कही गई। हिन्दुस्तान में शायद सबसे ज्यादा पानी बरसता है। इस देश में पानी बरसने के कारण ही भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा—''अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्यातत''। इस देश में जल से अन्न पैदा होता है जो आसमान से आता है। उस पानी को रोकने का हम कोई इन्तजाम नहीं कर पाए। पानी बरसता है और बहकर नदियों, नालों से समुद्र में चला जाता है। यदि हमने उस पानी को रोकने का उपाय किया होता, तालाब बने होते, छोटे-छोटे बांध बनाकर उसे रोका गया होता तो जहां हमारी सिंचाई की जरूरतें पूरी होतीं वहीं भूगर्भीय जल जमीन से इतना नीचे नहीं गया होता। इमें और बहुत कम स्तर पर पानी मिलता। जो जल नीति बनाई जा रही है, मैं समझता हूं कि इसमें आसमान से उतरे हुए जल की व्यवस्था की गुंजाइश होगी, उसमें उसकी चिन्ता की गई होगी।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की बात पिछली कई सरकारों ने की है, लेकिन वह आरक्षण प्राप्त करने के बाद इस सदन में और दूसरे सदनों में, चाहे वह विधान सभा के हों, चाहे पंचायत के हों, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें और अपना पक्ष ठीक से रख सकें, इसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी था। यदि 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ उनकी शिक्षा को निशुल्क बनाने का इन्तजाम अब तक नहीं किया गया। स्नातक तक की शिक्षा को निशुल्क करके न केवल सरस्वती और शारदा की प्राचीन परम्परा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश इस सरकार ने की है बल्कि देश में महिलाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें एक बहुत कारगर और प्रभावी अवसर प्रदान किया है जिसके लिए यह सरकार सर्वथा बधाई की पात्र है।

मैं एक और बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने वाले लोग उनके प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उन्हें हम संन्यासियों को पालना पड़ता है। हमारे यहां सैंकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पैदा किसी और ने किए हैं और जिन्हें पाल हम रहे हैं, उनकी शिक्षा, भोजन का प्रबन्ध हम कर रहे हैं। यदि उनके लिए कोई नीति बने, इसमें घोषणा की गई है कि एक राष्ट्रीय नीति बच्चों के लिए बननी चाहिए। बच्चे पैदा करने की जो आजादी लोगों को मिली हुई है, उसका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है जो इस देश को एक सरदर्द के रूप में ढोना पड़ता है, इस पर चिन्ता प्रकट की गई, ये दोनों चीजें मिलाइं जानी चाहिए जनसंख्या और बच्चों की शिक्षा। बच्चे पैदा करने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए लेकिन उनका पालन करने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि उनका लालन-पालन किया जाएगा, उन्हें शिक्षा दी जाएगी। जिन बच्चों की आयु अभी मुश्किल से पांच-सात साल की नहीं हुई है, किसी भी रास्ते पर चले जाएं, चाहे जयपुर की तरफ चले जाएं या आगरा की तरफ चले जाएं, हर ढाबे में गिलास धोते हुए, प्लेटें धोते हुए बच्चे मिलेंगे। भारत *का भविष्य प्लेट-ग्लास धोते हुए दिखाई पड़ता है तो याद आता है कि यह देश कभी गोपाल का देश था। छोटे-छोटे बच्चों को देखकर याद आता है कि यह देश कभी प्रह्लाद का देश था। इसे देख बड़ी शर्म आती है।* इसलिए बच्चों पर जो ध्यान देने की बात कही गई है, यह महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा के, संवर्द्धन के, उनके पोषण के और उनके लिए आने वाले समय में रोजगार के, ये सब उपाय सरकार निश्चित करना चाहती है। इसलिए उन बच्चों पर जो ध्यान गया है, यह आने वाली पीढ़ी पर मेहरबानी की गई है। मैं इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद देता हूं।

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। इस देश में सामाजिक न्याय की बात की जाती है। लेकिन वह किसे कहते हैं? एक जाति को जब दूसरी जाति के खिलाफ भड़काया जाता है, तो क्या यह सामाजिक न्याय है? एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा किया जाए, तो क्या यह सामाजिक न्याय है? जातियों को प्रगतिशीलता के नाम पर गाली दी जाए, क्या यह सामाजिक न्याय है? होना यह चाहिए कि हर जाति को जातीय कारणों से छोटा-बड़ा न समझा जाए। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, आप देख लें, जापान में रहने वाले को जैपनीज, अमरीका में रहने वाले को अमेरिकन, चीन में रहने वाले को चाइनीज, ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश कहा जाता है और इसी तरह से पाकिस्तान तथा अन्य देशों में हैं कि आदमी की पहचान वहां के देश से होती है और देश की पहचान आदमी से होती है, लेकिन भारत में जो पैदा होता है वह शायद ही अपने को भारतीय कहता हो। हम अब भी आपस में जातियों में बंटे हुए हैं। जब तक यह चीज रहेगी तब तक सामाजिक समरसता की बात दूर की कौड़ी लगेगी। इसलिए सरकार ने सामाजिक समरसता की बात करके जो राष्ट्रीय एकता के लिए संकल्प लिया है, यह स्वागत योग्य है। जब तक राष्ट्रीय एकता नहीं होगी, इस जननी जन्म भूमि के प्रति आस्था नहीं होगी, जब तक हम जातीय आधार पर एक-दूसरे के दुश्मन होंगे, तब तक हम देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक वर्ग को, उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को, पूरे समाज को नागरिक अधिकारों की ओर उन्मुख किया गया है, यह सराहनीय् कदम है।

मैं जानता हूं इस सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं, अनेक सवाल हैं, लेकिन उन सवालों को, संकल्पों को आकार देने में यह सरकार सफल होगी। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और माननीय आडवाणी जी के गतिशील नेतृत्व में यह सरकार पांच साल पूरे ही नहीं करेगी, बल्कि यह सरकार 50 सालों का हिसाब चुकता करने का दम भी रखती है। यह सारा देश एक है और यह सरकार देश को एक नया संकल्प और नया रास्ता देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० नटवर सिंह (भरतपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं विपक्ष से पहली बार बोल रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य था कि 1984 से 1989 तक मैं विपक्ष में बैठा था। यदि स्थिति बदल जाए तो सम्भवत हम निकट भविष्य में सत्ता में आ जाएंगे।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण तैयार करने वाले लोगों का आदर करता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा दस्तावेज है—यह मैं बहुत ही आदरसहित कह रहा हूं—जो एक कीमती लांडरी लिस्ट की तरह लगता है क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र से लिया गया है, जिसके मुख पृष्ठ पर श्री वाजपेयी जी की और अंतिम पृष्ठ पर श्री आडवाणी जी का चित्र है। सम्भवत यही गलती है। यह इसके विपरीत तरह होना चाहिए।

फिर इसके बाद, हमारे सामने चुनावों के बाद शासन चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा सामने आया। इसके अलावा हमारे सामने राष्ट्रपति का अभिभाषण आया। अब मुझे यकीन नहीं आता कि श्री आडवाणी की पार्टी के सदस्य भाजपा के घोषणा-पत्र या राष्ट्रीय एजेंडा या राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति या श्री गोलवलकर की पुस्तक के प्रति समर्पित हैं। श्री चन्द्रशेखर ने अपने हस्तक्षेप में इस पुस्तक से उद्धृत किया था।

श्री गोलवलकर की पुस्तक संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। मैंने ढूंढ़ने की कोशिश की थी परन्तु यह वहां नहीं है। मैं जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि का सचिव रहा और वहां इस पुस्तक की एक प्रति है। मैं इस पुस्तक से पढ़कर आपका या सदन के सदस्यों का समय व्यर्थ नहीं करूंगा परन्तु यह बात सुझाव योग्य है कि इस संसद के युवा सदस्य और नए सदस्य इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। मैं इस देश के एक महान नेता श्री आडवाणी से आदर के साथ यही पूछ सकता हूं कि क्या वे इस पुस्तक में कही गई बात से सहमत हैं या नहीं? हां या नहीं, उत्तर बहुत ही आसान है और मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : जब श्री चन्द्रशेखर जी ने उसका उल्लेख किया था तो क्या आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री के० नटवर सिंह : मैंने उनकी बात सुनी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उस समय मैंने कहा था कि जहां तक अक्सर कही जाने वाली इस उक्ति का सम्बन्ध है, इस पुस्तक का लेखक भी इससे सहमत नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : परन्तु आपके विचार क्या हैं?

श्री के० नटवर सिंह : क्या आप इस पुस्तक से सहमत नहीं हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उस विशेष भाग से सहमत नहीं हूं जिसका उल्लेख बार-बार किया जाता है कि और इसमें नाजी जर्मनी और अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, मैं इस पुस्तक से किसी पैरा का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आप पुस्तक के उल्लिखित सिद्धान्त और उसके सार से सहमत है या नहीं। आप 'हां' या 'नहीं' कह सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह कोई प्रश्न नहीं हुआ।

श्री के० नटवर सिंह : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे अलग ढंग से कहूं? *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस पुस्तक में इतने सारे विचार हैं जिनसे मैं सहमत हो भी सकता हूं और नहीं भी। मैं जानता हूं कि उसमें से केवल एक ही भाग को बार-बार उद्धृत किया जाता है।

श्री के० नटवर सिंह : मैं जानता हूं कि श्री आडवाणी जी अपनी बात सोच समझकर बोलते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी तरह के अच्छे शब्दों और वाक्यों के प्रेमी हैं। मै। बहुत ही आदर और नम्रतापूर्वक उनसे यह पूछता हूं : क्या आप इस पुस्तक से व्यापक रूप में सहमत हैं या नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह कोई प्रश्न नहीं है।

अपराह्न 5.56 बजे

[**श्री के० येरननायडू** *पीठासीन हुए।*]

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइन (बालाोर) : श्री नटवर सिंह जी क्या आप कोई पत्रकार हैं जो आप बार-बार यह प्रश्न पूछ रहे हैं? यह कोई प्रेस कान्फ्रेंस नहीं है। आप अपना अभिभाषण दीजिए परन्तु बार-बार वहीं प्रश्न न पूछिए। आप उस प्रश्न को बार-बार क्यों पूछ रहे हैं जबकि वे इसका स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया बैठ जाएं। श्री नटवर सिंह जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : क्या मैं आपसे इस सदन का समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस समय छह बजे हैं। सभा की सहमति से हम समय बढ़ाएंगे।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति लेकर आपके माध्यम से समय को सात बजे तक बढ़ाए जाने के लिए विचार करने के लिए सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं?

अनेक माननीय सदस्य : समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : पहले, हम इसे सात बजे तक बढ़ा देते हैं उसके बाद फिर देखेंगे। आपकी सहमति से मैं समय को एक घंटा बढ़ा देता हूं।

(व्यवधान)

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : हम हर बार यही कर रहे हैं कि समय को एक घंटा बढ़ा देते हैं। सरकार भी ऐसी ही है।

सभापति महोदय : आप प्रक्रिया और हर बात के बारे में जानते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : माननीय सदस्य मुझे अपना अभिभाषण देने के लिए कह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री जी को उनकी सहायता की आवश्यकता है। वे स्वयं काफी सक्षम हैं।

महोदय हम दिन भर, कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले 45 वर्षों में तथाकथित गलतियां करने के बारे में सुनते रहे हैं।

[श्री के० नटवर सिंह]

मैं और लोगों की तरह, अपने मित्र श्री जगमोहन की संस्थान की आलोचना की बात सुनकर हैरान था क्योंकि वह अपने जीवन के काफी समय तक इस संस्थान के उच्च व्यक्तित्व वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। जिस भावना से उन्होंने बोला था मैं उसकी कद्र करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी ठोस और विद्वतापूर्ण प्रश्न पूछे थे जिन पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। अर्थात यही हम कह रहे है।

मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष विदेशी मामलों का अध्ययन करने में गुजार दिए हैं।

मैं भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में पृष्ठ 6 में दिए गए संदर्भ तथा इन दो अन्य दस्तावेजों में दिए गए संदर्भों के बारे में बोलूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1977-79 में विदेश मंत्री थे। क्या उन्होंने जवाहर लाल नेहरू जी की विदेश नीति में लेशमात्र भी परिवर्तन किया?

अपराह्न 6.00 बजे

वे 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। क्या उन्होंने भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन किया? केन्द्र में अल्प गैर-कांग्रेसी सरकारें रही हैं। क्या किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, भारत की विदेश नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन किया है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो? विदेश नीति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति रही है। वे चाहें तो इससे इन्कार कर सकते हैं। परन्तु वे ऐसा नही कर सकते।

भारत की विदेश नीति के प्रारूप और रूपरेखा का मसौदा पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1947 में नहीं तैयार किया गया था। उन्होंने 1938 में त्रिपुरी कांग्रेस में गुटनिरपेक्ष के सम्बन्ध में बोला था। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा इसमें भारत के स्थान के सम्बन्ध में गैर-उपनिवेशवाद तथा भारत की किसी सिद्धान्त से न बंधने की विदेश नीति के बारे में 1927 में ब्रुसेल्स में हुए सम्मेलन में अपने मस्तिष्क तथा ज्ञान के आधार पर बोला था तथा मैं श्री गुजराल जी—वे यहां उपस्थित नहीं हैं—को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी नीति की ताकत यही है कि हमने किसी सिद्धान्त या किसी विचारधारा को नहीं अपनाया क्योंकि सिद्धान्त और विचारधारा विचार और नए विचारों के दुश्मन हैं। हमारी विदेश नीति की ताकत यह है कि जब से हमने स्वतनत्रता पाई हमने शीत युद्ध की बात ही नहीं सोची। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना 1955 में बेनडंग अथवा 1961 में बेलग्रेड में नहीं हुई थी। इसकी स्वतंत्रता से काफी पहले स्थापना हो गई थी। मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुटनिरपेक्ष का केवल सरसरी तौर पर जिक्र किया गया है। यह हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार है। गुटनिरपेक्ष की निन्दा करना आज फैशन बन गया है।

मैं इस तथ्य की सराहना करता हूं कि 1940, 50, 60, 70 और 80 के दशकों का राष्ट्रीय एजेंडा अलग-अलग था। हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। यदि गुटनिरपेक्ष देश वर्णवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो सकते हैं और निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करते हैं तो उसी गुट को भारत के नेतृत्व में, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस गुट का नेतृत्व पिछले दो सालों में भारत को नहीं दिया गया है, नए एजेंडे में एक बार पुनः अपनी बात को मनवाने में सक्षम होना चाहिए और इसे गुटनिरपेक्षता में नए विचारों को स्थान देना चाहिए और इस आन्दोलन का उपयोग एक अकेली महाशक्ति की दादागिरी को रोकने के लिए आम राय बनाने के लिए साधन और वाहक के रूप में करना चाहिए।

मैं इस सरकार से पूछता हूं कि उनके लिए यह करना सम्भव क्यों नहीं है? इसलिए कि यह वैसाखियों पर टिकी सरकार है और वे वैसाखियां दिग्गज नेताओं से मिलकर बनी हैं। हमने श्री जार्ज फर्नान्डीज के विचार पहले ही सुन लिए हैं। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा के बारे में कहा। बर्मा के बारे में उनके विचारों से मैं सहमत हूं। ये जटिल मुद्दे दो राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध और लाखों लोगों के जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने एक गम्भीर मामले के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वे सरकार में काफी वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। दिल्ली में 125 विदेशी दूतावास और उच्चायोग हैं, वे अपनी सरकारों को बताते हैं कि यहां क्या सुविधा व्याप्त है। विशेषरूप से संवेदनशील मुद्दों के बारे में जहां पर शब्द महत्वपूर्ण हैं और यथार्थता महत्वपूर्ण है।

चुनाव घोषणा-पत्र के इस दस्तावेज के पृष्ठ 31 में कहा गया है :

"देश की परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु हथियारों को शमिल करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे।"

सौभाग्य से इसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर श्री गोलवलकर ने अपनी पुस्तक को परमाणु बमों के प्रयोग से पूर्व लिखा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा होगा, प्रधानमंत्री जी किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी और उस पार्टी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में आप और श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पृष्ठ 31 पर कही गई बात को त्याग दिया है, जिसमें कहा गया है :

"देश की विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु हथियारों को शामिल करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे।"

मुझे खुशी है कि आपने अपने परमाणु दुस्साहसवाद को त्याग दिया है।

विपक्ष में रहते हुए परमाणु नीति के बारे में एक सार्वजनिक बयान देना अलग बात है और सरकार में रहकर ऐसा बयान देना अलग बात है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि इस सभा से बाहर जब इस अति महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होती है या इसका उल्लेख किया जाता है तो अधिकाधिक संयम बरता जाना चाहिए।

इसके बाद हमने विदेश नीति के बारे में सुना कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का हर सम्भव प्रयास करेंगे। कैसे? मेरे अन्य सहयोगियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित अन्य मामलों के बारे में कहा है मैं केवल विदेश नीति के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन पर्यन्त भारत की विदेश नीति से सहमत रहे हैं। उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया है। जब उन्होंने 1979 में अपनी चीन यात्रा के बारे में निश्चित भाव से कहा था तो मुझे कुछ हैरानी हुई क्योंकि वे जानते है कि उनकी चीन यात्रा रद्द कर दी गई थी। इसका कोई परिणाम नहीं निकला था जबकि उन्होंने कहा कि इसके परिणाम निकले हैं। सीमा विवाद के बारे में उल्लेखनीय सफलता 1988 में श्री राजीव गांधी चीन यात्रा से मिली जब वे श्री डेंग जिओ पिंग से मिले थे। यह सत्य है। यह मेरी कल्पना नहीं है।

मैं प्रधानमंत्री से एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि जिस समय मैंने यह बात कही थी तब वे यहां उपस्थित नहीं थे। प्रधानमंत्री जी क्या आप भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्धारित नीति की रूपरेखा में मूल परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? मैं नहीं समझता कि आप इसमें मूल परिवर्तन करेंगे क्योंकि अब आप उस स्थान पर आसीन हैं जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्रह वर्षों तक आसीन रहे। उन्होंने गहनता से विचार, चिन्तन और आत्मनिरीक्षण किया और अन्य लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर उन निष्कर्षों तक पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि हिन्दुस्तान, भारत माता, भारतवर्ष और इंडिया मात्र एक देश नहीं है यह एक अवधारणा है। यह एक विचार है, यह एक गन्तव्य है, यह एक परिवर्तन है, यह एक सिद्धि है और यह देश कभी भी किसी अन्य देश का पिछलगा नहीं हो सकता है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात जन संघ के गठन से काफी पहले कही थी। उन्होंने यह बात भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से बहुत पहले कही थी। मैं नहीं जानता कि विदेश नीति के बारे में 1947 में क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कोई विचार थे। इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री और सरकार में उनके सहयोगियों के समक्ष विनम्रता से यह बात दर्ज करना चाहता हूं कि इस दस्तावेज में जिस तरह से विदेश नीति को खारिज किया गया है वह सरासर गलत है।

हमारे देश की आबादी एक अरब है। हमारी आवाज का महत्व है। जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाता है तो वह किसी एक विशेष पार्टी के नेता के रूप में नहीं जाता है। वह वहां एक अरब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में जाता है और मुझे विश्वास है कि वह इस बात को कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री जी आप इतने अच्छे ओर उदार व्यक्ति हैं कि एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने आपको मानव अधिकार आयोग में भेजे गए भारतीय शिष्टमण्डल का नेता चुना था, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अब आप सरकार में हैं जब मौका आये तो आप भी ऐसी ही भावना का प्रदर्शन करेंगे ...*(व्यवधान)*

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं विदेशी मामलों के संबंध में जो आम सहमति बनी वह विगत पचास वर्षों में बन रही है। मैं चाहता हूं कि यह आम सहमति अन्य क्षेत्रों में भी अपनाई जानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी आपके शपथ ग्रहण से पूर्व ही कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था कि हम सकारात्मक सहयोग करेंगे। हम उस बात को आज भी मानते हैं। मैं उस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि सभा में पहले दो दिनों क्या हुआ, अन्य लोगों ने इसका उल्लेख किया है। मैं विदेशी नीति के बारे में वाद-विवाद तक ही अपने को सीमित रखता हूं।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय को नहीं उठाया गया है, मुझे आशा है कि जब इस सभा के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो हम आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना पर चर्चा करेंगे। यह विचार था कि आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना से संग्रहित धन का उपयोग अवसंरचना के क्षेत्र में और शुद्ध पेय जल जैसी बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं पर व्यय किया जाएगा।

मैं अपने मित्र वित्तमंत्री श्री यशवन्त सिन्हा से जानने का इच्छुक हूं कि क्या आप की स्वैच्छिक घोषणा योजना से प्राप्त धन का समन्वित उपयोग किया जा रहा है। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में उन्हें सरकार में अधिक अनुभव है शायद इस बात के अपवाद केवल जगमोहन हैं कि आधुनिक सरकार कैसे चलाई जाती है क्योंकि आपके सम्मुख यह कठिनाई आ रही है कि आप में से अधिकतर लोगों को आधुनिक सरकार की तकनीकियों को सीखना है। यह आसान नहीं है। श्री यशवन्त सिन्हा को इस बारे में काफी ज्ञान है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्वैच्छिक घोषणा योजना से राज्यों को दी गई राशि का वे क्या कर रहे हैं?

श्री सी० श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में डा० जयललिता के सक्रिय नेतृत्व में अन्नाद्मुक पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया।

मैं श्री वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का इतना उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसा करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, अन्य 17 भाषाओं के साथ तमिल को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने तथा तमिलनाडु के हित में पुरातच्छी थलाइवी डा० जयललिता द्वारा की गई मांग के अनुसार कावेरी नदी जल विवाद का हल निकालने जैसे मुद्दे शामिल किए हैं।

मुझे वाजपेयी सरकार का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कुशासन के कारण तमिलनाडु के लोगों को बिजली की कमी से बचाने के लिए डा० जयललिता के अनुरोध पर पूर्वोत्तर पॉवर ग्रिड से तमिलनाडु को 300 मेगावाट बिजली दी। ...*(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, उन्हें इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें आरोप नहीं लगाने चाहिए। नए नियमों के अनुसार, उन्हें लिखित भाषण नही पढ़ना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह एक नव-निर्वाचित सदस्य हैं। उन्होंने अध्यक्षपीठ से अपना भाषण पढ़ने की अनुमति ली है।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : नियमानुसार, उन्हें लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री टी०आर बालू : वह लिखित भाषण कैसे पढ़ सकते हैं? उस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, वह एक नव-निर्वाचित सदस्य हैं। उन्होंने भाषण पढ़ने के लिए अध्यक्षपीठ की अनुमति ली है। उन्होंने अध्यक्षपीठ से अनुमति ली है।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी०आर० बालू : आपने क्या अनुमति दी है? आप एक गलत परम्परा कायम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यह गलत परम्परा नहीं है। श्री बालू, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह दसवीं लोक सभा के सदस्य थे। आप उन्हें कैसे अनुमति दे रहे हैं? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बहस क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया नए सदस्य को परेशान न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप हर बार इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : माननीय सभापति महोदय, आप एक गलत परम्परा कायम कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* आप पहली बार पीठासीन हुए हैं ... *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : वह एक नए सदस्य नहीं हैं। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, यह एक हास्यास्पद आपत्ति है। आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे आपके द्वारा भाषण पढ़ने पर आपत्ति कर रहे हैं। आप बिना पढ़े अपनी भाषा में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, अब कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (करनाल) : सभापति महोदय, कायदा यह है और पुराना मैम्बर होने के नाते जहां तक मेरी जानकारी है अगर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट हो, तब तो माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं, वरना यहां स्पीच पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आज तक ऐसे पढ़ते हुए देखा नहीं। इस मामले में हम आपकी रूलिंग चाहेंगे ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (डा० एम० तम्बीदुरई) : महोदय, वे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वे पूरा भाषण नहीं पढ़ सकते ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : लेकिन वह पूरा भाषण पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, कृपया बैठ जाइए। इस तरह से हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री श्रीनिवासन, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी० श्रीनिवासन : महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल कुछ मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं ... *(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी भाषा तमिल में बोलने दीजिए। महोदय, कृपया मुझे अपना सहयोग दें।

*मैं उस मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा जिसका मैं यहां अब उल्लेख कर रहा था। मैं महसूस करता हूं कि यह केवल तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के कुप्रबन्ध के कारण ही स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है। इसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी हो गई है जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। ... *(व्यवधान)*

महोदय, क्या मैं अपनी बात बहुत ही स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : इस भाषण का अनुवाद नहीं हो रहा है। ... *(व्यवधान)* उन्हें इसके लिए पूर्व सूचना देनी चाहिए थी।

श्री वैको (शिवकाशी) : श्री बालू, क्या आपको उनके तमिल में बोलने पर आपत्ति है? ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि नियम 352(xi) में लिखा है कि लिखित भाषण पढ़ने से पहले चेयर से लिखित में इजाजत लेनी पड़ेगी। कल को आप भी ऑनरेबल मैम्बर थे। आपने इसका अध्ययन किया होगा। परमिशन देने का राइट स्पीकर को है। आप इस बात को देखें। अगर उन्हें अपना लिखित भाषण पढ़ने की इजाजत मिल गई है तो ही आप उन्हें एलाऊ करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

श्री टी०आर० बालू : उन्होंने इसकी पूर्व सूचना नहीं दी है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं नियम तथा प्रक्रिया जानता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सी० श्रीनिवासन, आपको अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ना चाहिए। यदि ऐसी कोई बात है तो आप उसमें से उद्धरित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू, कृपया बैठ जाइए। मैंने उन्हें इस सम्बन्ध में निर्देश पहले ही दे दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : क्या माननीय मंत्री महोदय उन्हें सिखा रहे हैं? *(व्यवधान)* वह वहां गए हैं और उन्होंने अपने सदस्य से बात की है और कुछ संदेश दिया है *(व्यवधान)*

डा० एम० तम्बीदुरई : महोदय, मैं उनके पास केवल यह कहने गया था कि वह अपना भाषण बिना पढ़े दें।

श्री टी०आर० बालू : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कार्यवाही वृतान्त पढ़ें।

सभापति महोदय : कृपया आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टी०आर० बालू : मैं अध्यक्षपीठ का उचित सम्मान करता हूं। आप कृपया कार्यवाही वृतान्त पढ़ें।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त पढ़ूंगा। यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक हुआ तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री टी०आर० बालू : कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, आप कार्यवाही वृतान्त को देखें। इसमें माननीय केबिनेट मंत्री और सम्बद्ध सदस्य के बीच तमिल में वार्तालाप है : "ऐलम अपादथान पीमारा, नेयूम पीसाया" *(व्यवधान)*

डा० एम० तम्बीदुरई : इन्होंने कुछ कारणों से आरोप लगाया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। यदि कार्यवाही वृतान्त में कोई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति है तो मैं उसे हटा दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप व्यर्थ में सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। कृपया पहले अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। श्री बालू, यदि वहां कोई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति है तो मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा और उसे कार्यवाही वृतान्त से हटा दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं यदि आपका कोई विशेषाधिकार का मामला है तो आप उसे बाद में उचित तरीके से उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि यह ऐक्सटेण्डेड टाइम है। यह इसलिए दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें और अगर टैक्निकल बातों पर ही समय बरबाद कर देंगे तो *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : यदि मैं आपको गाली दूं तो क्या आप चुप रहेंगे? संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपको माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : लीडर्स के कहने पर कि मेम्बर्स ज्यादा संख्या में बोल सकें इसलिए 7 बजे तक समय बढ़ाया गया है और इन्हीं टैक्निकल पौइंट्स पर आप लोग लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे उत्तजेक भाषण न दें। यह चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सम्बन्धी है। इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं उसे आप शान्त भाव से कह सकते हैं। इसमें उत्तेजना कथन न होने चाहिए।

श्री सी० श्रीनिवासन : तमिलनाडु में, अत्यन्त गंभीर रूप से विद्युत में कटौती हुई है। क्या यह सही है? मैं इसका पता लगाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। अन्य सदस्यों को सम्बोधित मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सी० श्रीनिवासन : पिछले चुनाव में डा० जयललिता ने भारतीय जनता पार्टी के सक्षम नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ स्थिर सरकार के लिए प्रचार किया था तमिलनाडु में एआईएडीएमके और सहयोगी दलों ने 40 स्थानों में से 30 स्थानों पर विजय पाई है। तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके को पूरी तरह अस्वीकार किया है। श्री एम० करुणानिधि को तुरन्त अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम चाहते हैं *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी०आर० बालू : इस वाक्य से आप क्या अर्थ निकालते हैं? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, इसमें क्या त्रुटि है? आपके विचार में यह ठीक नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए। इसमें क्या त्रुटि है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। आपके दल को भी मौका मिलेगा। उस समय आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें क्या त्रुटि है? माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें क्या त्रुटि है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी राय क्या है?

श्री टी०आर० बालू : मैं समझता हूं माननीय सदस्य थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान रखते होंगे। आप कार्यवाही वृतान्त की जांच कर सकते हैं। इसमें विषय कर्ता अथवा उद्देश्य नहीं है। इस वाक्य से मैं क्या अभिप्राय लगा सकता हूं।

सभापति महोदय : श्री श्रीनिवासन, कृपया समाप्त करिए। निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

श्री सी० श्रीनिवासन : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह श्री करुणानिधि के खिलाफ सरकारिया आयोग के निष्कर्षों का स्मरण करें। न्यायमूर्ति सरकारिया ने कहा है और मैं उद्धृत करता हूं "श्री करुणानिधि वैज्ञानिक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। खटाई में पड़े आयोग के निष्कर्षों को पुनः लागू करना चाहिए और श्री करुणानिधि पर आरोप पत्र दायर करना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : क्या इन्हें अनुमति ... *(व्यवधान)* यह यहां सबको मूर्ख बना रहे हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आपको भी मौका मिलेगा आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : अध्यक्षपीठ को निष्पक्ष होना चाहिए।

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को भी मौका दिया जाएगा। आप उस समय जैसी चाहें आलोचना कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : यदि हम कुछ कहना चाहते हैं, हम इसका खण्डन कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते। ... *(व्यवधान)*• हम क्या करें? ... *(व्यवधान)* कृपया इन्हें तमिल में बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। वहां पर कुछ प्रबुद्ध जन हैं वे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसमें क्या नई बात है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई उस टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वैको : सभापति महोदय, कृपया आप उन्हें अंग्रेजी में बोलने की अनुमति प्रदान करें।

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : जब इन्होंने तमिल में बोलना आरम्भ किया था तो श्री बालू ने ही इस पर आपत्ति जताई थी। ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : श्री धनन्जय कुमार, आप इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

सभापति महोदय : श्री बालू कृपया आप बैठ जाइए। कृपया उत्तेजना मत फैलाइए।

श्री वैको : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा का समय व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल श्री श्रीनिवासन को ही बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी० श्रीनिवासन : तमिलनाडु में लगातार जाति और साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। आज सुबह हमारे माननीय एमडीएमके के नेता श्री वैको ने कोयम्बटूर में बम फटने का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि श्री आडवाणी जी उस दुर्घटना में किस प्रकार बाल-बाल बचे थे।

केन्द्र सरकार के लिए उपयुक्त समय दें कि वे श्री करुणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को हटाने के लिए कार्य करें और राज्य में शान्ति बहाल करें। ... *(व्यवधान)* महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने के लिए सभी देशभक्त भारतीयों से अनुरोध करता हूं।

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसमें बाल श्रमिकों के बारे में कहा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाल श्रमिक कैसे बनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाल श्रमिक भूख और लाचारी में बनते हैं। कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को बाल श्रमिक नहीं बनाना चाहता, लेकिन जब उनकी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं हैं और जब वे भूखे मर रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है बच्चे को कहीं काम पर लगा दिया जाए। इसलिए भुखमरी के कारण माता-पिता लाचारी में अपने बच्चों से फैक्ट्रियों में काम कराते हैं। अगर सरकार चाहती है कि सचमुच में बाल श्रमिक न बने और बाल श्रम बन्द हो और हमारे देश का कोई भी बच्चा फैक्ट्रियों में कार्य न करे, तो सरकार को चाहिए कि वह हर पंचायत में आवासीय स्कूल की स्थापना करे जिनमें ऐसे बच्चों को भर्ती किया जाए जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहे हैं ओर जिनमें बच्चों के भोजन, वस्त्र से लेकर मैट्रिक तक की शिक्षा की व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, दूसरी बात इस अभिभाषण में कही गई है कि बेरोजगारी को हटाया जाएगा। एक प्रकार से यह नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि वह बेरोजगारी को हटाएगी, लेकिन वह इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे हटाएगी, इसकी कोई रूपरेखा नहीं दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप बिजली की आपूर्ति मांग के अनुसार नहीं करेंगे तब तक देश से बेरोजगारी नहीं मिट सकती है। बिना बिजली के देश में कोई उद्योग, फैक्ट्री, कृषि या पढ़ाई नहीं चल सकती है। आज हर क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकता है और मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिना विद्युत के किसी भी चीज की बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। हम लोग कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि 1950 में पैदा होने वाली बिजली की जो उस समय तीन फिगर यानी 743 मेगावाट थी वह उसकी नीतियों और कार्यों के कारण बढ़कर अब पांच फिगर में यानी 86,000 मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद मांग और आपूर्ति में 21 प्रतिशत का अन्तर है। जब तक यह गैप पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आप बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई सुझाव इसमें नहीं दिया है, कोई रास्ता नहीं बताया है कि आप बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे। यदि सचमुच में आप इस गैप को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको नान-कन्वेंशनल इनर्जी की तरफ ध्यान देना होगा और समय तथा धन खर्च करना होगा। अगर आपके पास आज पैसा हो, तो आप 54 हजार मेगावाट बिजली विंड से नान-कन्वेंशनल इनर्जी के रूप में पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कनवेंशनल इनर्जी बनाना चाहेंगे, तो समय और धन बहुत ज्यादा लगेगा, जो इस देश के हित में नहीं है। समुद्रीय जल तरंगों से 79 हजार मेगावाट बिजली आप पैदा कर सकते हैं। आप हाइडल के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लगाकर 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ये सब चीजें एक साल में हो सकती हैं। मैं प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिजली की मांग और आपूर्ति का गैप पूरा करने के लिए नान-कन्वेंशनल इनर्जी का सहारा लेकर बिजली का उत्पादन बढ़ाएं जिससे कि आपका बेरोजगारी खत्म करने का नारा सफलीभूत हो सके।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पैरा नं. 38 में कहा गया है कि भ्रष्टाचार और हमारी राजव्यवस्थाओं में मूल्यों के ह्रास तथा राजनीति के अपराधीकरण का एक कारण चुनावी प्रक्रिया में दोषों की व्याप्ति है। स्वतन्त्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने और धन तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी, जिसके लिए पहले ही आधारभूत कागज तैयार किया जा चुका है। इस बारे में हमें कहना है कि राजनीति में जो आज अपराधीकरण है उसे दूर करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। आपने विधेयक का जो आधारभूत कागज तैयार कर लिया है उसकी जानकारी सभी सदस्यों को दें। सर्वप्रथम राजनीति से अपराधीकरण हटाने के लिए बूथ कैप्चरिंग और बोगस मतदान को हटाना होगा। ...*(व्यवधान)* होता होगा, हर जगह होता है। कहीं बोगस मतदान होता है, कहीं बंदूक दिखाकर बूथ पर बैलट पेपर छाप दिए जाते हैं। दोनों चीजें एक समान हैं। चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या दिल्ली में हो। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : आप लोगों के यहां होता है कि कमीशन से मिलकर, कमीशन की मार्फत फायदा उठा लिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : बिहार में जिसकी सरकार होती है वह कलक्टर से मिलकर रिजल्ट भी बदलवा लेता है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : अगर ऐसा होता तो आप और हम यहां नहीं होते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया हस्तक्षेप नहीं करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप तो आ जाते लेकिन हमारे साथ जो दो लाख सौ हजार की बढ़ोतरी थी लेकिन वहीं छपरा में कमी थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर (तेनाली) : महोदय, यदि वे कलैक्टरों इत्यादि पर लांछन लगाने जा रहे हैं तो क्या आप उन बातों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : कलैक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते तो आते कैसे? ...*(व्यवधान)*

श्री शिव राज सिंह चौहान (विदिशा) : आपके पीछे जो मेम्बर बैठे हैं उनसे कहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए। यदि कुछ भी गलत होगा तो मै। उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : आप लोग वोट से आए हैं तो क्या हम नौमिनेट हुए हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप बेवजह बार-बार खड़े हो रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। बीच में मत बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या है? मैं माननीय सदस्य से हस्तक्षेप करने के लिए मना कर रहा हूं। कृपया बीच में मत बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद : सभापति जी, यह मेरी मेडेन स्पीच है इसलिए मैं सदस्यों से कहूंगा *(व्यवधान)* मंत्री जवाब देता है भाषण नहीं देता। मैं यहां पहली बार भाषण दे रहा हूं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप इंटरप्ट न करें। चुनाव आयोग ने हाथ खड़ा कर दिया है, मान लिया है कि चुनाव में बोगस मत और बूथ कैप्चरिंग को नहीं रोका जा सकता। आप परिचय-पत्र बनाने में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा रुपया खर्च कर चुके हैं। अगर थोड़ा रुपया और खर्च करके सभी मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करा दें तो भी उससे बूथ कैप्चरिंग और बोगस मतदान नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा कि जिस समय मतदान हो तो परिचय पत्र और मत पत्र दोनों साथ-साथ बक्से में गिरें। इस तरह से अगर कोई बोगस मतदान या बूथ कैप्चरिंग करना चाहेगा तो उसे पहले परिचय-पत्र हासिल करना पड़ेगा। वहां उसे दिक्कत होती है। इकट्ठा करने के बाद अगर वह बूथ पर आएगा तो वहां कर्मठ, ईमानदार पोलिंग पार्टी होने से उसे वहां भी दिक्कत आएगी। इसलिए यदि हम सभी मतदाताओं को परिचय पत्र ईशू कर दें और यह नियम बना दें कि वोट डालते समय ये दोनों साथ होने चाहिए तो इससे फायदा होगा। बाहर का कोई भी अपराधी वोट नहीं डाल सकेगा, बोगस मतदान नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो अधिकारी अपने मनचाहे उम्मीदवार या पार्टी। के लिए बूथ छाप लेता है, उसे ऐसा करने को मौका नहीं मिलेगा। अपराधी आता है, बूथ कैप्चर करके, बोगस मतदान करके, चला जाता है। यदि ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा तो सदन में अपराधी लोग नहीं पहुंच सकेंगे।

इलैक्शन कमीशन ने जो सिक्युरिटी मनी बढ़ा दी है कि ऐसा करने से बैलेट पेपर छोटा होगा, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सिक्युरिटी मनी बढ़ाने से बैलेट पेपर छोटा नहीं होगा। डमी कैन्डीडेट्स को कौन रोकेगा। सबने 6-6 डमी कैन्डीडेट रख दिए तो अनेक कैन्डीडेट हो जाते हैं। इसके बाद धरतीपकड़, आसमान-पकड़ आदि लोग उसमें खड़े हो जाएंगे तो बैलेट पेपर छोटा कैसे होगा। यदि कोई 16 प्रतिशत वोट नहीं लेता है तो आप जमानत जब्त कर लेते हैं, उसमें सजा का प्रावधान है, मेरा सुझाव है कि हर उम्मीदवार के लिए 1 प्रतिशत वोट लाना अनिवार्य कर दिया जाए। यदि कोई 1 प्रतिशत वोट नहीं लाए तो उसके लिए मौलिक अधिकार के हनन, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के अभियोग में छः महीने की सजा का प्रावधान किया जाए। जो व्यक्ति 1 प्रतिशत वोट नहीं ला सकता, उसे लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं यह सुझाव विचार के लिए रख रहा हूं। आप मानें या न मानें, वह आपका काम है। हमेशा चिल्लाते रहिए कि बक्सा बदल दिया, ये छाप दिया, वो छाप दिया, बदनाम करते रहिए।

दूसरी बात धन बल की है। आप उसे हटाने जा रहे हैं। उसमें मेरा सुझाव है कि चुनाव के समय नेताओं को दूसरे के क्षेत्र में जाने से रोका जाए। यदि आपका ऑर्गनाईजेशन है, आप जनता के बीच में जाते हैं तो नेताओं को वोट मांगने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत है। यदि आपका ऑर्गनाईजेशन मजबूत है, हर पंचायत में आपके कार्यकर्ता हैं तो आपकी नीति जनता के बीच पहुंच जाएगी। नेताओं के जाने से खर्च बढ़ता है, जातिवाद बढ़ता है। यदि मैं निषाद जाति का हूं तो मुझे निषाद-बहुल क्षेत्र में भेजा जाता है। दलित नेता को दलित बहुल क्षेत्र में भेजा जाता है, धार्मिक नेता को धार्मिक बहुल क्षेत्र में भेजा जाता है। इससे साम्प्रदायिकता बढ़ती है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। चुनाव के दरम्यान हैलिकॉप्टर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, तभी हमारी आम कार्यकर्ता की इज्जत बढ़ेगी। हम पांच साल में एक बार चुनाव के लिए जाते हैं। हमें हमेशा अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जनता की परिस्थितियों को जानना पड़ेगा और उसका निवारण करना पड़ेगा। यदि आपकी पंचायत में 200 सदस्य हैं और यदि चुनाव के समय एक सदस्य को 10 घर की जिम्मेदारी दे दें तो एक पंचायत की 2000 घरों की जिम्मेदारी हो जाती है। सुबह दांत साफ करते-करते वह 10 घर घूम ले और उसके बाद अपने काम पर चला जाए, फिर शाम को लौटकर 10 घर देख ले। दो हजार घर आप सुबह शाम टच कर रहे हैं। जिस दिन पोल होना है, दस घरों से वोटरों को निकालकर वोट डलवा दिया जायेगा। इसमें आपको लाउडस्पीकर बजाने की कहां जरूरत पड़ेगी, पोस्टर छपवाने की कहां जरूरत पड़ेगी ओर बैनर टांगने की कहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका जनता के बीच जाना पड़ेगा।

मैं इस सम्बन्ध में अपना सुझाव देता हूं कि सरकार 50 हजार रुपये से ज्यादा खर्चा करने पर रोक लगा दे। किसी भी प्रत्याशी को दो व्हिकल से ज्यादा का इस्तेमाल करने पर रोक लगे, ताकि जब भी आप जायें तो आप पैसे के बल पर 100 व्हिकल दौड़ाकर लोगों को ठगने की कोशिश न करें। अगर निश्चित तौर पर आप चाहते हैं कि चुनाव सुधार हो और अपराधी चुनकर संसद में न आये और जनता के प्रतिनिधि चुनकर आये तो आपको यह सब करना प्रड़ेगा। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह का प्रावधान करने का कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैं आपके इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह (विकमगंज) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं।

मैं आज अपनी बात इस देश के एक महान व्यक्तित्व के एक संस्मरण से शुरू करना चाहता हूं। स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण धनबाद गये हुए थे। धनबाद की उनकी सभा में भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण जी पटना में लौटे तो वहां बहुत चिंतत थे, बहुत उदास थे, बहुत अद्विग्न थे और बहुत बेचैन थे। उस समय उनके पास हम लोगों को सुनने का, रहने का मौका मिला था। हम लोग वहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी से उनकी उदासी का कारण, उनकी उद्विग्नता का कारण, उनकी बेचैनी का कारण हम लोगों ने पूछा। जयप्रकाश नारायण

जी ने उस समय यह जवाब दिया और आज इसीलिए मैं इसका उल्लेख इस सदन में करना चाहता हूं कि आज के प्रसंग में उनकी उदासी का जो कारण था, वह बड़ा प्रासंगिक दिखता है। उन्होंने कहा था कि जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं इस आन्दोलन से बहुत बढ़ गई हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत जग गई हैं और जे.पी. आन्दोलन को आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि जो लोगो की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको मैं किस ढंग से पूरा कर पाऊंगा, किस ढंग से अपने कन्धों पर मजबूती से ले चल सकूंगा।

आज इस प्रसंग का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जे. पी० आन्दोलन के समय में जो भीड़ इकट्ठी होती थी और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, दोनों की आकांक्षाओं में थोड़ा फर्क जरूर है। जे०पी० आन्दोलन के समय जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, वह भीड़ एक ऐसी भीड़ थी, जो कि सड़क और संसद के बीच में एक संवाद भी स्थापित हो, इसके लिए भी वह आन्दोलन हो रहा था। लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में भी भारी भीड़ इकट्ठी हुई है, प्रसंग बदला जरूर है। एक ओर लोकशक्ति और राजशक्ति के समन्वय का आन्दोलन चल रहा था। लोकशक्ति को चलाने वाला कोई दूसरा बड़ा व्यक्तित्व तो बाहर के मैदान में नहीं खड़ा है, लेकिन देश का एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री हुआ है, जिसकी सभाओं में काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। और लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद अब तक की जो समस्याएं हैं, उनके निदान का रास्ता निकल सके। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सोशियो इकोनौमी कंटेंट पर भी चर्चा हुई। जबकि इस पर यहां पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। सोशियो इकोनोमी कंटेंट की बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां आर्थिक सवालों पर इसी सत्र में वित्त मंत्री ने भारत की वित्तीय व्यवस्था की चर्चा की, वहीं हमारे रक्षा मंत्री ने भारत के हालात की चर्चा की, ये दोनों ही दुखद हैं। इससे निजात पाने की जरूरत है। भारत के वित्त मंत्री ने इसी सदन में अपने भाषण में कहा था कि राजकीय कोष के लिए अनुमान से अधिक खर्च है। भारत के रक्षा मंत्री ने भी इसी सत्र में अपने भाषण में कहा था कि 52 करोड़ की आबादी इस देश में दस रुपए के आधार पर अपना गुजारा कर रही है। इससे भयावह चित्रण भारत का और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

मैं मानता हूं कि अभिभाषण में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, वे तत्व ऐसे हैं, यदि उन पर ईमानदारी से और प्रभावशाली ढंग से विचार किया जाए तो इस देश की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इधर दो-तीन बरसं से राष्ट्र में कुछ मुद्दों पर बहस चल रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी उनकी चर्चा की है। वे आज भी बहस के मुद्दे बने हुए है और आगे भी होंगे। जैसे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात राष्ट्रपति महोदय ने की है। एक और विशेष बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है, जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। हम बिहार के लोग, केवल बिहार के ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के लोग आक्रांत है इस सवाल से जो पिछड़ा हुआ संघीय ढांचा है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, जिससे जो अमीर है, सम्पन्न है उन राज्यों की तुलना में, यदि उनकी योजनाओं को विकास में प्राथमिकता दी जाए तो उनकी तुलना में वे भी खड़े हो जाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देने का काम किया गया है।

कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिनके ऊपर यदि ध्यान दिया गया तो राष्ट्र में अच्छी शुरुआत करने की प्रकिया शुरू हो सकती है। महिलाओं को स्नातक स्तर तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह कोई साधारण चीज नहीं है और न ही कोई साधारण कार्यक्रम है। इसके अलावा और भी ऐसे कार्यक्रम हैं।

यहां कई सवाल आए हैं और कई मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है 60 प्रतिशत बजटरी आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की और ग्रामीण संरचना के लिए अन्य बातों को भी उठाया गया है। इसी तरह से एग्रो इंडस्ट्रीज की बात कही गई है। यदि इस पर देश को खड़ा कर दिया जाएगा, तभी यह देश बचेगा, बनेगा ओर चलेगा। आज हमारे सामने एक और खतरा खड़ा हो गया है। राजस्थान में भुजिया के क्षेत्र में ओर राजस्थान में बने हुए पापड़ों के क्षेत्र में तथा मैसूर में बनी हुई संदल सोप के क्षेत्र में विदेशी कम्पनीज प्रवेश कर रही हैं। आज यह खतरा पैदा हो गया है इसलिए इससे निजात पाने के लिए छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस पर भी राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर विशेषरूप से चर्चा की गई है। यह एक ऐसी शुरुआत है की गई है, यदि इसको सबकी सहमति से लागू किया गया तो देश में एक ऐसा समय आ सकता है और आ रहा है जिसमें देश एक नई दिशा में प्रवेश करेगा।

मैं कुछ बातों का और उल्लेख करना चाहूंगा। योजनाएं पहले भी बनी हैं, अब भी बन रही हैं, और भविष्य में भी बनेंगी। भारत के वर्तमान प्रशासन को और भारत के प्रधान मंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को कुछ चीजों पर सोचना पड़ेगा कि जहां फिजूलखर्ची पर रोक लगानी है, वहीं पर खर्च की सीमा पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा, तभी देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

एक ओर आलीशान भवनों में रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, खर्च की सीमा पर अंकुश न लगाया जाए, दूसरी ओर विकास की योजनाएं बनती जाएं, आमदनी न बढ़ने पाए, सड़क पर सोने वालों की संख्या बढ़ती जाए तो इस देश को सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से देश को चलाया जाए? आज इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरे दो सवाल हैं—एक, प्रवासी मजदूरों की दिल्ली में बढ़ती हुई संख्या और दूसरे, उनके सवाल पर गंभीरता से इस सदन में विचार होना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जिनके मजदूर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रोजी-रोटी की तलाश में आ रहे हैं और यहां फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों, के कल्याण, हिफाजत, सुरक्षा और हालत में अनवरत सुधार और उनके साथ बरती जाने वाली विसंगतियों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज दिल्ली में जहां पर सदन अवस्थित है, यदि मजदूरों की तरफ हम देखें तो दिल्ली में भारी संख्या में बीस प्रतिशत के आसपास केवल बिहारी मजदूरों की संख्या हो गई है। बिहारी मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, इसका कारण यह है कि बिहार में उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, विकास की किरणें वहां अभी नहीं पहुंच पाई हैं। अभी तक जो योजनाएं चली हैं, वहां जितने केन्द्रीय प्रतिष्ठान हैं, उनमें से कुछ बंदी के कगार पर हैं और कुछ बंद हो गए हैं, चाहे वह डालमिया समूह का सवाल हो या सी अन्य समूह का सवाल हो, वे सब मरणासन्न हालत में हैं। बिहार में औद्योगिक संरचना समाप्त होती जा रही है। और दूसरे उद्योग-धंधे भी ठप्प पड़ते जा रहे हैं। यह बात बिहार की सिंचाई योजनाओं के लिए भी कह रहा हूं। अंग्रेजों की दी हुई सिंचाई योजनाएं

[श्री वशिष्ट नारायण सिंह]

आज बिहार में चरमरा गई हैं। उनको केन्द्रीय सहायता से नए तरीके से खड़ा करने की जरूरत है तभी बिहार राज्य भी अन्य राज्यों के साथ बराबरी पर खड़ा हो सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों के लोग रोजी-रोटी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, उनकी बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जबकि श्रम-शक्ति का साइंटिफिक तरीके से उपयोग किया जाए। बिहार में भूमि तथा पूंजी दोनों काफी कम है। विज्ञान तथा कम्प्यूटर्स का इतना प्रयोग न किया जाए कि मजदूर बेकारी के कगार पर पहुंच जाएं। उन मजदूरों का ख्याल रखा जाना भी जरूरी है। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : बिहार के बारे में कुछ बोलिए। *(व्यवधान)*

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : आप मुझे बिहार के बारे में बोलने के लिए कह रहे हैं? क्या बिहार में सरकार नाम की भी कोई चीज है? क्या वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? बोलिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नारायण सिंह जी, कृपया अपनी बात समाप्त करिए। केवल एक मिनट रह गया है।

[हिन्दी]

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : जब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है तो सरकार के बने रहने का नैतिक आधार भी नहीं है। *(व्यवधान)* इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 31 मार्च, 1998/10 चैत्र, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/1/7/98 (एन०)
220

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।